वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2010-2011

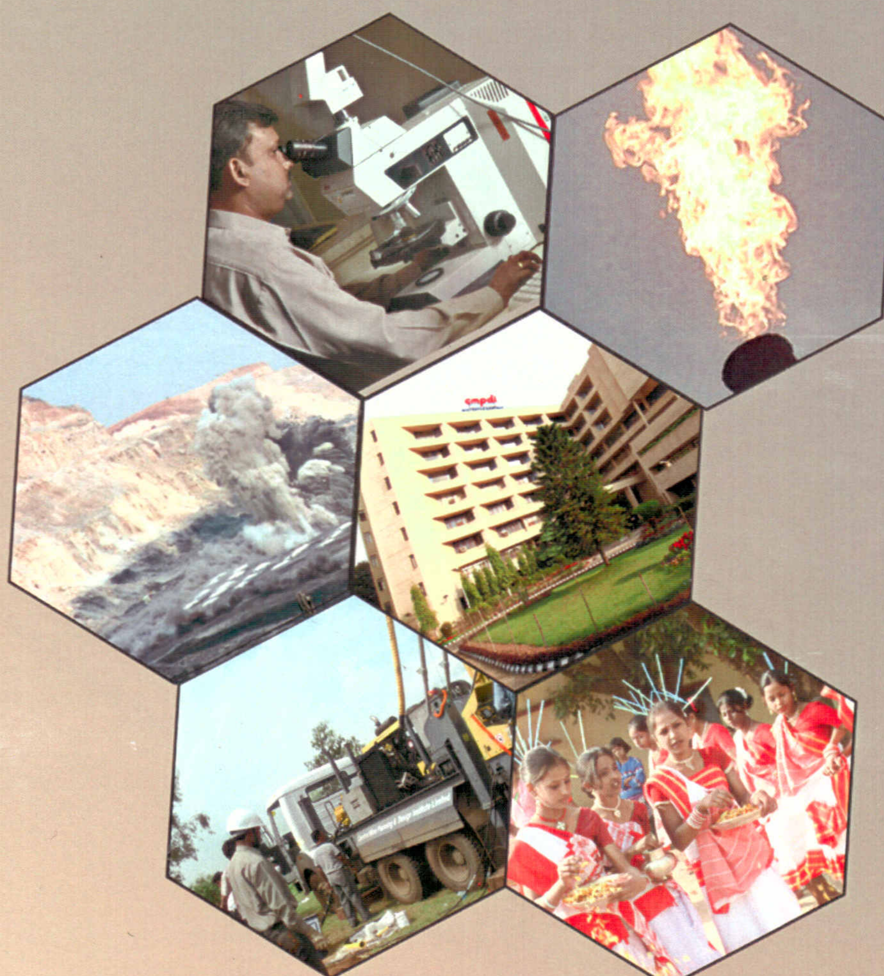

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

एक मिनी रत्ना कम्पनी

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2010—2011

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड
राँची — 834 031

विषय – वस्तु

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1.	2010–2011 के दौरान प्रबन्धन	
2.	वर्तमान प्रबन्धन	
3.	सूचना	
4.	निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	
5.	सांविधिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन और प्रबंधन का उत्तर	
6.	अनुच्छेद 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन के उत्तर	
7.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	
8.	अनुच्छेद 217 (2ए) के तहत निदेशक–मण्डल के प्रतिवेदन की अनुसूची	

वर्ष 2010–2011 के दौरान प्रबंधन

पूर्णकालिक :

1.	श्री अशोक कुमार सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री नरेन्द्र खुराना	:	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री अमल कुमार देबनाथ	:	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री शोभन कुमार मित्रा	:	निदेशक (तकनीकी)
5.	श्री अनिमेष नन्दन सहाय	:	निदेशक (तकनीकी) (07.02.2011 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

6.	श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
7.	श्री निर्मल चन्द्र झा	:	निदेशक (तकनीकी) / अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक :

8.	प्रो0 अजय कुमार घोष	:	निदेशक (20.09.2010 तक)
9.	डा0 अशोक कुमार कुन्दरा	:	निदेशक (23.09.2010 तक)
10.	डा0 सुशील भंडारी	:	निदेशक (23.09.2010 तक)
11.	प्रो0 वेदला रमा शास्त्री	:	निदेशक (23.09.2010 तक)
12.	प्रो0 वेदला रमा शास्त्री	:	निदेशक (24.12.2010 से)
13.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	:	निदेशक (24.12.2010 से)
15.	डा0 मुकेश खरे	:	निदेशक (24.12.2010 से)
16.	प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा	:	निदेशक (24.12.2010 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य :

17.	श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव : श्री उदयन चक्रवर्ती

बैकर्स :
भारतीय स्टेट बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
केनरा बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
यू.को. बैंक
सिंडिकेट बैंक

अंकेक्षक :
मेसर्स तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
पटना,

निबंधित कार्यालय : गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031, झारखण्ड, भारत

निदेशक मंडल

श्री अशोक कुमार सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री एन.खुराना

श्री ए.के.देवनाथ

श्री एस.के.मित्रा

श्री एन.सी.झा

श्री डी.एन.प्रसाद

प्रो0 भी.आर.शास्त्री

प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा

डा0 मुकेश खरे

श्री प्रमोद कुमार मिश्र

01.05.2011 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक :

1.	श्री अशोक कुमार सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री नरेन्द्र खुराना	:	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री अमल कुमार देबनाथ	:	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री शोभन कुमार मित्रा	:	निदेशक (तकनीकी)

अंश–कालिक सरकारी निदेशक :

5.	श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
6.	श्री निर्मल चन्द्र झा	:	निदेशक (तकनीकी)/अध्यक्ष, कोल इंडिया लि0

स्वतंत्र निदेशक :

7.	प्रो0 वेदला रमा शास्त्री	:	निदेशक
8.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	:	निदेशक
9.	डा0 मुकेश खरे	:	निदेशक
10.	प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा	:	निदेशक

कम्पनी सचिव : श्री पी. **लाज़र**

11 अप्रैल, 2011 को लोक उपक्रम दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति से वर्ष 2009–10 के लिए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में योगदान हेतु सीएमपीडीआई को प्रदत्त स्कोपे मेरिटोरियस एवार्ड लेते हुए सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री ए.के.सिंह

36 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए
<u>सूचना</u>

संदर्भ सं. : सीएस / एजीएम–35 / 2010 / 283 दिनांक : 18.05.2011

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी शेयर धारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित करोबार के संचालन के लिए कम्पनी के निबंधित कार्यालय, गोन्दवाना प्लेस, कॉके रोड, रॉची में 26 मई, 2011 दिन वृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे कम्पनी की 36 वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की जाएगी :

1. **<u>वार्षिक लेखे का अंगीकरण :</u>**

31 मार्च, 2011 के अनुसार तुलन–पत्र तथा उसके साथ संलग्न अनुसूची सहित उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा और प्रबंधन द्वारा दिये गये जवाब के साथ अंकेक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना एवं अंगीकार करना।

2. **<u>निदेशकों के रिपोर्ट का अंगीकरण</u> :**

वर्ष 2010–2011 के लिए निदेशक मण्डल की रिपोर्ट को प्राप्त एवं अंगीकार करना ।

3. **<u>सांविधिक अंकेक्षकों का पारिश्रमिक</u> :**

वर्ष 2011–2012 के लिए सांविधिक अंकेक्षकों का पारिश्रमिक अनुमोदित करना।

4. **<u>अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति</u> :**

1. श्री एन.सी. झा सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के खण्ड (भाग) 34 (1) ई (।।।) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।
2. डा0 डी.एन. प्रसाद सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (।।।) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
वास्ते सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(पी. लाजर)
कम्पनी सचिव

नोट : वैसा सदस्य जो बैठक में शामिल होने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को बैठक में शामिल होने तथा मत डालने के लिए एवजी नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

प्रति : कम्पनी के सभी शेयर होल्डर एवं अंकेक्षक

निदेशक – मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारक,

सज्जनों,

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर अंकेक्षकों के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया –कलापों पर आधारित 36 वीं वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए आपके निदेशकगण को अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकन :

आपकी कंपनी मिनी रत्न (कैटेगरी–।।) कम्पनी राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, रॉची, नागपुर, बिलासपुर , सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित अपने सात क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य कर रही है। सातों क्षेत्रीय संस्थानों को क्षे0 सं0–1 से क्षे0सं0–7 तक का नाम दिया गया है जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 अनुषंगी कोयला कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे0सं0–1), बीसीसीएल (क्षे0सं0–2), सीसीएल (क्षे0सं0–3), डब्ल्यूसीएल (क्षे0सं0–4), एसईसीएल(क्षे0सं0–5), एनसीएल (क्षे0सं0–6) तथा एमसीएल (क्षे0सं0–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ प्रदान करते रहे। कोल इंडिया लिमिटेड, (मुख्यालय), एनईसी तथा गैर–सीआईएल ग्राहकों जैसे सेल–आईएसपी, एनटीपीसी, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, एससीसीएल, एमईसीएल, टाटा स्टील, मेसर्स एस्सार मिनरल्स रिसोर्सेस लि0 (महान कोल कम्पनी), ओ/ओ कमिश्नर ऑफ कस्टम, गुजरात, यूसीएम कोल कम्पनी लि0, जेएसपीएल, अदानी माइनिंग प्राइवेट लिं0, सीईए, मेसर्स फील्ड माइनिंग एण्ड इस्पात इत्यादि को मुख्यतः सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के माध्यम से परामर्शी सेवाएँ दी गई। सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड की विशेषज्ञता वाला कार्य भी करता है।

प्रदत प्रमुख सेवाएँ :

1.1 भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :

खनन परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक एवं भू–इंजीनियरिंग डाटा तथा स्वस्थाने (इन–सिटु) कोयला भंडार के मूल्यांकन करने के उद्‌देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित खनिखंड (ब्लॉक)का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोप भू–भौतिकी लॉगिंग के जरिए भू–भौतिकी सर्वेक्षण, हाई रिज्योलुशन शेलो सिसमिक सर्वेक्षण, जल भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधन की पहचान।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

भूमिगत एवं खुली खदानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोयला एवं खनिज परिष्करण तथा उपयोग संयंत्र, कर्मशाला तथा अन्य आनुषंगिक इकाइयों तथा निवेश निर्णय के लिए

विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत संरचनाओं की तैयारी।

- **अभियंत्रण सेवाएॅं :**
  खानों, परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, कर्मशालाओं एवं अन्य इकाइयों, वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल)प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए प्रणाली एवं उप–प्रणाली का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत सभी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए नॉडल एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करना। खनन, परिष्करण, उपयोग पर्यावरण, गवेषण आदि के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का कार्य भी सीएमपीडीआई खुद करता है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**

  पूर्णतः सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला द्वारा खान की गैसे, कोयला कोर नमूने, एनडीटी, वायु, जल, कोयले की धोवन क्षमता गुण, संस्तर की भौतिक एवं यांत्रिक क्षमता, पेट्रोग्राफी आदि का गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है।

- **पर्यावरणिक सेवाएँ** :

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग और सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू प्रयोगशाला में वायु, जल एवं ध्वनि का विश्लेषण, पूरे कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए भू–उपयोग मानिटरिंग हेतु सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़े का उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है।

- सूचना प्रौद्योगिकी
- मानव संसाधन विकास
- विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ
  - ✓ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ✓ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
  - ✓ नियंत्रित विस्फोटन
  - ✓ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ✓ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ✓ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ✓ खान थम्हाल का डिजाइन, रॉक मास रेटिंग(आरएमआर)
  - ✓ अनाशक परीक्षण(एनडीटी)
  - ✓ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ✓ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्य–परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 1531.93 लाख रूपये (आस्थगित कर के बाद) शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्य परिणाम नीचे दिया गया है :

(लाख रूपये में)

बिक्री			42909.19
घटाकर : कुल निवल व्यय			4033169
सकल लाभ			2577.50
घटाकर :			
मूल्य ह्रास	474.41		
ब्याज	2.95		
प्रावधान			477.36
वर्ष के लिए लाभ (+)/हानि (–) (पीपी समायोजन एवं कर के पूर्व)			2100.14
घटाकर : पूर्व अवधि समायोजन		(–)	268.76
कर के पूर्व लाभ			2368.90
आयकर के लिए प्रावधान			
घटाकर : चालू वर्ष के लिए	1322.33		
पूर्व वर्ष के लिए	54.63		
जोड़कर : आस्थगित कर के लिए	539.99		836.97
कर के बाद निबल लाभ			1531.93

1.3 **प्रबंधन का विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) का प्रबंधन अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें कंपनी की उपलब्धि तथा दृष्टिकोण रहता है।

1.3.1 **सीएमपीडीआई का विजन** :

सीएमपीडीआई का विजन विस्तृत भू–संसाधन क्षेत्र तथा संबंधित व्यावसायिक क्रिया–कलापों में बाजार में अग्रणी (मार्केट लीडर) बने रहना है।

1.3.2 **सीएमपीडीआई का मिशन** :

सीएमपीडीआई का मिशन भारत के प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्र में संपूर्ण परामर्श प्रदान करना है।

1.3.3 उपर्युक्त कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए निगमित उद्देश्य निर्धारण (सेट)

सीएमपीडीआई की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार है :

1. भू–वैज्ञानिक, भू–भौतिक, जल भू–वैज्ञानिक, सुदूर संवेदन तथा पर्यावरणिक आँकड़ा निर्माण (सृजन) सहित कोयला एवं खनिज गवेषण के क्षेत्र में संपूर्ण परामर्शी सहायता प्रदान करना।

2. अनुकूलतम (ओप्टिमम) खनन योजना के लिए भू–वैज्ञानिक मूल्यांकन में विश्वसनीयता का स्तर बढ़ाकर गवेषण एवं संभाब्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादकता में सुधार लाकर, क्षति (वेस्टेज) को रोक कर तथा पर्याप्त बाहरी संसाधनों को लगाकर अनुकूल आंतरिक संसाधन पैदा करना।
4. कोयला खनन, कोयला परिष्करण एवं उपयोग संयंत्र आदि के लिए परियोजना आयोजन (प्लानिंग) एवं डिजाइनिंग।
5. एस.एण्ड टी. तथा आर.एण्ड डी. योजनाओं के अन्तर्गत कोयला सेक्टर में अनुसंधान संबंधी गतिविधियाँ सुनिश्चित करना तथा समन्वय कार्य को बढ़ावा देना।
6. सूचना नेटवर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी (सूचना) को आत्मसात करना (अपनाना) तथा इसका प्रसार करना।
7. कोयला खनन एवं इससे सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी) तथा पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तैयार करना।
8. भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, पर्यावरणिक, आँकड़ा सृजन, वेजिटेशन कवर मैपिंग, कोल माइन फायर मैपिंग, बड़े पैमाने पर कोयला क्षेत्रों का स्थलाकृतिक मैपिंग, टीपीएस तथा वाशरी लोकेशन का चयन सहित आधारभूत संरचनात्मक योजना के लिए रिमोट सेंसिंग सेवा को बढ़ाना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों को क्षेत्र सेवा एवं प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध कराना।
10. कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के संगठनों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को परामर्शी सेवा प्रदान करना।

1.3.4 <u>सीएमपीडीआई के कार्यों का संक्षिप्त विवरण</u> :

सीएमपीडीआई के सभी क्रिया–कलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(क) <u>भू–वैज्ञानिक गवेषण तथा सहायक सेवाएँ</u> :
अपने स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का मुख्य कार्य है, जिसमें खनिज भंडारों के लिए निम्नलिखित सेवाएँ दी जाती हैं :

- गवेषण की योजना एवं निष्पादन
- निवेश एवं गवेषण निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता

(ख) <u>प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायक सेवाएँ</u> : स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का दूसरा मुख्य कार्य होने के नाते इसमें खनन, परिष्करण उपयोग तथा अन्य आधारभूत संरचना एवं अभियंत्रण, परियोजनाओं के निर्माण एवं परिचालन के लिए निम्नलिखित सेवाएँ दी जाती है :

- वैचारिक (कंसेप्युअल)/पूर्व–संभाव्यता/संभाव्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट तथा आधारभूत एवं विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन का निर्माण और/या मूल्यांकन।
- अभियंत्रण और अन्य संबंधित परामर्श एवं सहायता तथा
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

(ग) <u>पर्यावरण प्रबंधन सेवाएँ</u> : 1992 से प्रस्ताव के तहत इनमें पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए प्रयोगशाला एवं परीक्षण सहायता सहित इनकी योजना एवं परिचालन के दौरान खनन एवं खनिज उद्योग को सभी तरह की सहायता सम्मिलित हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की

सभी बड़ी खुली खानों में भू–उपयोग मॉनिटरिंग सेटेलाइट द्वारा वार्षिक आधार पर शुरू की गई है।

(घ) **प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ** : 1997 से इस प्रस्ताव के तहत, इसमें विभिन्न मानकी कृत प्रबंधन प्रणाली जैसे आईएसओ 9001 गुणता प्रबंधन प्रणाली तथा इसके उद्योग विशिष्ट रूपांतरण आईएसओ 140001, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 180001, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन, तथा एसए 8000 सामाजिक दायित्व प्रबंधन के सृजन कार्यान्वयन तथा प्रमाणन हेतु संपूर्ण परामर्श एवं सहायता इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) **मानव संसाधन विकास** : 1976 से प्रस्ताव के तहत खासकर, खनिज एवं खनन क्षेत्र में बाजार के ग्राहकों को तकनीकी, प्रबंधकीय तथा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण आदि शामिल है।

(च) **विशेषज्ञ सेवाएँ** : जियोमेटिक्स एवं सुदूर संवेदन, खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉकमास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन परामर्श सेवा, कोयला एवं ओबीआर की माप आदि के क्षेत्र में दक्ष परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.3.5 प्रचलित कोयला उद्योग पर्यावरण के संबंध में सीएमपीडीआई की भूमिका :

कुछ विस्तृत अर्थव्यवस्था में से भारत एक था, जिस पर वित्तीय संकट का प्रभाव मुख्य रूप से नहीं पड़ा, जो वर्ष 2007 में औद्योगिक राष्ट्रों में शुरू हुआ एवं इसने विश्व में अन्य आर्थिक व्यवस्था पर बड़ी मात्रा में प्रभाव डाला था। भारत का जीडीपी यद्यपि 2007–08 के 9 प्रतिशत से वर्ष 2008–09 में लगभग 6.7 प्रतिशत तक वर्ष 2009–10 में 7.2 प्रतिशत तक नीचे चली गई, जिसने अर्थव्यवस्था के वैश्विक द्रवीभूत के विनिंग इफेक्ट को एक बार फिर देखा है तथा विवेच्य वर्ष 2010–11 के दौरान (इकोनोमिक्स सर्वे ऑफ इंडिया) ने 8.6 प्रतिशत जीडीपी विकास प्राक्कलित किया है तथा वित्तीय वर्ष में 9 प्रतिशत विकास की सुनिश्चित किया है तथापि देश में वैश्विक क्रूड प्राइस राइज तथा इनफ्लेन्टरी प्रवृत्तियों प्रचलन के कारर्ण वर्ष 2011–12 के लिए प्रायोजित विकास के ऊपर संदेह किया गया है, पश्चिमी एशिया में उपयोगी वस्तु के मूल्य तथा राजनीति हलचल में चंचलता जैसी इन जोखिमों के रहते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज एवं बड़े पैमाने पर विकास करने के लिए अटल है।

विकास की आकांक्षा के लिए ऊर्जा मुख्य तत्व है तथा विकास दर को कायम रखने के लिए व्यावसायिक ऊर्जा की विश्वसनीय उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत की प्राथमिक व्यावसायिक ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष 2030 तक 3 से 4 गुणा बढ़कर 1500/800 मि.ट. हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने 11 वीं योजना के दौरान 62 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता संवर्धन तथा 12 वीं योजना में 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता संवर्धन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में भारत में व्यावसायिक ऊर्जा में कोयले का शेयर 50 प्रतिशत से अधिक है तथा कोयला आधारित बिजली उत्पादन की प्रतिशतता 67 प्रतिशत है। इसलिए मांग की पाबंदी के कारण निकट भविष्य में अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है।

जापान की फुकुसीमा नाभिकीय (न्यूक्लीयर) संकट से पूरे विश्व में आणविक बिजली का बढ़ता उपयोग फिलहाल नाभकीय बिजली के उपयोग के प्रति लोगों का आत्म विश्वास डिग जाने के कारण संदिग्ध हो गया है।

यद्यपि लोगों के रहन–सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अधिक (काफी) ऊर्जा की आवश्यकता होगी जिसके कारण भारत लम्बे समय में अपने ऊर्जा मिश्रण में आवश्यक तत्व के रूप में नाभिकीय ऊर्जा रखने को बाध्य है, तथापि देश में हाल के नाभिकीय नव जागरण के उत्साह को विराम–सा लग गया है, हांलाकि यह अस्थायी ही है। इसलिए देश में कोयला उत्पादन संवर्धन अभियान को और अधिक बढ़ावा दिए जाने की संभावना है।

आस्ट्रेलिया ने हाल ही में बदतरीन बाढ़ का साक्षी बना जिसे ऐसा 30 वर्षों में देखा गया है, जिसके कारण कई खुली कोयला खदानें तथा रेलवे लाइन पानी में डूब गया फलतः कोयले की ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आस्ट्रेलिया कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा निर्यातक देश है जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग एक तिहाई (1/3) भाग निर्यात करता है साथ ही साथ यह तापीय (थर्मल) कोयला का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चूंकि कोयले की मांग घट नहीं रही है, इसलिए आपूर्ति संचय (शाक) से वैश्विक रूप से कोयले को सकारात्मक मूल्य मिला है।

नई कोयला वितरण नीति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के पास देश में कोयले की मांग पूरा करने का दायित्व है। अपने क्रिया–कलापों में और विस्तार लाकर देश में कोयले की मांग पूरा करने के लिए इस नीति में कोल इंडिया लिमिटेड पर विश्वास बढ़ा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान भारत में कोयले का उत्पादन (532 मिलियन टन) गत वर्ष यानि 2009–10 के उत्पादन स्तर की तुलना में स्थिर रहा। वर्ष 2010–11 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्पादन कुल उत्पादित कोयले का 81 प्रतिशत था जो 2009–10 के उत्पादन के स्तर के आस–पास ही था। उत्पादन में वृद्धि प्रभावित होने का मुख्य कारण पर्यावरणिक अवरोध, खासकर, विवेच्य वर्ष के दौरान उत्पादन में योगदान के लिए पहचान की गई कुछ परियोजनाओं के लिए वन क्लियरेंस की अनुपलब्धता तथा विस्तृत पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के प्रयोग के कारण हुआ।

रैक/रेल वैगन की अनुपलब्धता के कारण कोयला उठाव की क्षमता में कमी से भी पीट हेड स्टॉक बढ़ा था।

ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे संबंधित पर्यावरणिक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिन्ता के बीच कोयला कम्पनियों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल खनन पर बल दिया जा रहा है। आस–पास के निवासियों को पहले से बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराने के लिए उन्नति (ग्रोथ) पर बल दिया जा रहा है। वर्षो से निगम की अवधारणा तथा सामाजिक दायित्व को भी प्रधानता मिली है। यद्यपि, सीआईएल अपना सामाजिक एवं सामुदायिक दायित्व से अवगत है तथा काफी पहले से अपने सामुदायिक विकास नीति के जरिए आस–पास के समुदायों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। तथापि, एक नई निगमित सामाजिक दायित्व की नीति चालू की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति के अनुरूप सीएमपीडीआई भी इन क्रिया–कलापों को कार्यान्वित करने के लिए 1 वर्ष में विगत वर्ष के प्रतिधारित (रिटेन्ड) लाभ का 5 प्रतिशत की धनराशि इस कोष के रूप में आवंटित कर रहा है।

विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया की परामर्शी सहायक कंपनी होने के नाते सीएमपीडीआई के पास तीव्र विकास के लिए गवेषण, आयोजना (प्लानिंग) एवं अभिकल्पन (डिजाइन) अन्य सम्बद्ध सेवा देने के लिए अधिदेश है। 2016–17 (XII योजना के अंतिम वर्ष) तक देश में कोयले का उत्पादन 1000 मिलियन टन पार कर जाने की संभावना है। सीआईएल से यह अपेक्षा की जाती है कि आगामी 6 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तेजी से विकसित हो। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की मांग निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उत्पादकों में रही है।

वर्त्तमान में देश का ज्ञात कोयला संसाधन आधार लगभग 277 बिलियन टन है, जिसमें से 110 बिलियन टन (लगभग 40 प्रतिशत) कोयला प्रमाणित श्रेणी (प्रूव्ड कैटगरी) में लाने के लिए विस्तृत रूप से गवेषित की गई है। शेष 60 प्रतिशत यानि लगभग 167 बिलियन टन अभी भी निर्दिष्ट/निकृष्ट श्रेणी (इंडिकेट/इन्फर्ड) कोटि में हैं और इन्हें प्रमाणित कोटि में लाने के लिए विस्तृत (डिटेल्ड) वेधन (ड्रिलिंग) किए जाने की आवश्यकता है। कोयला संसाधनों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कोयले की गवेषणा (एक्सप्लोरेशन) में तेजी लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, पारम्परिक खनन पद्धतियों के अलावा कोयला आधारित नन रिन्यूएबुल एनर्जी जेनरेशन के वैकल्पिक स्रोत जैसे कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तथा कोयला द्रवीकरण (लिक्विफिकेशन) आदि को अपना कर देश में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। शैल गैस का विकास भी सीएमपीडीआई के लिए परिचालन के उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उभरता क्षेत्र भी आगामी वर्षों में सीएमपीडीआई के लिए अतिरिक्त अवसर भी प्रदान करेगा।

1.3.6 <u>उपर्युक्त उपलब्धि एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति</u> :

खनिज, खनन तथा सम्बद्ध क्षेत्र में सीएमपीडीआई को गहरा ज्ञान है तथा बाजार में इनका स्थान है। यह अपनी निगमित उपलब्धि तथा विजन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति एवं व्यवसायिक योजना को अपना रहा है :

(i) गवेषण क्षमता को बढ़ना
(ii) कोयला के अलावा खनिज, खनन तथा सम्बद्ध इंजीनियरिंग आदि के नए क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
(iii) बाहरी ग्राहकों के लिए बाजार शेयर बढ़ाना।
(iv) देश एवं विदेश दोनों के रणनीतिक साझेदारों के साथ गठजोड़ (सम्बन्ध)।
(v) वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
(vi) परिचालन दक्षता एवं कार्य की गुणवता को बढ़ाना।
(vii) निगमित संस्कृति तथा आन्तरिक प्रणाली में सुधार लाना।
(viii) कोयला उद्योग को नियमित कोयला गवेषण तथा योजना सहायता सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना तथा अधिकारी वर्ग के श्रमशक्ति की भर्त्ती।
(ix) लागत नियंत्रण उपाय तथा मॉनिटरिंग को बेहतर बनाना।
(x) ऊर्जा एवं शेल गैस के एकान्तर स्त्रोत पर आधारित कोयले का विकास।

1.3.7 <u>सीएमपीडीआई की तैयारी</u> :

सीएमपीडीआई ने XI वीं योजना अवधि वर्ष 2007–11 के दौरान घरेलू ड्रिलों के माध्यम से तथा आउटसोर्सिंग द्वारा 14.43 लाख मी0 ड्रिलिंग का कार्य किया है जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान ड्रिलिंग का लक्ष्य 4.50 लाख का कार्य किया है जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान ड्रिलिंग का लक्ष्य 4.50 लाख मीटर है। X वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 10 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य पूरा किया गया।
सीएमपीडीआई ने XI वीं योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग की क्षमता में भरपूर वृद्धि की है। वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर उपलब्धि के मुकाबले सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2009–10 में 4.70 लाख मीटर तथा वर्ष 2010–11 में 4.92 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य किया है।

विस्तारण एवं आधुनिककरण के माध्यम से विभागीय क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। सोलह नए ड्रिल्स पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं तथा और 10 ड्रिलों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दो उच्च क्षमता वाले हाइड्रोस्टोटिक कोडिंग ड्रिल्स प्राप्त कर काम में लगा दिए गए है। 2 और उच्च क्षमता वाले हाइड्रोस्टेटिक कोरिंग ड्रिल बहुत ही कम समय में लगा दिए जाएंगे। सीएमपीडीआई ने गत तीन वर्षों में 38 मड पम्प तथा 46 ट्रक्स को बदल दिया है।

आउटसोर्सिंग के अंतर्गत 7.28 लाख मीटर में फैले 18 ब्लॉकों के ड्रिलिंग का कार्य वर्ष 2008–09 में खुली निविदा (2 राष्ट्रीय तथा 1 वैश्विक) के माध्यम से प्रदान किया गया। 1 लाख मीटर क्षमता को बढ़ाने के लिए 4.37 लाख मीटर में फैले 7 ड्रिलिंग ब्लॉकों के लिए ड्रिलिंग कार्य हेतु वैश्विक निविदा वर्ष 2009–10 में जारी की गई। प्रतिवर्ष ड्रिलिंग से जुड़े दीर्घकालिक समझौता संलेख (5) पर वर्ष 2009–10 में एम.सी.एल. द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

सीएमपीडीआई को लगभग 372 मी.ट. कोयला उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता के परिणामस्वरूप 142 परियोजना रिपोर्ट तैयार करना था जिसमें से लगभग 396 मि.टन अतिरिक्त क्षमता के साथ 2007–11 के दौरान 125 परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

सीएमपीडीआई में विभिन्न प्रयोगशालाओं की क्षमता या तो अपग्रेड कर दी गई है अथवा उसमें अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी है। पेट्रोग्राफी यूनिट की क्षमता को दुगुना करने केलिए आयातित उपकरणों के साथ मुख्यालय स्थित पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को अपग्रेड कर दिया गया है। रसायनिक प्रयोगशाला का अपग्रेडेशन पूर्णता की सीमा तक पहुँच चुका है। मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4, क्षेत्रीय संस्थान–5 पर्यावरण प्रयोगशाला को अपग्रेड कर दिया गया है जबकि क्षेत्रीय संस्थान–1 एवं क्षेत्रीय संस्थान–7 की पर्यावरणिक प्रयोगशाला का अपग्रेडेशन प्रस्तावित है। क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेशन में नये पर्यावरणिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। रेसिन एवं सीमेंट कैपसुल का परीक्षण करने के लिए खनन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को समर्थ बनाया गया है तथा नये सार्वभौमिक परीक्षण मशीन लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

गवेषण, योजना एवं अभिकल्पन एवं सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकताओं का पता लगाया गया है। वर्ष 2010–11 में विभिन्न संकायों में 172 प्रबंधन प्रशिक्षु में से 55 प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटी) को भर्ती कर सीएमपीडीआई में पदस्थापित कर दिया गया है। शेष बचे प्रबंधन प्रशिक्षु को पदस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ठीक उसी प्रकार गैर अधिकारी तकनीकी श्रम–शक्ति को पदस्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

एकान्तर उर्जा स्रोत पर आधारित कोयले का विकास सीएमपीडीआई के लिए प्रचालन (ऑपरेशन) प्राथमिक क्षेत्र हो गया है। सीएमपीडीआई द्वारा कोल माइन–मिथेन परियोजना बीसीसीएल के मूनीडीह परियोजना में सफलतापूर्वक निरूपित (डिमान्स्ट्रेटर) कर दिया गया है। कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्र में 5 सीएमएम ब्लॉक के लिए उपयुक्त डवलपर्स की पहचान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ओएनजीसी के सहयोग से रानीगंज कोयला क्षेत्र के कास्ता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसीजी) का विकास किया जा रहा है। सीसीएल के नियंत्रणाधीन क्षेत्र कैथा ब्लॉक में तथा डब्ल्यूसीएल के नियंत्रणाधीन क्षेत्र थे। गोरा–''सी'' में यूसीजी के विकास के लिए उपयुक्त डवलपर की पहचान की जा रही है। शेल गैस के विकास के क्षेत्र में विचार–विमर्श जारी है।

1.4.0 <u>सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन</u> :

विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने 1532 लाख़ रूपये (आस्थगित कर के बाद) शुद्ध लाभ कमाया है। विगत तीन वर्षों के लिए कंपनी के कार्य परिणाम का सारांश इस प्रकार है :

योग्यता मानदंड		सीएमपीडीआई की स्थिति		
		2008–09	2009–010	2010–2011
1.	कर के पूर्व लाभ (लाख रूपये में)	674	1961	2369
2.	कर के बाद लाभ (लाख. रूपये में)	484	1146	1532
3.	निबल मूल्य (लाख रूपये में)	5232	6335	7867
4.	निबल मूल्य की तुलना में निबल लाभ (%)	12.88	30.95	30.11
5.	लगाई गई पूँजी की तुलना में मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर के पहले लाभ (%)	9.17	19.94	22.59
6.	टर्न ओवर के ब्याज तथा कर के पहले लाभ (%)	2.19	4.38	5.53

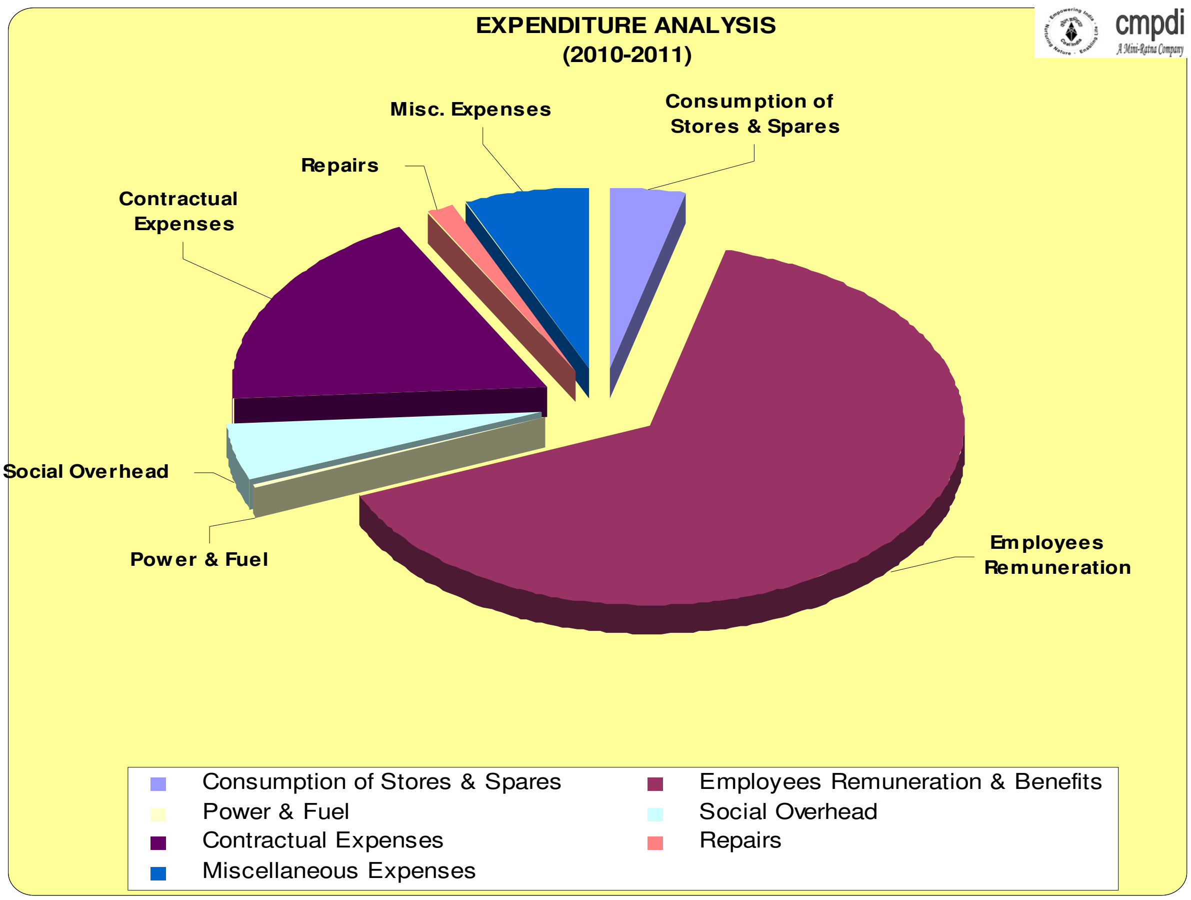

खर्च (एक्सपेंडीचर)	**31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)**
स्टार्स एण्ड स्पेयर्स की खपत	**1611.99**
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	**26477.77**
विद्युत एवं ईंधन	**207.44**
सामाजिक उपरि खर्च	**1985.67**
संविदात्मक व्यय	**7542.68**
मरम्मत्ति	**599.83**
विविध व्यय	**2578.98**
कुल खर्च	**41004.36**

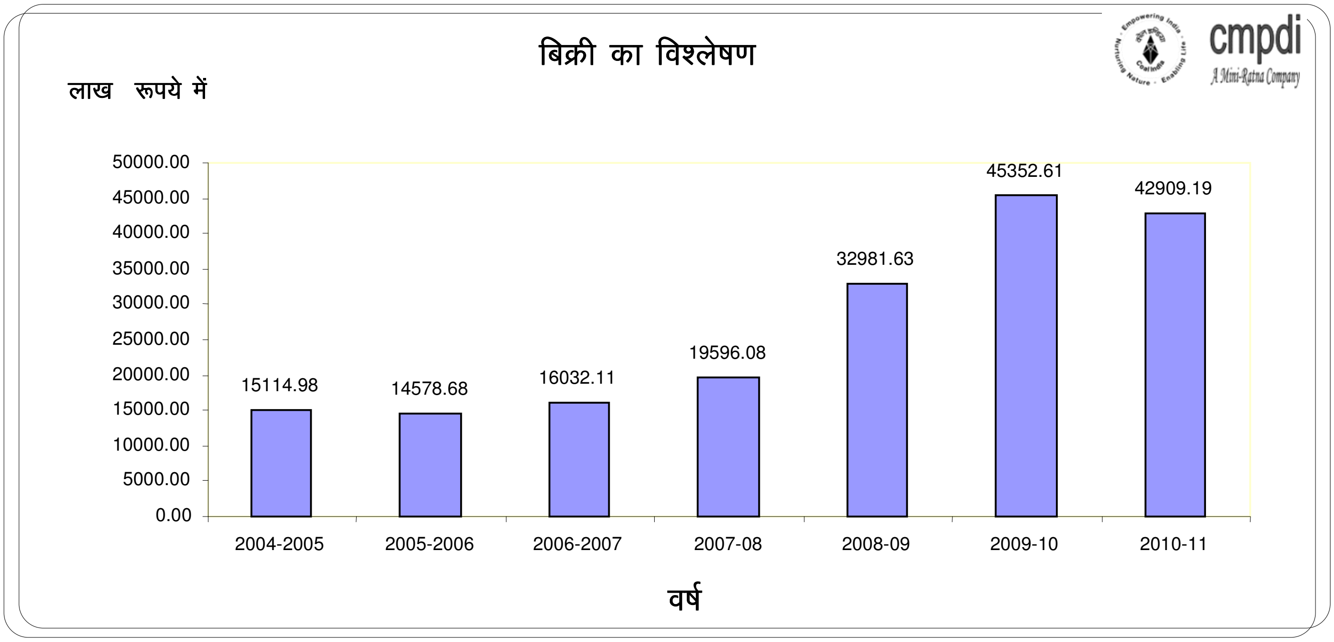

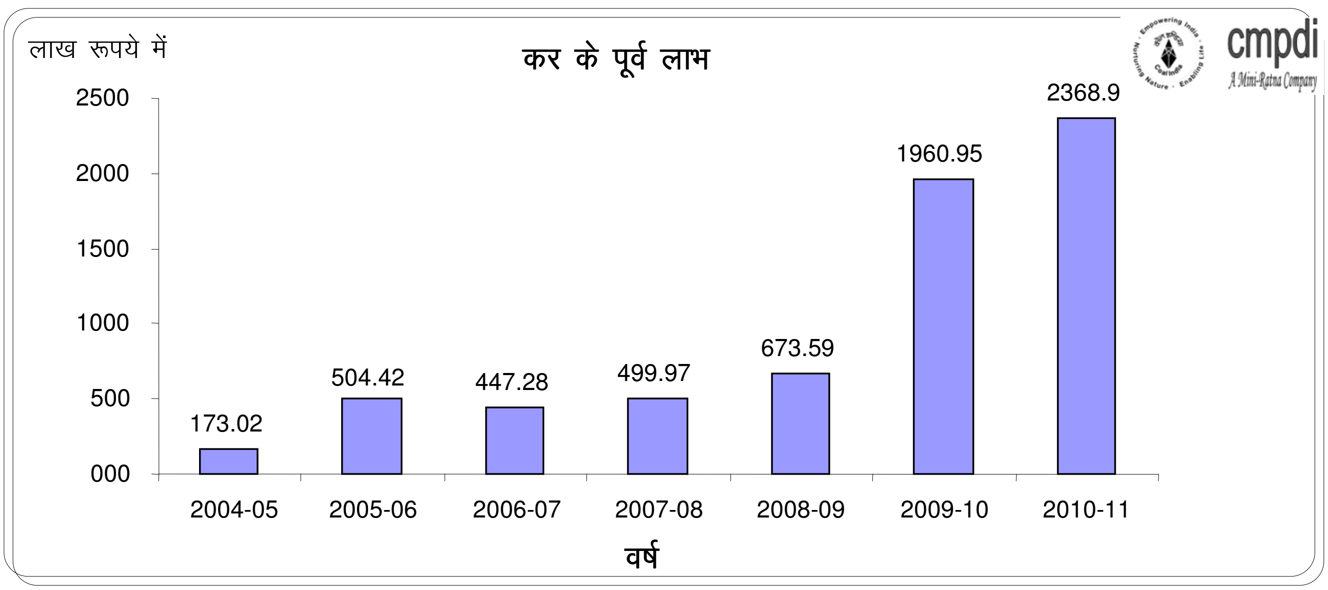

1.5.0 निगमित शासन

1.5.1 कंपनी का दर्शन :

निगमित शासन के संबंध में कम्पनी का दर्शन पारदर्शिता, स्पष्टता (डिसक्लोजर) तथा रिपोटिंग सुनिश्चित करना है जो कानून, विनियमन तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो।

1.5.2 निदेशक मण्डल

निदेशक–मण्डल में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी अंशकालिक निदेशक तथा चार गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक है। निदेशक–मंडल का गठन इस प्रकार है :

पूर्णकालिक निदेशक :

1.	श्री अशोक कुमार सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री नरेन्द्र खुराना	:	निदेशक
3.	श्री अमल कुमार देबनाथ	:	निदेशक
4.	श्री शोभन कुमार मित्रा	:	निदेशक

सरकारी अंशकालिक निदेशक :

5. श्री निर्मल चन्द्र झा
6. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक :

7. प्रो0 वेदला रमा शास्त्री
8. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा
9. श्री मुकेश खरे
10. प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा

गैर–सरकारी अंशकालीन निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.5.3 अंकेक्षक समिति

सामान्यतः अंकेक्षण समिति का प्राथमिक कार्य, वित्तीय रिपोर्ट, वित्त के संबंध में कम्पनी की आतंरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा तथा कम्पनी का अंकेक्षण, लेखा तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पुनरीक्षण कर वैसे दायित्वों को पूरा करने में निदेशक–मण्डल की सहायता करना, जिनकी अनदेखी हो गई हो।

अंकेक्षण समिति आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों के साथ बैठक करती है तथा निष्कर्षों, सुझावों तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श करती है और कम्पनी द्वारा अनुसरण की जा रही महत्वपूर्ण लेखा–नीतियों की समीक्षा करती है।

गठन

भारत सरकार के निगमित शासन द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई की अंकेक्षण समिति का गठन किया गया है तथा इसके प्रमुख एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं, जो इस प्रकार है :

1.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा (गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक)	:	अध्यक्ष
2.	श्री वी.आर.शास्त्री (गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक)	:	सदस्य
3.	प्रो.पी.के.जे. महापात्रा (गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक)	:	सदस्य
4.	पो. मुकेश खरे (गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक)	:	सदस्य
5.	श्री डी.एन.प्रसाद (सरकार द्वारा नामजद निदेशक)	:	सदस्य
6.	श्री ए.के.देवनाथ, निदेशक(तकनीकी)	:	सदस्य

अंकेक्षण समिति वार्षिक वित्तीय विवरण को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले इसकी समीक्षा करती है।

खंड : आ

वार्षिक उपलब्धि का पर्यावलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

1.0.1 सीएमपीडीआई ने वर्ष 2010–11 में भी मुख्यतः कोल इंडिया तथा गैर–कोल इंडिया/कैप्टिव ब्लॉकों में अपने कोयला गवेषण क्रिया–कलाप जारी रखा। सीआईएल के ब्लॉकों में गवेषण कार्य इसकी अनुषंगी कम्पनियों की परियोजना आयोजना (प्लानिंग)/उत्पादन सहायता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया जबकि गैर– सीआईएल/वशवर्ती ब्लॉकों में गवेषण कार्य वशवर्ती (कैप्टिव) खनन के लिए संभावित उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन सुलभ करने के लिए किया गया।

1.0.2 सीएमपीडीआई ने XIवीं (ग्यारवहीं) योजना अवधि के दौरान पर्याप्त ड्रिलिंग क्षमता विकसित की है। सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर ड्रिलिंग की उपलब्धि के मुकाबले इसने वर्ष 2010–11 में 4.92 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया है। आधुनिकीकरण तथा विभागीय ड्रिलों के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 7 ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक 5 ड्रिल प्राप्त हुए हैं। 13 और ड्रिल प्राप्त करने के लिए नई निविदा जारी की जा चुकी है तथा 8 ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 20 ट्रक्स तथा 21 मड पम्प वर्ष 2010–11 में प्राप्त हो गई है। बढ़ते हुए कार्यभार (वर्कलोड) का सामना करने के लिए भूवैज्ञानिकों की भर्ती का कार्यक्रम जारी रहा तथा 11 भूवैज्ञानिकों और 6 भू–भौतिकविदों को कैम्पस साक्षात्कार द्वारा सीधे भरती बहाल कर लिया गया। कर्मचारियों की कमी को कोल इंडिया की अन्य अनुषंगी कंपनियों से स्थानान्तरण के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

1.0.3 आउटसोर्सिंग के अंतर्गत 0.38 लाख मीटर ड्रिलिंग से जुड़े एक ब्लॉक के गवेषण के लिए निविदा जारी की जा चुकी है जबकि 4.37 लाख मीटर ड्रिलिंग के कार्य में वृद्धि होने के कारण कोयला कोर विश्लेषण की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई तथा सेंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ मिनरल्स तथा फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) के प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ा दी गई है तथा यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। भू–भौतिकी लॉगिंग तथा भूतल सर्वेक्षण कार्य के रूटिन के अतिरिक्त सीएमपीडीआई अनुसंधान एवं विकास परियोजना के खंड के रूप में कोयला गवेषण में 3–डी सिसेमिक सर्वे को शामिल करने का इरादा रखता है। ओएनजीसी से परामर्श करके एक परियोजना प्रस्ताव इस उद्देश्य के लिए सुपुर्द किया गया। तथापि कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड की एपेक्स समिति ने निर्णय लिया कि प्रारंभ में छोटे क्षेत्र को 3–डी सिसमिक सर्वे के लिए लिया जाना चाहिए। ओएनजीसी को टर्न की के आधार पर इस कार्य को करने के लिए इस उद्देश्य हेतु जोड़ा जाना है। यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि इस उद्देश्य के लिए एनई एरिया के कोयला क्षेत्रों में हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन द्वारा एकत्र किए गए ऑकड़े का अध्ययन किया जाएगा।

1.1 वर्ष 2010–11 में वेधन उपलब्धि :

1.1.1 सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर–सीआईएल/प्रमोशनल ब्लॉकों के गवेषण के लिए अपने विभागीय संसाधनों को लगाया जबकि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के राज्य सरकारों ने सिर्फ सीआईएल ब्लॉकों में संसाधनों को लगाया। इसके अलावा सीआईएल/

गैर–सीआईएल ब्लॉक में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण में 4 अन्य संविदात्मक एजेंसियों को लगाया है। वर्ष 2010–11 में 100 से 123 ड्रिल लगाये गये जिसमें से 55 विभागीय ड्रिल थे। इसके अलावा सीएमपीडीआई ने कोयला क्षेत्र (सीआईएल एवं एनसीएल के क्षेत्र) में एमईसीएल द्वारा किए जा रहे प्रमोशनल गवेषण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण तथा कोयला मंत्रलाय की ओर से कोयला क्षेत्र (कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्र) में प्रमोशनल गवेषण के लिए जीएसआई के कार्य का मॉनिटर किया।

1.1.2 वर्ष 2010–11 में सीएमपीडीआई तथा इसकी संविदात्मक ऐजेंसियों ने 7 राज्यों में स्थित 22 कोयला क्षेत्र के 96 ब्लॉकों/खानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य किया है। ये कोयला क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

रानीगंज (7 ब्लॉक/खानें), राजमहल (1), झरिया (4), वेस्ट बोकारो (5), रामगढ़ (2), तावा वैली/ पाथाखेरा (6), पंच कन्हान (1), कम्पटी (2), नन्द बन्देर (1), वर्धा (8), सिंगरौली (7), सोहागपुर (10), सेंदुरगढ़ (1), जोहिला (1), मंद रायगढ़ (13), कोरबा (4), हसदेव–अरंड (1), बिलासपुर (5), सोनहाट (1), तालचर (9) ईब घाटी (5), तथा माकुम (2 ब्लॉक)। 96 खनिखंडों/खानों में से 18 गैर–सीआईएल/वशवर्ती ब्लॉक, 2 प्रमोशनल खनिखंड, 1 परामर्शी ब्लॉक तथा 75 सीआईएल ब्लॉक/खान थे। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों के माध्यम से 65 खनिखंडों/खानों में गवेषणात्मक वेधन किया गया, जबकि संविदात्मक ऐजेंसियों द्वारा 31 ब्लॉकों/माइन्स में वेधन का कार्य किया गया।

1.1.3 प्रमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमसीएल ने 9 कोयला क्षेत्र खनिखंडों (काटोल सीएफ–3 खनिखंड, मान्द रायगढ़–4, गोदावरी वैली–1 ब्लॉक तथा वर्धा वैली–1) में प्रमोशनल ड्रिलिंग का कार्य किया है तथा जीएसआई ने प्रमोशनल ड्रिलिंग के लिए 11 ब्लॉकों (तालचर कोयला क्षेत्र के 5, ईव वैली के 2, सोहागपुर के 2 रानीगंज के 1, तथा टाटापानी राम कोला के 1) में प्रमोशनल ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया है।

1.1.4 वर्ष 2010–11 में गवेषणात्मक वेधन की संपूर्ण उपलब्धि नीचे दी गई है :

एजेन्सी	वर्ष 2010–2011 का लक्ष्य (मी.)	वर्ष 2010–2011 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2009–2010 की उपलब्धि (मी.)	वृद्धि %
		उपलब्धि (मी.)	उपलब्धि (%)	+/– (मी)		
(क) सीएमपीडीआई द्वारा किया गया विस्तृत वेधन कार्य (प्रमोशनल ड्रिलिंग सहित)* :						
1. विभागीय	2,40,000	2,68,059	112%	+28,059	2,65,134	1%
2.आउट सोसिंग						
राज्य सरकार	5,000	7,206	144%	+2,206	9,101	–21%
एमईसीएल (एमओयू)	42,500	28,160	66%	–14,340	24,145	–54%
निविदा (सीआईएल ब्लॉक)	16,000	14,581	91%	–1,419	31,780	–54%
निविदा (गैर–सीआईएल ब्लॉक)	96,500	1,73,785	180%	+77.285	1,40,102	24%
कुल आउटसोर्सिंग	160,000	223,732	140%	+63,732	205,128	9%
कुल– क	**4,00,000**	**4,91,791**	123%	**+91,791**	**4,70,262**	**5%**

(ख)कोयला सेक्टर में एमईसीएल,जीएसआई तथा नागालैंड सरकार द्वारा किया गया प्रमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग का कार्य :						
एमईसीएल	59,800	29,920	50%	–29,880	33,102	–10%
जीएसआई	14,850	13,943	94%	–907	13,192	6%
डीजीएम, नागालैंड	अनीयत	83	–	83	–	–
कुल– ख	**74,650**	**43,946**	**59%**	**–30,704**	**46,294**	**–5%**
कुल– क+ख	**4,74,650**	**5,35,737**	**113%**	**+61,087**	**5,16,556**	**4%**

*वर्ष 2010–11 में विभागीय ड्रिलों से प्रमोशनल ब्लॉक में 1,318 मी., सीआईएल ब्लॉकों में 2,01,016 मी. तथा गैर–सीआईएल ब्लाकों /वशवर्ती खनन ब्लाकों में तथा परामर्शी कार्यों के लिए 1,040 मी0 ड्रिलिंग किया गया।

वर्ष 2010–11 में सीएमपीडीआई ने अपने विभागीय तथा कुल ड्रिलिंग लक्ष्य 112 प्रतिशत तथा 123 प्रतिशत तक क्रमशः प्राप्त किया। 1 प्रतिशत विकास तथा 407 प्रतिशत मीटर/ड्रिल/माह की रिकार्डिंग औसत ऑपरेशनल ड्रिल्स उत्पादकता के साथ विगत वर्ष की अपेक्षा विभागीय ड्रिलिंग का कार्य निष्पादन अच्छा रहा। वन क्षेत्रों में गवेषण करनें के लिए अनुमति की अनुपलब्धता ने आउटसोर्सेड ड्रिलिंग के कार्य निष्पादन को काफी प्रभावित किया है। वन समस्या के कारण एमईसीएल जीएसआई कोयला क्षेत्र में प्रमोशनल ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

1.1.5 गैर–सीआईएल/वशवर्ती खनिखंडों में वेधन :

सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से XIवीं योजनावधि के दौरानं गैर–सीआईएल/वशवर्ती (कैप्टिव) खनन ब्लॉकों में 13.50 लाख मीटर विस्तृत वेधन करने के लिए सरकार को योजना सुपुर्द की थी। इस सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 893.89 लाख रूपये आवंटित करने का अनुरोध किया गया। तथापि, कोयला मंत्रालय ने XI वीं योजना के लिए सिर्फ 472.94 लाख रूपये अनुमोदित कर दिया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा खर्च में वृद्धि का मामला योजना आयोग के समक्ष उठाया गया है।

वर्ष 2010–11 में गैर–सीआईएल ब्लॉकों में (विभागीय 74,555 मी., आउटसोर्सिंग 1,10,000 मी0) कुल 1,84,555 मी. ड्रिलिंग करने का लक्ष्य रखा गया। इसके मुकाबले सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिल के द्वारा 64,685 मी. गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1,82,858 मी. ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया। वर्ष 2010–11 में ऐसे ब्लॉकों में खनिखंडवार ड्रिलिंग की उपलब्धि नीचे दी गयी है:

एजेंसी/ अधिकार वाले क्षेत्र	कोयला क्षेत्र	खनिखण्ड (ब्लॉक)	वर्ष 2010–2011 में ड्रिलिंग (मी0)
(क) सीएमपीडीआई (विभागीय) :			
डब्ल्यूसीएल	कम्पटी	भरतवाड़ा	5707
	नन्द बन्देर	मांडवा	6529
	वर्द्धा वैली	राजूर माणिक गढ़	4422
		भियखुण्ड	3262
एमसीएल	तालचर	सखीगोपाल'बी'	12382
		महानदी	20609
	ईब वैली	परेजपाड़ा एंड डीप विस्तारण	11774
उप –योग(विभागीय)			**64,685**
(ख) आउट सोर्सिंग :			
ईसीएल	राजमहल	काथदा–चौधर–गरियापानी	23571

एनसीएल	सिंगरौली	मकरीबरका वेस्ट	9074
एसईसीएल	मांद रायगढ़	स्यांग सेंट्रल ''ए''	4053
		स्यांग इस्ट 'ए'	3268
		स्यांग ईस्ट''बी''	8045
		चिर्रा एनई 'ए'	4655
		चिर्रा एनई 'बी'	9687
		स्यांग नार्थ वेस्ट	24505
		स्यांग साउथ	34543
		चिर्रा नार्थ	45843
	हसदेव–अरंड	मोर्गा साउथ	15614
उप–योग ख (आउट सोर्सिंग) :			**1,82,858**
गैर–सीआईएल खनिखंडों में वेधन का सकल योग			**2,47,543**

नोट : कई खनिखंड कोल इंडिया द्वारा अब रोक रखे जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावा सीएमपीडीआई ने आवंटन के उद्‌देश्य से कोयला मंत्रालय को वर्तमान वशवर्त्ती (केप्टिव) खनन ब्लॉकों का प्रारंभिक भू–वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध कराया है। सीएमपीडीआई ने वशवर्ती खनन के संभावित उद्यमियों को अपने अंतिम उपयोग के लिए उपयुक्त ब्लॉकों के चयन हेतु वर्तमान भू–वैज्ञानिक रिपोर्टों की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई है। आवंटन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद गवेषण की कुल लागत के भुगतान होने पर मूल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाती है। सीएमपीडीआई ने एमओसी द्वारा प्रतियोगितात्मक डाक बोली (बिडिंग) के माध्यम से खनिखंडों के आवंटन के लिए दस्तावेज भी तैयार किया है।

1.1.6 सीएमपीडीआई द्वारा उन्नायक (प्रोमेशनल) वेधन (ड्रिलिंग) :

वर्ष 2010–11 में ड्रिलिंग की उपलब्धि में XIवीं योजना के लिए कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में प्रमोशनल गवेषण की सेंट्रल सेक्टर योजना के तहत नए कोयला संसाधनों की पहचान के उद्‌देश्य से सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों द्वारा ड्रिल किए गए प्रोमोशनल (रिजनल) ड्रिलिंग भी शामिल है। XIवीं योजना के लिए 38700 लाख़ रूपये आवंटित करने की माँग की गई थी जिसके एवज में कोयला मंत्रालय ने XIवीं योजना के लिए 174.02 लाख़ रूपया ही अनुमोदित किया है। कोयला मंत्रालय द्वारा खर्च में वृद्धि का मामला योजना आयोग के समक्ष उठाया गया है। इस योजना के तहत सीएमपीडीआई ने तवा घाटी कोयला क्षेत्र के चिमरी तथा विष्णुपुरी में गवेषण कार्य जारी रखा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि सीएमपीडीआई ने योजना के तहत कोयला क्षेत्र (9 खनिखंडों) में एमईसीएल द्वारा किए गए उन्नायक (प्रोमोशनल) गवेषण का तकनीकी पर्यवेक्षण तथा 11 खनिखंडों में जीएसआई द्वारा संचालित उन्नायक (प्रोमोशनल) गवेषण का मॉनिटर भी किया है। कोयला क्षेत्रों में प्रोमोशनल ड्रिलिंग का कार्य निष्पादन उपर्युक्त अनुच्छेद 1.1.4 में दिया गया है।

1.2 जल भू–विज्ञान (हाइड्रोजिओलॉजी) :

1.2.1 सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर ऑथरिटी (सीजीडब्ल्यूए) अनुमोदन तथा पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी) के क्लियरेंस हेतु ''ग्राउण्ड वाटर क्लियरेंस अप्लीकेशन'' तैयार करने के लिए कई खनन परियोजनाओं का जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा एसईसीएल के कोयला क्षेत्रों में ईएमपी क्लियरेंस के लिए कुल 36 परियोजनाओं का जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन पूरा किया गया।

1.2.2 सीएमपीडीआईएल ने डब्ल्यूसीएल क्षेत्र में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 73 भूमिगत जल की मॉनीटरिंग का कार्य भी किया है। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल तथा एनसीएल के अन्य क्षेत्रों में जल स्तर के मॉनिटरिंग कार्य जारी है।

1.2.3 परियोजना रिपोर्ट (पीआर) तथा जीआर के पार्ट के रूप में 12 डब्ल्यूसीएल तथा 4 एसईसीएल के परियोजनाओं की भूमिगत जल कंडीशन पर जल भूवैज्ञानिक नोट विवेच्य वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है। डब्ल्यूसीएल तथा एमसीएल की 2 परियोजनाओं में माइन वाटर इनफ्लो इस्टीमेंशन के लिए जल भू–वैज्ञानिकी अध्ययन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

1.2.4 खानों, कॉलोनी, वाशरियों, गाँवों में जल–आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए सीसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा एसईसीएल की 6 परियोजनाओं में जल भू–वैज्ञानिकी का अध्ययन किया गया है।

1.2.5 मार्गरेटा एरिया, नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, असम के आसपास एसिड माइन ड्रेंज पर जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया गया। तालचर कोयला क्षेत्र के माछाकाता का जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन भी बाहरी पार्टियों के लिए कर लिया गया।

1.3 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट :

1.3.1 वर्ष 2010–11 में, विगत वर्ष में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर कुल 19 भू–वैज्ञाानिक रिपोर्टें तैयार की गईं। तैयार की गई भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट से 2.2 बिलियन टन कोयला संसाधन को ''प्रमाणित श्रेणी'' में लाया गया हैं।

1.3.2 प्रमोशनल गवेषण कार्यक्रम के तहत जीएसआई तथा एमईसीएल ने खासकर ''निर्दिष्ट श्रेणी'' में विशिष्ट मुटाई से अधिक 4.6 बिलियन टन कोयला संसाधन आकलित कर कोल ब्लॉक पर 9 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी है।

1.4 भू–भौतिक सर्वेक्षण

1.4.1 भू–भौतिक लॉगिंग :

बोर होल में पाए गये विभिन्न संस्तरों के उसी स्थान में जानकारी प्राप्त करने के लिए गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किए गए बोर होलों को भू–भौतिक रूप से लॉग किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान मल्टीपारामेट्रिक भू–भौतिक लॉगिंग उपकरण से कुल 221 बोर होल लॉग किए गए। इस उद्‌देश्य के लिए कोल इंडिया, गैर–सीआईएल तथा यूएनडीपी तथा सीबीएम परियोजना क्षेत्रों में कुल 132.06 मी0 गहराई का भू–भौतिकी लॉगिंग किया जा चुका है। इसमें से 60,990 मीटर गहराई का लॉगिंग 5 विभागीय भू–भौतिक लॉगिंग इकाई तथा 7107 मी. लॉगिंग संविदात्मक एजेसिंयों द्वारा किया गया।

1.4.2 भू–तल भू–भौतिकी सर्वेक्षण :

सीएमपीडीआई द्वारा कोयला सीमों के इनक्राप की रूप–रेखा, डाइक की रूप–रेखा निर्धारण तथा भूमिगत जल का अन्वेषण के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विद्युत प्रतिरोधकता तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। इस उद्‌देश्य के लिए, वर्ष 2010–11 में कुल 94.52 लाइन किलोमीटर प्रतिरोधकता पार्श्व चित्रण, 90 वर्टिकल, इलेक्ट्रीकल साउंडिग (वीईएस) तथा 2242 स्टेशन चुम्बकीय सर्वेक्षण किया है। एक 48 चैनेल सिगनल इन्हान्समेंट

सीसमोग्राफ प्राप्त कर लिया गया है तथा इस उपकरण के साथ मांद–रायगढ़ कोयला क्षेत्र (एसईसीएल) के चिम्पाटापानी कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र (एनसीएल) के बिजुस ब्लॉक तथा तालचर कोयला क्षेत्र के साखी गोपाल 'बी' ब्लॉक में कुल 41.8 किलोमीटर परावर्त्तन सर्वे तथा 26.6 लाइन किलो मीटर अपवर्त्तन सर्वे किया जा चुका है।

1.5 भू–प्रणाली :

1.5.1 सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना ''समेकित कोयला संसाधन प्रणाली'' वर्ष 2010–11 में भी जारी रही। विवेच्य वर्ष के दौरान 1656 प्लान के मैपडाटा को अन्तिम रूप दे दिया गया। 153 ब्लॉकों का डाटा फेस (एफ), 32 खनिखण्डों के तथा 11 क्षेत्रों (जोनों) के लिए भू–वैज्ञानिक मॉडलिंग पूरे कर लिए गए। सर्वे कार्यों का समाकलन 102 प्वाइंटों पर सर्वे रिफ्रेंस का अद्यतन करते हुए जारी रखा गया। 273 खनिखण्डों की प्रमुख विशेषता तथा 16 क्षेत्रों के लिए ऑकड़ा विवेच्य वर्ष के दौरान प्राप्त कर लिया गया है। 35 जोन के लिए ऑटोकेड का इस्तेमाल करते हुए जोनवाइज प्लान, 16 जोन के लिए जीआईएस क्लियरिंग डाटा, 32 जोन के लिए सीम की पूर्णता तथा 11 कोयला क्षेत्रों का मानचित्र (मैप) पूरा कर लिया गया। निविदा प्रक्रिया तथा शुरू किए गए कार्य के बाद कोयला डाटा बेस के लिए प्रदान किया गया कार्य पूरा कर लिया गया।

1.5.2 कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजना : प्रयोगशाला सेवा विभाग ''बीएफ कोयला बनाने'' के लिए लो रैंक तथा लो वोलाटाइल हाई रैक भारतीय कोयले का कारगर उपयोग'' नामक एक सीआईएल आरएंडडी परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है और यह 01.09.2009 से प्रभावी है। यह सीएमपीडीआई आरडीसीआईएस सेल की संयुक्त परियोजना है जिसका कुल खर्च 265 लाख रूपए तथा अवधि दो वर्ष है। राख विश्लेषण तथा प्लास्टोमैट्रिक परीक्षण सहित झरिया, मुराइडीह, सोनपुर बजारी, नार्थ उरीमारी तथा गिद्दी–ए एरिया से 15 क्लीन कोयला नमूनों तथा 5 कच्चे कोयले नमूनों के गुणनिर्धारण अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया गया है। राख का स्तर 10%, 15%, 17%, पर क्लीन कोयला के सृजन के लिए मुराइडीह कोलियरी, बीसीसीएल, नार्थ उरीमारी, अरगड्डा सीम सीसीएल का साउथ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र (सी.एफ) से प्राप्त दो नमूनों पर पायलट प्लान परीक्षण सीआईएमएफआर द्वारा जल्द ही किया जाएगा।

1.6 **कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/कोल माइन मिथेन (सीएमएम) तथा भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी)।**

1.6.1 **कोल बेड मिथेन की प्राप्ति तथा व्यावसायिक उपयोग परियोजना** :

झारखंड राज्य के झरिया कोयला क्षेत्र में बीसीसीएल की मुनिडीह कोयला खान में अनुसंधान एवं विकास के अन्तर्गत ''कोल बेड मिथेन प्राप्ति एवं व्यावसासिक उपयोग'' नामक परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)/वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के सहयोग से प्रारंभ की गई तथा कोयला मंत्रालय की ओर से सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 (सीएमपीडीआई) तथा भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल) द्वारा इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

सीबीएम – बीसीसीएल की मुनिडीह कोयला खान में रिग

भारतीय कोयला परिदृश्य में कोल माइन मिथेन के विकास के लिए यह प्रदर्शन परियोजना पथ प्रदर्शक है। कोयला संस्तरों में स्थित मिथेन गैस को उर्ध्व कूपों के द्वारा सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। निकाले गए गैस को बिजली उत्पादन के लिए गैस आधारित जेनरेटर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तथा 27 जून, 2008 से उत्पादित बिजली की आपूर्ति मुनिडीह कॉलोनी में की जा रही है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है तथा परियोजना के कोष का इस्तेमाल पूर्ण रूप से किया गया है। कोयला मंत्रालय, के पत्रांक : 34012/2007 सीआरसी (पार्ट), दिनांक 5 जुलाई, 2010 के अनुसार इस परियोजना को औपचारिक रूप से बन्द कर देने का निर्णय लिया गया है इस परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट भी सुपुर्द कर दी गई है।

परियोजना की उपलब्धि :

उच्च प्रौद्योगिकी वाला यह प्रदर्शन परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड की पूरी टीम के संपूर्ण प्रयास से मुनिडीह में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई। देश में पहली बार इस तरह की परियोजना के कार्यान्वयन के कारण भारतीय कोयला खनन उद्योग में काफी उत्सुकता है और अब यह उद्योग उपयुक्त क्षेत्रों में इस तरह की परियोजना को दोहराने के दहलीज पर है। यह परियोजना कोल माइन मिथेन के हारनेसिंग तथा उपयोग तकनीक में नए युग की शुरूआत करेगी जो एक तरह से अपशिष्ट साफ ऊर्जा संसाधन है। इस परियोजना की अन्य उपलब्धि संक्षिप्त रूप में नीचे दी गई है :

- उपकरण तथा श्रमशक्ति दोनों रूपों में क्षमता निर्माण
- यह परियोजना सीएमपीडीआई तथा बीसीसीएल के आंतरिक प्रयास से सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई।
- भारतीय खनन परिदृश्य में सीएमएम निष्कर्षण तथा इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता प्रमाणित करना।
- प्राप्त मिथेन की संभावित उपयोगिता स्थापित की जा चुकी है तथा प्राप्त सीएमएम से उत्पादित बिजली ने स्थानीय निवासियों के बीच इसके प्रति पर्याप्त जागरूकता पैदा की है।
- प्रदर्शन परियोजना में भी प्राप्त गैस से उत्पादित बिजली की लागत जीवाश्म ईंधन के बराबर ही है।

1.6.2 कोल इंडिया तथा ओएनजीसी के कंसोर्टियम (संकाय) द्वारा झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में सीबीएम परियोजना का सहयोगात्मक विकास :

भारत सरकार की सीबीएम नीति के रूप में कोल बेड मिथेन के विकास के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा ओएनजीसी कंसोर्टियम (संकाय) को झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में 2 (प्रत्येक में एक–एक) ब्लॉक आवंटित किया गया है। ये परियोजनाएँ कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

1.6.2.1 झरिया सीबीएम ब्लॉक :

झारखंड सरकार ने झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए 28 अगस्त, 2003 में सीआईएल–ओएनजीसी के कंसोर्टियम को पेट्रोलियम गवेषण लाइसेंस (पीईएल) स्वीकृत किया है, इसके बाद न्यूनतम वर्क प्रोग्राम में विस्तृत कार्य शुरू किया है।

सीएमपीडीआई ने डीप स्लीम होल ड्रिलिंग (1000–1400 मी. की गहराई तक) का कार्य किया है जिसमें पारामेट्रिक आँकड़े तैयार किए गए। सीएमपीडीआई द्वारा इस वेधन तथा अन्य वेधन और गैस से संबंधित उपलब्ध आँकड़े के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर फरवरी, 08 में ओएनजीसी को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट ने ओएनजीसी द्वारा विकास योजना तैयार करने के कार्य को सरल बना दिया है।

ओएनजीसी ने गवेषणात्मक कूपों के ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया है तथा इसका आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है। ओएनजीसी का सीबीएम ब्लॉक में होरिजॉन्टल मल्टिलेटरल ड्रिलिंग का कार्य जारी है। ओएनजीसी ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को विचार–विमर्श तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए 129000 लाख रूपये लागत वाली झरिया सीबीएम ब्लॉक के प्रभातपुर सेक्टर के लिए अंतिम विकास योजना सौंपी है तथापि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने ओएनजसी को 3.12.2010 को आयोजित 11वीं स्टेयरिंग समिति की बैठक में प्रभातपूर सेक्शन सहित पूरे झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए समेकित विकास योजना पेश (प्रस्तुत) करने के लिए कहा है। इसी बीच झरिया कोयला क्षेत्र से अचानक प्राप्त गैस की बिक्री सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शुरू कर दी गई है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक में कोल इंडिया लिमिटैड की भागीदारी हित (पीआई) इस विकल्प के साथ 10 प्रतिशत है कि विकासात्मक चरण से यह 26 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। कोल इंडिया का पीआई 26 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

1.6.2.2 रानीगंज सीबीएम ब्लॉक :

पश्चिमी बंगाल सरकार ने दिनांक– 09.06.04 को रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी कर दिया है।

स्लीम होलों का वेधन सीएमपीडीआई द्वारा नवम्बर, 2007 में पूरा कर लिया गया। स्लीम होल ड्रिलिंग तथा अन्य उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर सीएमपीडीआई द्वारा रिपोर्ट तैयार कर मार्च, 09 में ओएनजीसी को सौंप दी गई है।

1.6.2.3 कोल इंडिया के अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (आरएंडडी प्रोजेक्ट) की पूर्णता :

एपेक्स समिति ने 08.03.2011 को आयोजित अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के लिए सीआईएल तथा ओएनजीसी सहयोगात्मक परियोजना (परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1.16.04 ''झरिया एवं रानीगंज कोयला के गहरे स्तर में स्थित कोयला भंडारों में सीबीएम के लिए गवेषण जारी रखने हेतु सीआईएल/सीएमपीडीआई की क्षमता का विकास'' नामक सीआईआरएंडडी परियोजना की पूर्णता को स्वीकार कर लिया है।

उपर्युक्त परियोजना फरवरी, 2004 से प्रारंभ की गई। इस परियोजना के लिए कुल 1991.92 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया था। जनवरी, 2011 में निर्धारित तिथि के अनुसार इस परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोल इंडिया ने कोल इंडिया तथा ओएनजीसी के कंसोर्टियम को आवंटित झरिया एवं रानीगंज सीबीएम ब्लॉक में कोल इंडिया तथा ओएनजीसी के बीच ऑपरेशन एग्रीमेंट के अनुसार प्रतिबद्ध कार्य के पार्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तथा इसने अपना उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

1.6.3 ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान उन्नायक (प्रोमोशनल) गवेषण के अन्तर्गत सीबीएम से संबंधित अध्ययन :

ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआई, पीआरई द्वारा वित्त प्रदान की जा रही प्रमोशनल गवेषण के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाईट क्षेत्रों के कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस के मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन देश के सीबीएम संसाधन के आधार को विस्तृत करेगा तथा सीबीएम के विकास के लिए और अधिक खनिखंडों (ब्लॉकों) की रूप–रेखा तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा। कुल योजना व्यय 859 लाख यपये की लागत से ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान कुल 50 बोर होलों (30 सीएमपीडीआई द्वारा तथा 20 जीएसआई) द्वारा अध्ययन किया जाना है।

वर्ष 2010–11 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा अध्ययन के लिए विभिन्न कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में स्थित कुल 8 बोर होलों को लिया गया तथा डिजापर्सन एवं अन्य अध्ययन के लिए नमूने एकत्र किए गए। ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान अब तक इस तरह के कुल 24 बोरहोलों का अध्ययन सीएमपीडीआई (कुल 40,24 सीएमपीडीआई एवं 16 जीएसआई) द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विवेच्य वर्ष 2010–11 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा तीन मूल्यांकन रिपोर्ट पूरा कर लिया गया है।

1.6.4 कोल माइन मिथेन (सीएमएम) अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

कोल इंडिया लिमिटेड की ''डेवलपमेंट ऑफ सीएमपीडीआईएल केपेसिटी फॉर डेलिनियेशन ऑफ वायेबुल कोल माइन मिथेन (सीएमएम)/एबॉन्डेड माइन मिथेन (एएमएम) ब्लॉक इन इर्गजिस्टींग एण्ड बुड बी माइनिंग एरिया हैविंग पार्शली डी – स्ट्रेस्ड कोल इन वर्जिन कोल सीम्स'' नामक अनुसंधान एवं विकास परियोजना (आर एण्ड डी प्रोजेक्ट) प्रगति में है।

इस परियोजना में बीसीसीएल तथा सी.सी.एल. के कोयला क्षेत्रों में 5 संभावित सीएमएम क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस ब्लॉकों का विस्तृत मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है तथा संसाधनों इत्यादि के स्थान पर सभी कोयला/गैस सहित सभी तकनीकी विवरणों को शामिल करते हुए पाँच सीएमएम खनिखंडों (3 बीसीसीएल क्षेत्र तथा 2 सीसीएल क्षेत्र में) के लिए डाटा डोजियर्स (फाइलें) तैयार किया जा चुका है।

सीएमएमका व्यवसायिक विकास :

सीएमएम के व्यवसायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए तथा सीएमएम के विकास के लिए उपयुक्त सर्विस प्रोवाइडर की पहचान हेतु अभिरूचि का प्रदर्शन (ईओआई) दिनांक : 22.01.10 को जारी कर दिया गया। इस ईओआई के लिए 10 उत्तर प्राप्त हुए। कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्रों में सीएमएम की परियोजना के विकास के लिए खनिखंड (ब्लॉक) प्रदान करने हेतु सीएमपीडीआई द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले निविदा दस्तावेज में शामिल किए जाने वाले अनुबंध एवं शर्तों (टर्म एवं कंडीशन) पर चर्चा करने के लिए सीएमपीडीआई में दिनांक : 06.04.2010 को ईओआई के प्रत्युत्तरदाताओं एवं सीएमपीडीआई के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

इस उद्देश्य के लिए भाड़े के परामर्शदाता द्वारा मसौदा निविदा दस्तावेज तथा मूल्यांकन मानक तैयार किया जा चुका है। दिनांक : 20.09.2010 को आयोजित पी–एन.आई.टी की बैठक में निविदा दस्तावेज पर विचार–विमर्श किया गया तथा प्रत्युत्तरदाताओं से प्राप्त निवेश की स्वीकृति पर निविदा दस्तावेज में किंचित परिवर्त्तन कर दिया गया है। संभावित खनिखंडों में सीएमएम का काम लगाने के लिए बिडिंग के माध्यम से उपयुक्त डवलपर की पहचान हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनार्थ निविदा दस्तावेज कोल इंडिया भेज दिया गया है।

कोल इंडिया ने संभावित खनिखंडों (ब्लॉकों) में सीएमएम का काम लगाने के लिए बिडिंग के माध्यम से उपयुक्त डवलपर की पहचान हेतु निविदा दस्तावेज तथा निविदा को अनुमोदित कर दिया है, जिसे अप्रैल, 2011 में सीआईएल/संबंधित कोयला कंपनी की ओर से इसे सीएमपीडीआई द्वारा जारी कर दिया जाएगा।

1.6.5 बड़ी खुली खानों से संबंधित सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन :

एनसीएल, सिंगरौली के मोहरे सब–बेसिन, डिप साइड एरिया में सीएमएम की संभावना के मूल्यांकन पर रिपोर्ट तथा ''एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के डिप साइड एरिया में सीएमएम की संभावना के मूल्यांकन'' पर सीएमपीडीआई द्वारा रिपोर्ट तैयार कर दिनांक : 01.03.2011 को सुपुर्द की जा चुकी है।

1.6.6 संवातन वायु मिथेन (वीएएम) परियोजना का विकास :

सीएमपीडीआई ने ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल की कुछ चयनित गैसीय कोयला खानों में बीएएम से संबंधित विशिष्ट आँकड़ा भी तैयार किया है। वीएएम परियोजना के विकास के लिए कुछ क्षेत्रों को उपयुक्त पाया गया है। वीएएम के व्यवसायिक विकास के लिए उपयुक्त सहयोगी की पहचान हेतु ईओआई जारी कर दिया गया है। अंतिम तिथि अर्थात् 19.03.10 तक 10 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्र के अंतर्गत वीएमएम परियोजना के विकास के लिए खनिखंड (ब्लॉक) प्रदान करने हेतु सीएमपीडीआई द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले निविदा दस्तावेज में शामिल किए जाने वाले अनुबंध एवं शर्तों पर विचार–विमर्श करने के लिए अप्रैल, 2010 को ईआईओ के प्रत्युत्तरदाताओं एवं सीएमपीडीआई के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

1.6.7 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लीयरिंग हाउस की स्थापना :

कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में 17 नवम्बर, 2008 को सीएमपीडीआई में सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस देश के सीएमएम/सीबीएम से संबंधित जानकारी एकत्र करने तथा आदान–प्रदान करने और सार्वजनिक/निजी भागेदारी तथा भारत में सीएमएम परियोजना के व्यावासायिक विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वित्तीय निवेश का अवसर लाने में मदद करने के लिए एक नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

इस क्लियरिंग हाउस की स्थापना यूएसईपीए तथा कोयला मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड की वित्तीय सहायता से की गई है। इंडिया क्लियरिंग हाउस के वेबसाईट http//www.cmmclearinghouse.cmpdi.co.in में सीएमएम, वीएएम आदि के लिए विद्यमान अवसर के संबंध में जानकारी के अलावा सभी प्रमुख जानकारी जैसे ईओआई अधिसूचना, न्यूज लेटर्स आदि दी गई है।

1.7.0 भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) का विकास :

1.7.1 यूसीजी के लिए प्रायोगिक स्केल अध्ययन शुरू करने हेतु नवम्बर, 2006 में सीआईएल तथा ओएनजीसी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद सीएमपीडीआई ने 5 संभावित यूसीजी स्थलों के लिए डाटा पैकेज तैयार किया। प्रायोगिक यूसीजी परियोजना प्रारंभ करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से अतिरिक्त

आँकड़ा तैयार करने के लिए ओएनजीसी द्वारा नियुक्त परामर्शदाता स्कोचिंस्की इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग (एसआईएम), रूस द्वारा इन पाँच स्थलों में से रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थित कास्ता ब्लॉक की पहचान की गई है।

यूसीजी विशिष्ट अतिरिक्त आँकड़ा तैयार करने के लिए 17.04.2009 को बोरहोलों की ड्रिलिंग शुरू की गई। नवम्बर, 2009 तक सभी 12 बोरहोलों में 3199.80 मी. ड्रिलिंग कर लिया गया। आँकड़ा का मूल्यांकन किया जा चुका है। मसौदा रिपोर्ट दिसम्बर, 2010 में ओएनजीसी को भेज दिया गया है तथा ओएनजीसी टीम से विचार–विमर्श की अपेक्षा है।

1.7.2 कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्र में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) का व्यावसायिक विकास :

कोल इंडिया अधिकार क्षेत्र के तहत यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए दिनांक– 30.11.09 को एक ईओआई जारी कर दी गई है। छह प्रस्ताव प्राप्त हुए और प्रत्युत्तरदाताओं के साथ दिनांक : 26.2.10 को बैठक हुई। चिन्हित इसीजी खनिखंडों (ब्लाकों) को प्रदान करने के लिए निविदा दस्तावेज का मसौदा सीएमपीडीआई द्वारा तैयार किया जा चुका है। जिसे ईओआई के प्रत्युत्तरदाताओं और सम्बद्ध कोयला कंपनियों को जारी कर दिया गया है। दिनांक– 17.05.2010 को निविदा आमंत्रण सूचना से पूर्व एक बैठक हुई और प्रतिभागियों के स्वीकृत विचारों पर आधारित निविदा सूचना का मसौदा सीएमपीडीआई द्वारा तैयार कर लिया गया और कोल इंडिया द्वारा इसे अनुमोदित किया जा चुका है।

कोल इंडिया की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा कैथा खनिखण्ड, रामगढ़ कोयला क्षेत्र (कोल इंडिया के अधिकार वाला क्षेत्र) और थेसगोड़ा 'सी' खनिखण्ड (डब्ल्यूसीएल के अधिकार क्षेत्र वाला) आदि दो कोयला खनिखंडों में भूमिगत कोयला गैसीकरण के विकास हेतु डेवलपरों के चयन हेतु दिनांक : 27.12.2010 के वैश्विक निविदा जारी किया गया। प्रस्ताव के भाग–1 (एक) को दिनांक : 16.03.2011 को खोला गया। प्राप्त प्रस्तावों की तकनीकी संवीक्षा जारी है।

1.8.0 गहराई में स्थित कोयला एवं लिग्नाइट से सीबीएम की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

''गहराई में स्थित कोयला एवं लिग्नाइट संसाधनों से सीबीएम की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कोयले के एडजार्बसन गुणों पर एक अन्वेषण'' शीर्षक से कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की गई है और इसका कार्य प्रगति पर है।

1.9.0 गोंदवाना बेसिन में शेलगैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

कोल इंडिया की अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की शीर्ष समिति ने दिनांक : 8.03.2011 को हुई अपनी 13वीं बैठक में 400.00 लाख रूपये की प्राक्कलित लागत वाली ''कोल इंडिया क्षेत्र के स्पेशल रेफरेंस के साथ गोंदवाना बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन'' शीर्षक एक नई परियोजना अनुमोदित की है। परियोजना सीएमपीडीआई द्वारा कार्यान्वित की जानी है एडवांस रिसोर्सेज इंटरनेशनल, यूएसए सब–इंप्लीमेंटिग एजेंसी (उप कार्यान्वयक एजेंसी) होगी। परियोजना 2.5 वर्षों की अनुमोदित अवधि के साथ 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी मानी जाएगी।

2.0 परियोजना आयोजना (प्लानिंग) एवं डिजाइन :

वर्ष 2010–11 के दौरान, अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के निर्माण के लिए नए/विस्तारित/पुर्नसंगठित खानों के लिए परियोजना रिपोर्टे कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों की प्राथमिकता के अनुसार तैयार की गई हैं। विभिन्न कोयला क्षेत्रों के मास्टर प्लान और दसवीं योजना परियोजनाओं की रिपोर्टों की तैयारी पर बल दिया गया है। बारहवीं योजना परियोजनाओं की पहचान के लिए भी कवायद की गई है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त अधोलिखित कार्य भी शुरू किए गए :–

- परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन का पुनरीक्षण
- कोयला वाशरियों के लिए डाक–बोली दस्तावेज की संभाव्यता रिपोर्ट/वैचारिक रिपोर्ट और कास्ट माइजेशन।
- बड़ी खुली खदान खानों के लिए परिचानात्मक योजना
- पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- खुली खदान और भूमिगत खानों का माइन क्लोजर प्लान
- आग से निपटने के लिए रिपोर्ट
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग, एनआईटी, निविदा संवीक्षा इत्यादि
- कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत तथा खुली खदानों खानों का खान क्षमता मूल्यांकन
- खुली खदान और भूमिगत खानों के संचालन (ऑपरेशन) से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदान खानों में एचईएमएम संचालन का कार्य निष्पादन विश्लेषण
- कोल इंडिया की भूमिगत खानों में कटिन्यूअस माइनर, पावर्ड सपोर्ट लौंगवाल, हाईस्पीड इन्कलाइन ड्राइवेज और शाफ्ट सिंकिंग के लिए वैश्विक डाकबोली की तैयारी
- वाशरी के अपशिष्ट का उपयोग कर फ्लूडाइज्ड बेड कमब्यूशन (एफबीसी) आधारित थर्मल पावर प्लांटों की स्थापना के लिए मॉडल बीड डाक्यूमेंट एंड वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी

वर्ष 2010–11 के दौरान भूमिगत खानों, रॉक और कोयला नमूनों का भौतिक–यांत्रिक परीक्षण और धँसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, गैर विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन और विस्फोटकों का उपयोग, भूमिगत खानों का संवातन/गैस सर्वेक्षण, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला नमूनों का पेट्रोग्राफी और क्लीट अध्ययन, कोल कोर प्रोसेसिंग एंड एनालाइसिस, धोवन क्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, सॉयल इरोजन अध्ययन, इफ्लूएंट/सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण आदि।

वर्ष 2010–11 के दौरान कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए कुल 383 रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

तैयार रिपोर्टों का विवरण नीचे दिया गया है :–

रिपोर्ट	संख्या
भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट	19
परियोजना रिपोर्ट/संशोधित लागत प्राक्कलन	37
परिचालन योजनाएं	14

अन्य अध्ययन	162*
नए एवं व्यालेशन मामले के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजनाएं (126 फार्म–। सहित)	151
कुल	**383**

* इसमें वेस्ट बोकारों कोयला क्षेत्र और कोरबा कोयला क्षेत्र का मास्टर प्लान शामिल हैं।

वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान तैयार की गई रिपोर्टों का ब्यौरा परिशिष्ट–1 में संलग्न है ।

परिशिष्ट–1

वर्ष 2010–11 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीयसंस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट		
मुख्यालय	1.	टिकाक विस्तारण खुली खान (आउटसोर्सड ड्रिलिंग)
	2.	जगुन (आउटसोर्सड ड्रिलिंग)
क्षे.सं.–I	1	चोरा (संयुक्त)
	2	परासिया जामबाद (रिकास्ट)
क्षे.सं.–II	1	लोयाबाद भू.ग. एवं सिजुआ कोलियरी (जीआर हेतु पीआर)
	2	राजापुर भू.ग. (जीआर हेतु पीआर)
	3	ब्लॉक–II (पीआर के लिए जीआर)
	4	ब्लॉक–V (पीआर के लिए जीआर)
क्षे.सं.–III	1	तोकीसूद–II
क्षे.सं.–IV	1	बोरदा एवं बोरदा वि. (संयुक्त)
	2	मुरपार भू.ग. माइन वि.
	3	मुगोली निरगुदा
क्षे.सं.–V	1	मलाचुआ
	2	जामदाई गुमगारा (आउटसोर्सड ड्रिलिंग)
	3	धानपुरा ईस्ट
	4	अमाडांड ओसी (सभी लोअर सीम सहित)
क्षे.सं.–VI	1	निगाही डीप वि.
क्षे.सं.–VII	1	गरजानबहल डीप साइड
	2	अरखापाल–ए
परियोजना रिपोर्टें		
मुख्यालय	1.	बलराम वि.खु.खा, एमसीएल
क्षे.सं.–I	1	झांझरा भू.ग. में कम उँचाई वाला सीएम के इन्ट्रोडक्शन हेतु परियोजना रिपोर्ट ।
	2	शंकरपुर भू.ग. खान
	3	तिलाबोनी/तिलाबोनी वि.भू.ग.
	4	सिमलाँग ओसी
	5	इटापाड़ा ओसी.
क्षे.सं.–II	1	ब्लॉक IV ओसीपी (1 सीम आधार के साथ)
	2	भूतगोरिया भू.ग.खान
	3	साउथ लोयाबाद भू.ग.

क्षे.सं.–III	1	अशोका विस्तारण ओसी
	2	डाबोर ओसी, ईसीएल
	3	पुंडी ओसी
	4	तापिन समाकलित (साउथ) ओसी)
	5	चानो रिकबा ओसी (XI प्लान)
क्षे.सं.–IV	1	महाकाली भू.ग. (विस्तार) हेतु पीआर
	2	यकोना –I (विस्तार) ओसी (वनोजा ओसी) (XI प्लान)
	3	तावा–III भू.ग.
	4	घटरोहन गोंदेगांव–(ए) ओसी
	5	न्यू माजरी सेक्टर ए विस्तार ओसी (XI प्लान)
	6	बल्लारपुर भू.ग. वि
	7	यकोना–II वि. (शिवानी) ओसी (XIप्लान)
	8	रावनवाड़ा ईस्ट भू.ग.
	9	भाटडी वि.–II ओसी (भाटडी नार्थ वेस्ट ओसी)(XI प्लान)
क्षे.सं.–V	1	शिवाणी भू.ग. आरपीआर
	2	अमृतधारा ओसी
	3	बागदेवा भू.ग. आरपीआर
	4	झिलिमिलि भू.ग. आरपीआर
	5	बकुलमुनी ओसी
	6	बतुरा वि. ओसी (XI प्लान)
	7	बतुरा वेस्ट ओसी (XI प्लान)
क्षे.सं.–VI	1	ब्लॉक–बी, ओसी (रिकास्ट)
	2	खादिया विस्तारण ओसी (रिकास्ट)
क्षे.सं.–VII	1	लखनपुर ओसी वि.(फेज–III)
	2	समलेश्वरी ओसीपी वि.
	3	बेलपहार ओसीपी वि.(फेज–III)
	4	एचबीआई भू.ग. खान के लिए आरपीआर
	5	सियरमल ओसी (XI प्लान)

परिचालन योजना

क्षे.सं.–I	1	कोटट्ाडीह ओसी
	2	चित्रा ओसी
क्षे.सं.–III	1	झारखंड ओसी
	2	के डी एच ओसी
	3	परेज ईस्ट ओसी
क्षे.सं.–IV	1	उमरेर ओसी
क्षे.सं.–V	1	कुसमुंडा ओसी
	2	दिपका ओसी
	3	गेवरा ओसी
क्षे.सं.–VI	1	दुधिचुआ ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष)
	2	निगाही ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष)

	3	वीणा विस्तार ओसीपी (6 मि.ट.प्र.वर्ष)
	4	जयंत ओसीपी (10 मि.ट.प्र.वर्ष)
	5	अमलोरी ओसीपी (10 मि.ट.प्र.वर्ष)
अन्य रिपोर्टें		
क्षे.सं.–I	1	मल्लिक बस्ती ओसी पैच का आउट–सोर्सिंग के जरिए ओसी पैच खनन पर वैचारिक रिपोर्ट।
	2	डाबोर ओसी पैच पर वैचारिक रिपोर्ट।
	3	सिमलौंग ओसी (पीआर के लिए मॉड्ल) ।
	4	सोनपुर बाजारी यूसीई (संयुक्त ओसीपी) के R-VT/R-VII पार्टिंग तथा R-VII/RVII B पार्टिंग से ओबी निराकरण के लिए एचईएमएम को किराए पर लेने हेतु वैचारिक रिपोर्ट।
	5	सोनपुर बाजारी यूसीई (संयुक्त ओसीपी)।
	6	महावीर ओसी में विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।
	7	सतग्राम भू.ग. परियोजना में विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	8	झांझरा भू.ग. में दूसरे कंटीन्यूअस माइनर लगाने के लिए यूसीई
	9	परसीया 6 एवं 7 इन्क्लाइन में विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	10	जे के नगर भू.ग.(0.28 मि.ट.प्र.वर्ष) का फोरक्लोजर रिपोर्ट
क्षे.सं.–II	1	चार खनन ब्लॉकों(मुराईडीह मधुबंद, मुनिडीह एवं पी.बी.)के लिए संशोधित वैश्विक बोली तथा ब्लॉक–2 कन्टीन्यूअस माइनर की वैश्विक बोली।
	2	गोधुर कोलियरी क्षेत्र में एनएच–32 के स्थिरीकरण के लिए योजना।
	3	तीन परित्यक्त/अपसर्जित खदानों यथा केन्दुआडीह, कुस्तौर एवं धर्माबन्द के लिए वैश्विक बिड दस्तावेज।
	4	ऐना कोलियरी में अग्नि से निपटने हेतु स्कीम।
	5	विश्वकर्मा ओसीपी के ऊर्जा संरक्षण अंकेक्षण (ऑडिट) पर रिपोर्ट।
	6	ग्लोवल बिड दस्तावेज (तकनीकी पार्ट) लोहापटट्री कोलियरी
क्षे.सं.–III	1	एएपी कोयड मनातु ओसी
	2	मास्टर प्लान वेस्ट बोकारो कोलफील्ड
	3	डीआरडी ओसीपी (4 मि.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई
	4	अरगडा यूजी के धँसान पूर्वानुमान एवं प्रबंधन पर रिपोर्ट
	5	पचरा ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष) यूसीई
	6	पिपवार मंगरदाहा ओसीपी यूसीई
	7	पिंडरा भू.ग. खान में धंसान पूर्वानुमान प्रबंधन रिपोर्ट
क्षे.सं.–IV	1	पेनगंगा ओसी तक पहुँचने के लिए पेनगंगा नदी के ऊपर पुल के निर्माण पर रिपोर्ट।
	2	घुघुस ओसीएम में ड्रैगलाइन को लगाने के लिए रिपोर्ट
	3	विष्णुपुरी–II भू.ग. के लिए बेंचमार्किंग सहित ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (इलेक्ट्रीकल)।
	4	नईगाँव ओसी के लिए बेंचमार्किंग सहित उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल)।
	5	यकोना–II विस्तार ओसी के लिए माइनेक्स में भूवैज्ञानिक मॉड्ल
	6	घटरोहन गोंदेगांव–(ए) ओसी के लिए माइनेक्स में भूवैज्ञानिक मॉड्ल ।

	7	भाटडी नॉर्थ वेस्ट ओसी के लिए माइनेक्स में भूवैज्ञानिक मॉड्ल
	8	नकोडा भू.ग. से ओसी के लिए वैचारिक रिपोर्ट ।
	9	बल्लारपुर ओसी के लिए योजना।
	10	नाकोडा भू.ग. से ओसी के लिए माइनेक्स में भूवैज्ञानिक मॉड्ेल।
	11	विसापुर ओसी हेतु माइनेक्स में भूवैज्ञानिक मॉड्ल
	12	उकनी ओसी हेतु योजना
	13	शोभापुर भू.ग. के लिए माइन क्लोजर प्लान
	14	सतपुरा–2 भू.ग. के लिए माइन क्लोजर प्लान
	15	पाथाखेरा–1 एवं 2 भू.ग. के लिए माइन क्लोजर प्लान
	16	साओनेर–1 भू.ग. के लिए बेंचमार्किंग सहित ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (इलेक्ट्रिकल)।
	17	सस्ती भू.ग. के लिए माइन क्लोजर प्लान
	18	सीआरसी भू.ग. एवं न्यू माजरी III भू.ग.के लिए माइन क्लोजर प्लान
	19	तावा –1 भू.ग. हेतु ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (इलेक्ट्रिकल) के साथ बेंचमार्किंग
	20	निलजई ओसी हेतु ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल) के साथ बेंचमार्किंग
क्षे.सं.–V	1	राजनगर ओसी (1.7 मि.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई
	2	उमरिया भू.ग. में सतही कम्पन पर रिपोर्ट
	3	महान–II ओसी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	4	विनकारा भू.ग. के लिए धँसान अध्ययन
	5	दामिनि ओसी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	6	मालचुआ (पीआर के लिए मॉड्ेल)
	7	मदन नगर साउथ (पीआर के लिए मॉड्ल)
	8	बतुरा वि. एवं कम्बाइंड (पीआर के लिए मॉड्ल)
	9	कंचन ओसीएम के समीप स्थित (ग्राम्य झोपड़ियों) के पास विस्फोटन प्रेरित प्रकम्पन का अध्ययन
	10	बैरकों एवं रेलवे लाइन के समीप कार्यरत ड्रैगलाइन वर्किंग के लिए राजनगर ओसीएम में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	11	कोरबा कोलफील्ड का मास्टर प्लान
क्षे.सं.–VI	1	वीणा डिसेलिंग संयंत्र में अपशिष्ट की ढुलाई पर रिपोर्ट
	2	कृष्णशीला ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान
	3	ब्लाक बी ओसीपी के लिए माइन क्लोजर प्लान
	4.	चंदेला–बकरी–ककरी नार्थ वीणा ओसी(पीआर के लिए माडल)
	5.	खादिया ओसीपी के लिए माइन क्लोजर प्लान
	6	निगाही ओसीपी का मास्टर प्लान
	7	बलिया नाला का इफिलुएन्ट ट्रिटमेंट हेतु योजना
क्षे.सं.–VII	1	अनन्ता ओसी (15 मि.ट.प्र.वर्ष) के लिए सीएचपी तथा सिलो लोडिंग व्यवस्था के लिए संशोधित योजना।
	2	लिंगराज ओसी वि. का माइन क्लोजर प्लान।
	3	लखनपुर ओसी वि. का माइन क्लोजर प्लान

4 तालचर कोलफील्ड का पावर सोर्स रिओरगेनाइजेशन /नन्दिरा सब–स्टेशन का एगुमेन्टेशन

5 लाजकुरा ओसीपी का प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान

6 पश्चिमी तालचेर भू.ग. के लिए माइनिंग प्लान

7 भुवनेश्वरी ओसीपी के कोल हैण्डलिंग प्लांट एवं साइलों हेतु योजना

8 नटराज भू.ग. का माइनिंग प्लान

9 बसुन्धरा (वेस्ट) ओसीपी एवं जगन्नाथ भू.ग. की खनन योजना (माइनिंग प्लान)

10 तालचर भू.ग. हेतु माइनिंग प्लान

11 लिंगराज ओसीपी की खनन योजना

12 कुल्दा ओसीपी (वसुंधरा वाशरी के लिए) साइलो के निर्माण हेतु योजना

13. जगन्नाथ खु.खा.प. तथा कुल्दा खु. खा.प. की खनन योजना (माइनिंग प्लान)

14. समलेश्वरी खु.ख.प., अनन्त खु.ख.प., हिंगुला खु.खा.प., भरतपुर खु. खा.प. भुवनेश्वरी खु.खा.प., बेलपहाड़ खु खा.प., तालाबीरा खु खा. प., कनिहा खु खा.प., तथा गोपाल प्रसाद खु खा.प., की माइन क्लोजर प्लान

15. नटराज भू.ग., तालचर वेस्ट भू.ग., व्योरिएन्ट–4 भू.ग. तथा चबीआई भू.ग. का माइन क्लोजर प्लान

16. उपग्रह आँकड़े (1: 50000 पैमाना) पर आधारित ईब घाटी कोयला क्षेत्र का भू.उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण

मुख्यालय

1 दामोदर रिवर डायवर्सन (डीआरडी) ओसीपी के लिए 4 मि.ट.प्र.वर्ष वाशरी की स्थापना हेतु वैचारिक रिपोर्ट।

2 ईसीएल के सोनपुर बाजारी वाशरी के लिए वैचारिक रिपोर्ट

3 कुर्जा खान, एसईसीएल में गैस सर्वेक्षण।

4 एपीओ (शीर्ष योजना संगठन) तथा एटीओ (शीर्ष प्रशिक्षण संगठन) की स्थापना के लिए योजना की तैयारी।

5 केदला खान सं.–1, सीसीएल के लिए गैस सर्वेक्षण

6 महाकाली कोलियरी, चन्द्रपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल का संवातन सर्वेक्षण।

7 सिरका ओसी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।

8 सुदामडीह चानक खान (XI/XII सीम), बसेरया कोलियरी (V/VI संयुक्त सीम), दमोदा कोलियरी (IV/V/VI/VII संयुक्त सीम) तथा लोहापटट्री कोलियरी (पाथरगोरिया सीम), बीसीसीएल के लिए आरएमआर तथा शैल भार पर रिपोर्ट ।

9 एमसीएल के जगन्नाथ परियोजना में विद्युत खपत की बेंचमार्किंग तथा विद्युत की खपत के मानकों का निर्धारण।

10 एमसीएल की अनन्ता तथा जगन्नाथ ओसी परियोजना में डीजल की खपत का बैंचमार्किंग तथा डीजल की खपत के मानकों का निर्धारण।

11 ईसीएल के रतिबाती कोलियरी (आर - VI सीम) तथा बदजना कोलियरी (कालिमाटी सीम–टॉप सेक्शन) के आरएमआर तथा शैलभार (रॉक लोड) पर रिपोर्ट।

12 ब्लॉक–II ओसीपी,बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन

13 एमसीएल में ईब वैली (लखनपुर) वाशरी के लिए वैचारिक रिपोर्ट।

14 तोपा आरओ ओसीपी, सीसीएल के लिए मिटट्ी के कटाव का अध्ययन

15 बीसीसीएल के वे–ब्रिजों को डब्ल्यूएएन से जोड़ने के लिए योजना।

16 सेयांग एनडब्ल्यू (आउट सोर्सिंग) की अंतिरम भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट

17 दुग्दा वाशरी, बीसीसीएल के कच्चे कोयले के 58 बीओवीआर वैगन के अनलोडिंग रेक पर रिपोर्ट।

18 मूनीडीह परियोजना, बीसीसीएल के इवाक्यूएशन क्षमता और भूमिगत बंकरेज क्षमता में वृद्धि की संभाव्यता का अध्ययन।

19 धोरी (के) भू.ग. कोलियरी, सीसीएल के लिए धंसान पूर्वानुमान रिपोर्ट

20 बीसीसीएल के पिंडरा कोलियरी (VI/VII संयुक्त सीम, सेक्टर I) और उरीमारी भू.ग. कोलियरी (बंसगढ़ा सीम, सेक्टर–III) के आरएमआर और शैलभार पर रिपोर्ट।

21 पूरनाडीह ओसीपी,, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन

22 भुरकुण्डा–बी कोलियरी, सीसीएल के लोअर सिमाना, हाथीडारी और बांसगढ़ा सीम का गैस सर्वेक्षण।

23 सीसीएल के भुरकुंडा 'बी' कोलियरी (लोअर सीमाना, हाथीडारी और बांसगढ़ा सीम) के आरएमआर और शैलभार पर रिपोर्ट।

24 खान सं. 4 ओरिएन्ट क्षेत्र, एमसीएल में बालू भराई सहित डिपिलरिंग योजना के लिए धँसान गणना रिपोर्ट।

25 उरीमारी ओसीपी, सीसीएल के लिए भू–क्षरण अध्ययन।

26 हिंगुला क्षेत्र , एमसीएल में वाशरी के लिए वैचारिक रिपोर्ट।

27 नवापारा भू.ग., बलगी भू.ग. एवं बिनकारा भू.ग. .एसईसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।

28 ईसीएल के हुरा सी ओसी के 30 कि.मी. के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।

29 कुल्दा ओसीपी, एमसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।

30 कायदा–चौधर–गारियापानी (आउटसोर्सिंग) का अंतरिम भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट

31 सीसीएल की तापिन ओसीपी के लिए मिटट्ी के अपरदन का अध्ययन

32 एसईसीएल की बटुरा ओसीपी एवं सीसीएल के अशोका वाशरी एवं अशोका ओसीपी के कोर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण ।

33 ईसीएल के झांझरा ओसीपी के बफरजोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण

34 वर्ष 2009–10 के दौरान सीआईएल माइन्स के क्षमता यूटिलाइजेशन एवं ओसी माइन क्षमता का मूल्यांकन

35 सीआईएल माइन्स के क्षमता यूटिलाइजेशन एवं भू.ग. माइन क्षमता का मूल्यांकन

36 पान्डवेश्वर कोलियरी (आर R-V,R-IV,R-II/III एवं R-VI सीमो) का आरएमआर तथा रॉक लोड पर रिपार्ट

37 डब्ल्यूसीएल के पउनी माइन का डीजल खपत एवं डिजल खपत के नॉर्म्स का बेंच मार्किंग

38 ईसीएल के हरिपुर भू.ग.,बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण

39 एसईसीएल के तीन चिन्हित किये गये ओपेनकास्ट के खदानवार डीजल की वार्षिक खपत की बेंचमार्किंग।

40 एनसीएल के 8 चिन्हित किये गये ओपेनकास्ट माइन्स के खदानवार डीजल की वार्षिक खपत की बेंच मार्किंग

41 खादिया सीएचपी (फेज–1) के लिए ऑटो सैम्पलिंग व्यवस्था।

42 बीसीसीएल के गजलीटाँड़ कोलियरी में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।
43 सीसीएल के परेज ईस्ट ओसी, तेतरियाखार ओसी, पिपरवार–मंगरदाहा ओसी एवं ढ़ोरी वाशरी के बफर जोन का भूमि उपयोग/ भूमि आच्छादन का मानचित्रण (मैपिंग)।
44 सीसीएल की सारूबेरा एवं अरगडा कोलियरियों में गैस सर्वेक्षण।
45 सीसीएल की चूरी कोलियरी (अपर बचरा सीम) के आरएमआर तथा शैल भार (रॉक लोड) पर रिपोर्ट।
46 एमसीएल के ओरिएन्ट कोलियरी (लाजकुरा सीम–2) के आरएमआर तथा सपोर्ट ले–आउट पर रिपोर्ट।
47 एचईएमएम (2009–10) का कार्य निष्पादन विश्लेषण।
48 डीजल/पावर/एक्सप्लोसिव्स की विशेष (स्पेसिफिक) खपत।
49 2009–10 के दौरान क्षमता एवं क्षमता उपयोग।
50 झारखण्ड के सीसीएल खदान में डीजल खपत के निर्धारण के मानक (नार्म्स) का बेंचमार्किंग।
51 एसईसीएल के उमरिया कोलियरी में गैस सर्वेक्षण
52 इसीएल के कोटट्डीह कोलियरी (आर–II/III,आर–IV,आर–V एवं आर–VIसीम) के आरएमआर तथा सपोर्ट ले–आउट पर रिपोर्ट
53 ईसीएल के बंसरा भू.ग. के बफर जोन का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन का मानचित्रण (मैपिंग)
54 बीसीसीएल के कलस्टर–1 एवं 2 के वाशरी एवं खदानों के बफर जोन का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन का मानचित्रण।
55 एसईसीएल के चुरचा भू.ग. के बफर जोन का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन का मानचित्रण।
56 सीसीएल के तारमी ओसीपी के लिए भू–क्षरण अध्ययन।
57 सीसीएल के आम्रपाली ओसीपी के लिए भू–क्षरण अध्ययन।
58 सीसीएल के आरा ओसीपी के लिए भू–क्षरण अध्ययन
59 सीसीएल के अरगडा कोलियरी (1 सीम) तथा सारूबेरा ईस्ट माइन (1 सीम) के आरएमआर तथा शैल भार पर रिपोर्ट
60 सीसीएल के आरा ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
61 ईसीएल के रंगामाटी–ए, भू.ग. के बफर जोन का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन का मानचित्रण
62 डब्ल्यूसीएल के दमुआ एवं सस्ती भू.ग. के भूमि उपयोग का मानचित्रण।
63 अशोक ओसीपी, सीसीएल में डीजल की खपत की बेनचमार्किंग तथा डीजल खपत मानक का निर्धारण।
64 फुलाड़ीटाँड़ ओसीपी, बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
65 रंगामाटी–बी, भू.ग., ईसीएल के बफर एवं कोर जोन के भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
66 सीएम, पीएसएलडब्ल्यू, हाई स्पीड इन्क्लाइन ड्राइवेज तथा शॉफ्ट शिंकिंग लगाने के लिए मानकीकृत वैश्विक बोली।
67 जे के नगर कोलियरी (सतग्राम सीम), ईसीएल के आरएमआर तथा शैलभार पर रिपोर्ट।
68 के डी इन्क्लाइन कोलियरी (केडी) सीम, ईसीएल के आरएमआर तथा सपोर्ट ले–आउट पर रिपोर्ट।
69 सिंगरौली कोयला क्षेत्र के मोहर सब–बेसिन के ओसी खदानों के डीप साइड के परिचालन में सीएमएम संभाव्यता के मूल्यांकन पर रिपोर्ट।
70 कोरबा कोयला क्षेत्र के ओसी खदानों के डीप साइड के परिचालन में सीएमएम संभाव्यता के मूल्यांकन पर रिपोर्ट।

71 सीसीएल, मगध ओसीपी के लिए भू–क्षरण अध्ययन

72 सीसीएल के 14 चिन्हित् किये गए ओसी खदानों के खदानवार डीजल की वार्षिक खपत की बेंचमार्किंग।

73 एमसीएल के 5 चिन्हित् किये गए ओसी खदानों की खदानवार डीजल की वार्षिक खपत की बेंचमार्किंग।

74 बीसीसीएल के 14 चिन्हित् किये गए ओसी खदानों की खदानवार डीजल की वार्षिक खपत की बेंचमार्किंग।

75 ईसीएल के 9 चिन्हित् किये गए ओसी खदानों की खदानवार डीजल की वार्षिक खपत की बेंचमार्किंग।

76 डब्ल्यूसीएल के 14 चिन्हित् किये गए ओसी खदानों की खदानवार डीजल की वार्षिक खपत की बेंचमार्किंग।

77 वसुन्धरा (वेस्ट) एवं लिंगराज ओसीपी का प्रबोधन (ईल्यूमिनेशन) सर्वे।

78 वर्ष 2009–10 में सीसीएल के मूल्य आधारित संशोधित सभी धारित खदानों (3 नं.) के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन।

79 वर्ष 2009–10 में डब्ल्यूसीएल के मूल्य आधारित संशोधित सभी स्टोईंग (धारित) खदानों (13 नं.) के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन।

80 वर्ष 2009–10 में एमसीएल के मूल्य आधारित संशोधित सभी स्टोईंग खदानों (2 नं.) के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन।

81 वर्ष 2009–10 में बीसीसीएल के मूल्य आधारित संशोधित सभी स्टोईंग खदानों (12 संख्या) तथा डी एवं रोप वेज से बालू ढुलाई के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन।

82 एमसीएल के स्टोईंग सहित ओरिएन्ट खान नं. 4 की डिपिलियरिंग के लिए योजना।

83 दिनांक 1.4.2011 के प्रक्षेपणों (प्रोजेक्शन) के अनुसार सीआईएल के ओसी खदानों की खान क्षमता का मूल्यांकन।

84 एसईसीएल के अमुतधारा भू.ग., शीतलधारा भू.ग. कपिलधारा भू.ग. एवं बकुलमुनी भू.ग. के बफर जोन का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन मानचित्रण (मैपिंग)।

85 वरदा वैली कोयलांचल, कामप्टी कोयलांचल विश्रामपुर कोयलांचल, ईव वैली कोयलांचल तथा मांद–रायगढ़ कोयलांचल का भूमि उपयोग/वनस्पति आच्छादन मानचित्रण।

<u>पर्यावरण प्रबंध योजना</u>

<u>नये मामले</u>

<u>ड्राफ्ट ईएमपी</u>

मुख्यालय	1	धोरी वाशरी
क्षे.सं.–I	1	रांगामाटी बी भू.ग.
	2	रांगामाटी ए भू.ग.
	3	तिलाबोनी भू.ग.
क्षे.सं.–II	1	मधुबंद वाशरी
	2	पाथरडीह वाशरी
	3	दमुदा बीजे (कलस्टर–1 माइन)
क्षे.सं.–III	1	अशोका वाशरी
	2	पिपरवार मंगरदाहा ओसी
	3	परेज इस्ट भू.ग.
क्षे.सं.–IV	1	इन्दर भू.ग. से ओसी
	2	मुगोली ओसी वि.
	3	उकनी डीप ओसी

	4	धोरवासा ओसी वि.
	5	तेलवासा ओसी वि.
	6	मोटाघाट ओसी
	7	काम्पटी डिप ओसी
क्षे.सं.–V	1	धानपुरी–अमलाई ग्रुप ऑफ माइन्स
	2	गेवरा ओसी वि. (खण्ड 7.2 के तहत)
	3	दिपका ओसी वि.(खण्ड 7.2 के तहत)
क्षे.सं.–VII	1	तलाबिरा II एवं III ओसीपी (23 मि.ट.प्र.वर्ष)
<u>फार्म–1 :</u>		
मुख्यालय	1	वसुन्धरा वाशरी
	2	जगन्नाथ वाशरी
क्षे.सं.–I	1	तिलाबोनी भू.ग.
	2	नरायणकुरी भू.ग.
क्षे.सं.–II	1	पाथरडीह वाशरी
	2	दुग्दा वाशरी
	3	ब्लॉक–II भू.ग. (कलस्टर–II माइन)
	4	फुलारीटांड़ ओसी (कलस्टर II माइन)
	5	सिंगरा भू.ग. (कलस्टर XI माइन)
क्षे.सं.–III	1	के डी एच ओसी
	2	अशोका वि. ओसीपी
	3	पीचरी ओसीपी
क्षे.सं.–IV	1	मोटाघाट ओसी
	2	सखारी–ईरावती (पउनी–III) ओसी
	3	कॉमटी डीप ओसी
	4	तावा–II भू.ग. वि.
	5	तावा–III भू.ग.
	6	धाउ नार्थ भू.ग.
	7	निलजई डीप ओसी
	8	मुरपार भू.ग. वि.
<u>उल्लंघन के मामले</u>		
<u>ड्राफ्ट ईएमपी</u>		
क्षे.सं.–III	1	तेतरियाखार ओसी
		<u>कलस्टर–1 माइन्स, बीसीसीएल</u>
क्षे.सं.–II	1	दमुदा (अलबियन)
	2	दमुदा भू.ग.
	3	दमुदा (घटवे) (क्लोज्ड माइन)
<u>फार्म–1</u>		<u>कलस्टर–V माइन्स, ईसीएल</u>
क्षे.सं.–I	1	परवेलिया भू.ग.
	2	दूवेश्वरी भू.ग.
		<u>क्लस्टर -VI माइन्स, ईसीएल</u>
	3	धेमोमैन भू.ग.

4 सोदेपुर भू.ग.
5 नरसामुंडा भू.ग.
6 पतमोहना भू.ग.
7 चिनाकुरी–1 भू.ग.
8 चिनाकुरी–3 भू.ग.
9 बेजडिह भू.ग.
10 मेथानी भू.ग.
11 शीतलपुर भू.ग.

क्लस्टर -VII माइन्स, ईसीएल

12 मनोहरबहल भू.ग.
13 चकबल्लवपुर भू.ग.
14 वेस्ट भनोरा भू.ग.
15 बरमोंदिया भू.ग. (क्लोज्ड माईन)

क्लस्टर –II माइन्स, ईसीएल

16 कुमारधुबी भू.ग.
17 बारमुरी ओसी
18 राजपुरा ओसी

कलस्टर–IX माइन्स, ईसीएल

19 रतिबाती भू.ग.
20 चपुई खास भू.ग.
21 तिरॉप भू.ग.
22 कुआरडीह भू.ग.
23 निमचा भू.ग.
24 घुसिक भू.ग.
25 काली पहाड़ी भू.ग.
26 मुसलिया भू.ग.
27 न्यू घुसिक भू.ग.
28 जिमिहारी भू.ग.
29 दमड़ा भू.ग.
30 महावीर भू.ग.

कलस्टर–I माइन्स, ईसीएल

31 हरियाजाम भू.ग.
32 बदजना भू.ग.
33 चापापुर–2 भू.ग.
34 खूदिया भू.ग.
35 लखिमाता भू.ग.
36 शामपुर बी भू.ग.
37 मंदमान भू.ग.
38 निरसा भू.ग.
39 शामपुर–ए भू.ग. एवं पैच
40 गोपीनाथपुर भू.ग. एवं पैच

41 कपसरा भू.ग.

<u>कलस्टर–XII माइन्स, ईसीएल</u>

42 पाण्डवेश्वर भू.ग.

43 दालुरबंद ओसी एवं भू.ग.

44 मांदेरबोनी भू.ग.

45 साउथ समला भू.ग.

46 माधईपुर भू.ग.

47 नुतनडंगा भू.ग.

48 केन्दरा भू.ग.

49 समला भू.ग.

क्षे.सं.–II <u>क्लस्टर -VII माइन्स, बीसीसीएल</u>

1 धनसार भू.ग.

2 अलकुसा भू.ग.

3 कुसुण्डा ओसी

4 सा. झरिया /आरओसीपी ओसी

5 बर्रागढ़ भू.ग.

6 शिमलाबहल, भू.ग.

7 हुरिलाडीह भू.ग.

8 इन्डस्ट्री भू.ग. (बंद खान)

9 ईना ओसी (बंद खान)

10 कुस्तौर भू.ग. (बंद खान)

11 ईस्ट भुग्गाडीह भू.ग. (बंद खान)

12 भुतगोरिया भू.ग. (बंद खान)

<u>क्लस्टर - XI माइन्स, बीसीसीएल</u>

13 लोदना भूगर्भ खान

14 नार्थ तिसरा भूमिगत खान

15 दक्षिणी तिसरा/एनटीएसटी ओसी

16 बागीडीह भूमिगत खान/ओसी

17 जयरामपुर भूमिगत खान

18 जीनागोरा ओसी

19 बरारी भूमिगत खान एवं ओसी

20 जियलगोरा मिश्रित खान (बन्द खान)

<u>क्लस्टर - X माइन्स, बीसीसीएल</u>

21 भौरा (नार्थ) भू.ग. एवं ओसी

22 भौरा (साउथ) भू.ग.

23 सीओसीपी

24 सुदामडीह (इनक्लाइन) भू.ग.

25 सुदामडीह (शाफ्ट) भू.ग.

26 पाथरडीह ओसी एवं भू.ग.

27 अमलाबाद (मिक्स्ड) माइन (क्लोज्ड माइन)

<u>क्लस्टर -V माइन्स, बीसीसीएल</u>

28 तेतुलमारी मिक्सड
29 मुदीदिह भू.ग.
30 निचितपुर ओसी
31 सेन्दरा बंसजोरा मिक्सड
32 बासदेवपुर मिक्सड
33 कनकनी ओसी
34 लोयाबाद भू.ग. (क्लोज्ड माइन)

क्लस्टर – II माइन्स, बीसीसीएल

35 ब्लाक–II ओसी
36 जमुनिया ओसी
37 मुराईडीह ओसी
38 शताब्दी ओसी

क्लस्टर - XV माइन्स, बीसीसीएल

39 मधुबंद भू.ग.
40 फुलारीटांड़
41 खरखरी भू.ग.
42 धरमाबंद मिक्सड माइन (क्लोज्ड माइन)

मुख्यालय

क्लस्टर -VIII माइन्स, बीसीसीएल

1 बस्ताकोला ओसी एवं भू.ग.
2 बेरा ओसी एवं भू.ग.
3 दोबारी भू.ग.
4 कुया ओसी एवं भू.ग.
5 घानूडिह ओसी
6 गोलूकडीह भू.ग. एवं ओसी
7 कुजामा भू.ग. (क्लोज्ड माइन)

कलस्टर–XI माइन, बीसीसीएल

8 गोपालीचक भू.ग. एवं ओसी
9 कच्ची बलिहारी 10/12 पीट भू.ग.
10 पी बी परियोजना भू.ग.
11 भागबंद भू.ग.
12 मुनिडीह भू.ग.
13 केन्दुआडीह भू.ग. (क्लोज्ड माइन)
14 पुटकी भू.ग. खूदिया भू.ग. (क्लोज्ड माइन)
15 कच्ची बलिहारी भू.ग. (क्लोज्ड माइन)

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करण :

सीएमपीडीआई कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण संयंत्र और वर्तमान संयंत्रों के रूपांतरण/आधुनिकीकरण में अवधारणा से संस्थापन तक एक व्यापक स्पेक्ट्राम वाला प्रोद्योगिकी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। ब्रोड (व्यापक) प्रौद्योगिकीय सेवाओं में एक्जाहास्टिव लेबोरेटरी अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजना, विस्तृत डिजाइन, निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यापक क्षेत्र शामिल है।

सीएमपीडीआई द्वारा खुले बाजार की बड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बीच विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ''सीमेंट उद्योग हेतु कोयला वाशरियों के तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट'' नामक परियोजना और एडीबी द्वारा निधि प्रदत्त।

''भारत में कोयला परिष्करण के जरिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन'' नामक परियोजना सहित कोयला एवं अन्य खनिजों के परिष्करण के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जा चुके हैं :

(क) रिपोर्ट/अध्ययन :

1. दामोदर रिवा (नदी) डयवर्सन (डीआरडी) खुली खदान परियोजना के लिए 4.0 मी.ट.प्र.व. क्षमता वाली वाशरी की स्थापना हेतु वैचारिक रिपोर्ट
2. सोनेपुर बाजारी, ईसीएल में बीओएम अवधारणा पर 8.0 मी.ट.प्र.व. क्षमता वाली गैर–कोकिंग कोयला वाशरी की स्थापना के लिए संशोधित वैचारिक रिपोर्ट
3. धोरी वाशरी, सीसीएल की स्थापना के लिए अधतित लागत प्राक्कलन और रूचि की अभिव्यक्ति की तैयारी।
4. ईब घाटी वाशरी (लखनपुर वाशरी) के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
5. वर्ष 2009–10 के लिए बीसीसीएल, सीसीएल एवं डब्ल्यूसीएल में स्थित कोल इंडिया लि0 के 16 वाशरियों हेतु डाटा बैंक का विकास
6. दुग्धा वाशरी, बीसीसीएल के कच्चे कोयले के 58 बीओबीआर वैगनों के अनलोडिंग रैक पर रिपोर्ट
7. छेदीपाड़ा कोयला खनिखंड के बोर होल नमूनों के घोवन क्षमता परीक्षण पर रिपोर्ट की तैयारी
8. सीबीएमई 101, 104, 105 एवं 107 का धोवन क्षमता परीक्षण
9. तालचर कोयला क्षेत्र, एमसीएल के हिगुला वाशरी का वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
10. एमईसीएल के लिए नौगाँव–तेलेशही खनि खंड, तालचर कोयला क्षेत्र के कोल कोर नमूनों का धोवन क्षमता परीक्षण पर रिपोर्ट की तैयारी
11. स्वांग वाशरी में स्वच्छ कोयले और धुले कोयले के पावर बंकरों के स्टोरेज (धारण) क्षमता में वृद्धि
12. परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

(i) टीएसडी की तैयारी

निविदा दस्तावेज :

(i) नंदन वाशरी, डब्ल्यूसीएल में वर्तमान कोर्स कोल और फाइन कोल जिग का टर्न–की–आधार पर उपयुक्त मॉडर्न जिग से बदलाव पर निविदा दस्तावेज की तैयारी

2. केदला वाशरी में एप्रोनफीडर, प्राइमरी एंड सेंकडरी ट्विन शाफ्ट साइजर्स की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रण सूचना की तैयारी

निविदा संवीक्षा :

1. वसुन्धरा वाशरी (10 मी.ट.प्र.व.) एमसीएल का 'बीओएम'अवधारणा पर बिडो (आरएफपीएंड प्राइस) का मूल्यांकन
2. अशोका वाशरी (5 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल के लिए 'बीओएम' अवधारणा पर बिडो (आरएफक्यू एवं आरएफपी) का तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन
3. पाथरडीह एनएलडब्ल्यू कोयला वाशरी, बीसीसीएल हेतु बीओएम अवधारणा पर बिडो (आरएफक्यू एंड आरएफपी) का मूल्यांकन

अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

1. इडो–यूएस के तहत कोल वाशिंग सिमूलेटर के विकास हेतु करार (एग्रीमेंट) की तैयारी
2. रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन एवं रिमूवल का उपयोग कर शुष्क परिष्करण के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी

बाह्य परामर्श :

1. तसरा ओसीपी (समेकित खनन एवं वाशरी) में वाशरी की स्थापना से संबंधित रिपोर्ट का संशोधित लागत प्राक्कलन
2. एनटीपीएल के लिए भुवनेश्वरी खान, तालचर कोयला क्षेत्र के कोयला नमूनों का परीक्षण
3. एमईसीएल हेतु नौगाँव–तेलेसाही खनिखंड, तालचर कोयला क्षेत्र के कोल कोर नमूनों का धोवन क्षमता परीक्षण

2.2 **परियोजना मूल्यांकन :**

1. वर्ष 2010–11 के दौरान सीएमपीडीआई, मुख्यालय के विभागों और क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयारी की गई 30 परियोजना रिपोर्टों/प्राक्कलित परियोजना रिपोर्टों/मास्टर प्लान/अन्य रिपोर्टों के मसौदों की संवीक्षा और मूल्यांकन तथा इन रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय संस्थानों के मार्ग–दर्शन के लिए सीएमपीडीआई(मुख्यालय) में 39वीं प्रस्तुति हेतु समन्वयन ।
2. प्रत्येक तिमाही में होने वाली सचिव (कोयला) की संवीक्षा बैठक के लिए 500 करोड़ रूपए से अधिक लागत वाली खासकर सीएमपीडीआई के उत्तरदायित्व के तहत कार्रवाई से संबंधित चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण।
3. सचिव (कोयला) की तिमाही संवीक्षा बैठक के समय पर कोल इंडिया लिमिटेड की XI योजना कोयला परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों के निर्माण की स्थिति का अद्यतनीकरण।

3.0 भूमिगत खनन और खुली खदान खनन :

3.1 भूमिगत खनन :

वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए :

(क) **बाह्य परामर्शी कार्य :**

1. रामनगर कोलियरी ईस्को के महताडीह, रायडीह के बेगुनिया सीम हेतु खनन योजना की तैयारी
2. वर्ष 2009–10 संशोधित मूल्य (प्राइस) के आधार पर एससीसीएल के सभी 22 स्टेविंग खानों हेतु बालू भराई की नार्मेटिव (मानकीय) लागत का मूल्यांकन
3. वर्ष 2009–10 में संशोधित मूल्य के आधार पर टीएसएल के सभी 5 स्टोविंग खानों हेतु बालू भराई की नार्मेटिव लागत का मूल्यांकन
4. वर्ष 2009–10 में संशोधित मूल्य के आधार पर आईएसपी एसएआईएल के सभी 3 स्टोविंग माइन्स के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन
5. हुट्टी गोल्ड माइन्स में नए शाफ्ट के उपकरण के निर्माण एवं फर्निशिंग के लिए डिजाइन के बिड डाक्यूमेंट एवं वेटिंग, ईओआई की तैयारी
6. गेरे पेल्मा सेक्टर, रायगढ़ कोयला क्षेत्र, सीजी के गेरे–।।। उप–खनिखण्ड हेतु डीपीआर की तैयारी
7. बिहार स्पंज आयरन लि0 हेतु माछेरकुंड कोयला खनिखंड के लिए खनन योजना एवं परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
8. एमओआईएल के बालाघाट खान में लगभग 630 मी0 गहरे 7.5 मी0व्यास के वर्टिकल हाई स्पीड शाफ्ट के सिंकिंग के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी एवं डिजाइन सहित व्यापक परामर्शी सेवाएँ

ख) **कोल इंडिया लिमिटेड के कार्य** :

1. कुर्जा खान, हसदेव क्षेत्र, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण
2. महाकाली कोलियरी, चन्द्रपुर एरिया, डब्ल्यूसीएल का संवातन सर्वेक्षण
3. कुनस्तोरिया खान, ईसीएल हेतु स्थायी हेड फ्रेम, पिट सं0–1 एवं 2 का स्थायित्वता विश्लेषण
4. केदला खान सं0–1, हजारीबाग क्षेत्र, सीसीएल का गैस सर्वेक्षण
5. आरओसीपी/एसजे, कुस्तोर क्षेत्र, बीसीसीएल में 3 पैरेलेल इन्क्लाइन ड्रिफ्ट हेतु सपोर्ट डिजाइन एवं बिल की क्वांलिटीज की तैयारी
6. भुरकुंडा–बी कोलियरी के लोअर सीमाना, हथियाडरी और बंसगढ़ा सीम का गैस सर्वेक्षण
7. मास (Mass) प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द्वारा मूराईडीह भूमिगत खान से कोयले के निष्कर्षण और विकास हेतु डाक बोली (बिड) का तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन
8. बरका सयाल क्षेत्र, सीसीएल का गैस सर्वेक्षण
9. सारूबेड़ा कोलियरी, सीसीएल का गैस सर्वेक्षण
10. कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत खानों का क्षमता मूल्यांकन और उपयोग
11. अरगडा कोलियरी, सीम 1 एवं जे–सीसीएल का गैस सर्वेक्षण
12. उमारिया कोलियरी, जोहिला क्षेत्र, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण
13. अलकुसा कोलियरी, बीसीसीएल में 6 पीट वाइन्डर के फ्लीट एंगल में कमी पर रिपोर्ट
14. नांदिरा भूमिगत खान, तालचर क्षेत्र, एमसीएल हेतु पीवी 300 फैन के लिए उपयुक्त फैन ड्रिफ्ट एवं फैन हाउस का विस्तृत डिजाइन ड्राईंग
15. कंटीन्यूअस माइनर, पीएसएलडब्ल्यू एवं हाई स्पीड इन्कलाइन ड्राइवेज तथा शाफ्ट सिंकिंग के कार्य में लगाने के लिए मानकीकृत वैश्विक डाकबोली की तैयारी
16. 2009–10 में संशोधित मूल्य के आधार पर जे के रोपवे के सभी 43 स्टोईंग माइन्स एवं बालू ढुलाई के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन
17. 2009–10 में संशोधित मूल्य के आधार पर डीएंडएफ रोपवे के सभी 12 स्टोईंग खान और बालू की ढुलाई हेतु बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन

18. 2009–10 में संशोधित मूल्य के आधार पर सीसीएल के सभी 3 स्टोईंग माइन्स हेतु बालू भराई की मानकीय लागत का निर्धारण
19. 2009–10 में संशोधित मूल्य के आधार पर डब्ल्यूसीएल के सभी 13 स्टोविंग माइन्स हेतु बालू भराई की माननीय लागत का निर्धारण
20. 2009–10 में संशोधित मूल्य के आधार पर डब्ल्यूसीएल के सभी 13 स्टोविंग माइन्स के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का निर्धारण
21. स्टोविंग सहित ओरिएंट खान संख्या–4, एमसीएल के डिपीलरिंग की योजना

* चरण–I : डिपीलरिंग योजनाएँ
* चरण–II : सैंड स्टोविंग अरेंजमेंट का विस्तृत डिजाइन
* चरण–III : बालू भराई की मानकीय लागत का प्राक्कलन

22. झरिया परियोजना, ईसीएल के आर–VI सीम में मैनराइडिंग प्रणाली का तकनीकी संभाव्यता पर अध्ययन रिपोर्ट
23. यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन हेतु मानक एनआईटी
24. एनईसी (भूमिगत भाग) का मास्टर प्लान
25. चिनाकुरी–1, भूमिगत खान, ईसीएल के लिए संयुक्त उद्यम रूट के जरिए परिचालन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना के मसौदे की तैयारी
26. सिरका भूमिगत खान, सीसीएल में अपर सीमाना एवं लोअर सीमाना सीमों के पैनल–सी में एच/एल में सुधार हेतु अध्ययन
27. तालचर क्षेत्र एमसीएल के जगन्नाथ भूमिगत खान के लिए परियोजना रिपोर्ट के मसौदे की तैयारी
28. कुरसिया भूमिगत खान, चिरिमिरी क्षेत्र, एसईसीएल के एयर शाफ्ट का विस्तृत डिजाइन ड्राईंग

8.2 **खुली खदान खनन** :

वर्ष 2010–11 के दौरान पूरे किए गए कार्य :

(क–1) **बाह्य परामर्शी कार्य** :

1. पकरी बरवाडीह खुली खदान परियोजना (15 मी.ट.प्र.व.) एनटीपीसी हेतु परियोजना लागत प्राक्कलन
2. माहन खुली खदान परियोजना 8.5 मी.ट.प्र.व.के लिए बैंकेबल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
3. हदला, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए माइन क्लोजर प्लान
4. समेकित तसरा खान एवं वाशरी (तकनीकी भाग), सेल के लिए निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज

(क–2) **मुख्य आंतरिक परामर्शी सेवाएँ** :

1. बलराम विस्तार (15 मी.ट.प्र.व.) (रिकास्ट), एमसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट
2. तिपांग खुली खदान (1 मी.ट.प्र.व.), एनईसी हेतु अद्यतित लागत प्राक्कलन

(क–3) **अन्य मुख्य कार्य** :

1. कोल इंडिया की सभी खुली खानों की क्षमताओं का मूल्यांकन
2. कोल इंडिया की खुली खदान खानों में नियोजित एचईएमएम का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन
3. कोल इंडिया आईपीओ के लिए खानों एवं खनिखंडों का कोटि–वार रिजर्व का निर्धारण (मूल्यांकन)
4. कोल इंडिया की खुली खदान खानों में विस्फोटकों, डीजल एवं वैद्युत की विशिष्ट खपत

5. परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी संवीक्षा

ख. **चालू कार्य** :

(ख–1) **बाह्य परामर्शी कार्य** :

1. पालना लिग्नाइट खान, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन हेतु खनन योजना (मसौदा रिपोर्ट सुपुर्द)
2. पालना लिग्नाइट खान, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए संभाव्यता रिपोर्ट (मसौदा रिपोर्ट सुपुर्द)
3. गरे–।।।, खुली खदान परियोजना, गोवा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन हेतु मसौदा परियोजना रिपोर्ट (मसौदा रिपोर्ट सुपुर्द)
4. देवांगुडी लिग्नाइट खान परियोजना, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए खनन योजना
5. देवांगुडी लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए संभाव्यता रिपोर्ट
6. तसरा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट (खान + वाशरी), सेल हेतु अद्यतित लागत प्राक्कलन (यूसीई)

(ख–2) **मुख्य आंतरिक परामर्शी कार्य :**

1. अरगडा खुली खदान परियोजना (1.2. मी.ट.प्र.व.), सीसीएल के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट (मसौदा सुपुर्द)
2. जगन्नाथ खुली खदान परियोजना (री. आर्ग.), एमसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट
3. टिकाक खुली खदान परियोजना, एनईसी के लिए संभाव्यता रिपोर्ट
4. एनईसी का मास्टर प्लान

4.0 **अभियंत्रण सेवाएँ** :

कोल हैंडलिंग प्लांट, कर्मशाला, विद्युत आपूर्ति वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली, पम्पिंग एवं जल निकास प्रणाली, औद्योगिक एवं आवासीय भवन, सड़क एवं रेलवे साइडिंग, टाउनशीप के लिए परामर्शी सेवा देने के अलावे निम्नलिखित सेवाएँ दी गईं :

4.1 **सिविल अभियंत्रण सेवाएँ** :
चालू परियोजनाएँ :

समीक्षाधीन वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की गई :

1. 3000 टन क्षमता का रैपिड लोडिंग सिलो, 2000 टन क्षमता का भूमिगत बंकर, गायरेटरी क्रशर सहित रिसिविंग पिट, सम्बद्ध कन्वेयर स्ट्रक्चर और सम्बद्ध सिविल/संरचनात्मक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा सहित 10 मी.ट.प्र.व. की क्षमता वाला अमलोरी कोल हैंडलिंग प्लांट के लिए डिजाइन/ड्राईंग की संवीक्षा।
2. 4000 टन क्षमता का दो रैपिड लोडिंग सिलो, ग्राउन्ड बंकर, ट्रक रिसिंव हौपर्स का दो लोशन, सम्बद्ध कन्वेयर संरचना और सम्बद्ध सिविल/संरचनात्मक और इफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं सहित 15 मी.ट.प्र.व. क्षमता वाला भरतपुर कोयला निपटान संयंत्र के लिए डिजाइन/ड्राईंग की संवीक्षा।

पूरे किए गये कार्य :

1. पदमपुर सीएचपी डब्ल्यूसीएल का डिजाइन
2. रनिंग वैगन द्वारा जयंत सीएचपी हिट के लगभग 35 मीटर ऊँचे क्षतिग्रस्त ट्रेसल (trestle) का पुनरूद्धर
3. सेंट्रल हौस्पिटल, एमसीएल, तालचर के लिए आंतरिक डिजाइन और वातानुकूलन योजना।
4. माधवपुर भूमिगत खान मिथानी कोलियरी पिट सं0–1 और पिट संख्या–3 के हेड फ्रेम का संरचनात्मक स्थायित्वता अध्ययन
5. कृष्णशीला मेन सीएचपी और ब्लॉक बी सीएचपी के लिए टर्न की निविदा दस्तावेज
6. दुधिचुआ खुली खदान परियोजना, एनसीएल(सिविल पार्ट) में वर्तमान ओबी सब स्टेशन के स्थानांतरण के लिए टर्न की निविदा दस्तावेज की तैयारी
7. बीसीसीएल के लिए 132 के.बी. सब–स्टेशन की संभाव्यता की तैयारी
8. सीएमपीडीआई क्षे.सं.–5, बिलासपुर के लिए 8 बी–टाईप क्वार्टरों का विस्तृत वास्तुशील्पीय डिजाइन, निविदा दस्तावेज की तैयारी टेंडरिंग, निविदा को अंतिम रूप देने तथा कार्य सौंपना और विस्तृत डिजाइन तैयार करना
9. धानपुरी खुली खदान परियोजना के सीएचपी के बंकर का संरचनात्मक स्थायित्व और
10. कन्वेयर संरचना का अध्ययन : स्टैंण्डर्ड ए और बी टाइप क्वार्टरों, एमसीएल का डिजाइन
11. छोटूडीह, कतरास क्षेत्र में भूमिगत खान में वाटर डैम की डिजाइन

4.2 विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ :

4.2.1 बाह्य परामर्श :

माहान कोल लिमिटेड के माहन खुली खदान परियोजना के लिए विश्वसनीय (बैंकेबल) डीपीआर हेतु खान आधारभूत संरचना सुविधा (सीएचपी, विद्युत, आपूर्ति, रख–रखाव सुविधा एवं पम्पिग)

- एनएलसी के पालना लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट के लिए संभाव्यता रिपोर्ट हेतु खान आधारभूत संरचना सुविधा(सीएचपी, जलापूर्ति, रख–रखाव सुविधा एवं पम्पिंग)
- जीएमडीसी के गारे–।।। खुली खदान परियोजना हेतु संभाव्यता रिपोर्ट के लिए खान आधारभूत संरचना (सीएचपी, विद्युत आपूर्ति, रख–रखाव सुविधा एवं पम्पिंग)

4.2.2 कोल हैंडलिंग प्लांट (कोयला निपटान संयंत्र) :

- अमलोरी सीएचपी, चरण–।।–10 मिलियन टन प्रति वर्ष, (6 मी.ट.प्र.व. की वृद्धि सहित) के निविदा दस्तावेज की तैयारी कार्य के क्षेत्र में निविदा जारी करना, बिड मूल्यांकन, कार्य का बंटवारा, ड्राईंग का अनुमोदन तथा लेखकों का पर्यवेक्षण शामिल है। कार्य सफलतापूर्वक प्रदान कद दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और ड्राईंग का अनुमोदन, कार्य का बंटवारा और लेखक का पर्यवेक्षण शामिल है। कार्य सफलतापूर्वक प्रदान कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू कर दिय गया है और ड्राईग का अनुमोदन, कार्य का बंटवारा और लेखक का पर्यवेक्षण का कार्य जारी है।

4.2.3 एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र :

- 'बीओओ' अवधारणा के आधार पर वाशरी के अपशिष्ट पर आधारित एफबीसी विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए एक मॉडल बिड डक्यूमेंट तैयार किया जा चुका है।
- वाशरी अपशिष्ट का उपयोग कर एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र की प्लानिंग निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए जा चुकी है।

1) कुसमुण्डा खुली खदान परियोजना, एसईसीएल
2) सियारमल (40 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल
3) बलराम विस्तारण खुली खदान परियोजना (15 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल
4) अशोक खुली खदान परियोजना (10 मी.ट.प्र.व.) सीसीएल

- मधुबंद और दुग्धा वाशरी के वाशरी अपशिष्ट का उपयोग कर दुग्धा में एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र के लिए वैचारिक रिपोर्ट
- चिनाकुरी कैप्टीव थर्मल पावर प्लांट के लिए बिड दस्तावेज

4.2.4 ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग :

- सीसीएल की 4 खानों हेतु उपकरण–बार डीजल खपत के निर्धारण और डीजल खपत के बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट
- एमसीएल की एक खान और डब्ल्यूसीएल की एक खान के लिए उपकरण–बार डीजल खपत मानकों के निर्धारण और डीजल खपत के बेंचमाकिंग पर रिपोर्ट
- एमसीएल की एक खान के लिए वैद्युत ऊर्जा खपत के बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट
- कोल इंडिया की 70 चिन्हित खुली खदान परियोजना के डीजल खपत के वार्षिक बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट
- सीएमपीडीआई(मुख्यालय) परिसर का वैद्युत सुरक्षा अंकेक्षण पर रिपोर्ट

4.2.5 विद्युत आपूर्ति और वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली :

- एनसीएल के जयंत सेंट्रल सब–स्टेशन के स्थानांतरण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना
- एनसीएल के दुधिचुआ एचओबी एब–स्टेशन के स्थानांतरण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना
- बीसीसीएल के 132 केवी सेंट्रल सब–स्टेशन हेतु योजना

4.2.6 निरीक्षण सेवाएँ

सीएमपीडीआई कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों द्वारा खरीदे गए उपकरण और सामग्रियों का प्रेषण–पूर्व निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण सेवाएँ देना जारी रखा है। वर्ष 2010–11 के दौरान इन सेवाओं से अर्जित कुल राजस्व 1.95 करोड़ रूपये था।

4.2.7 अन्य अध्ययन :

- एसीएल की बलराम खुली खदान परियोजना हेतु संभाव्यता रिपोर्ट के लिए खान आधारभूत सुविधा (सीएचपी, विद्युत आपूर्ति, रखरखाव सुविधा एवं पम्पिंग)
- एमसीएल की 2 खानों का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण
- खादिया सीएचपी की स्वतः नमूना एकत्रीकरण प्रणाली (चरण–1) पर रिपोर्ट
- एनईसी के मास्टर प्लान हेतु खान आधारभूत संरचना सुविधा (सीएचपी, विद्युत आपूर्ति, रख–रखाव सुविधा एवं पम्पिंग)

- एमसीएल के तालचर में नेहरू शताब्दी सेन्ट्रल हौस्पिटल हेतु प्रस्तावित केंद्रीय वायु सांवातन प्रणाली पर योजना
- कोल इंडिया लि0 की 14 खानों के ड्रैगलाइन (सं0 5)/काइन्डर (सं0 15)/केस सस्पेंशन गियर (4 सेट)/सीएचपी(3)/शावेल (सं0 2) का एनडीटी

4.3 **नगर अभियंत्रण सेवाएँ** :

सीएमपीडीआई मुख्यालय के नगर अभियंत्रण विभाग में वर्ष 2010–11 में विशेष मरम्मत और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पूरी की गई और जारी (चालू) सेवाओं की सूची इस प्रकार है।

क्र. संख्या	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रूपये में)
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय में गोंदवाना हाउस, पुरानी बिल्डिंग, बहुमंजिली इमारत, सी और डी टाइप क्वार्टर के सामने और खेल मैदान के पीछे हिलॉक में पास पार्क का निर्माण	77.00
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय से सीपीईआई भवन के पाँचवी मंजिल के सीपी प्रभाग और पर्यावरण विभाग–7 वीं मंजिल की विशेष मरम्मत और रख–रखाव	92.50
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची के ए, बी, सी टाइप आवासों के चारो ओर चहारदिवारी के निर्माण सहित विकास कार्य	39.00
4.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय में प्रथम तल पर जियोफिजिक्स, प्रथम एवं द्वितीय तल पर रासायनिक प्रयोगशाला, द्वितीय तल पर एनडीटी खनन प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास भवन के तृतीय तल पर इलेक्ट्रानिक्स लैब का नवीकरण (रीनोवेशन)	55.11
5.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची के कम्यूनिटी हॉल का नवीकरण	78.50

चालू कार्य :

1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में सी एडं डी टाइप आवासों के टायलेट एवं किचन का नवीकरण	71.35
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में ए, बी, सी एवं डी टाइप आवासों का आंतरिक एवं बाह्य पेंटिंग	91.80
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में खनन प्रयोगशाला के सीमेंट/रेजिन कैप्सूलों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना और अनुसंधान एवं विकास भवन के भूतल पर एमटी प्रयोगशाला का नवीकरण	41.72
	कारपोरेट उत्तरदायित्व कार्य	
1.	सीएसआर योजना के तहत पतरगोंदा गाँव का निर्माण	4.40

5.0 **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ** :

5.1 **कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ** :

1. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रिया–कलापों का नियंत्रण स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्षस्थ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्षस्थ निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एनएलसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सम्बद्ध सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना आयोग और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के प्रमुख कार्य योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू करने का कार्य करता है। कोल इंडिया के खुद के अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए कोल इंडिया के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड भी कार्य कर रहा है।
2. एसएसआरसी की सहायता सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षत में गठित एक तकनीकी उप–समिति द्वारा की जाती है। यह समिति कोयला गवेषण, खनन, खान–सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव तथा खान पर्यावरण एवं पुररूद्धार पर परियोजना प्रस्ताव के उपयोग पर भी कार्य करता है।
3. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है। यह पहचान किए गये क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण आदि कार्य करता है।

शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2011 तक)–	368
पूरी की गई वि. एवं प्रौ. परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2011 तक)–	296

4. **कोयला मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ** :

5.1.1 भौतिक स्थिति :

वर्ष 2010–11 के दौरान कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

1.4.2010 के अनुसार चालू परियोजनाएँ–	23
वर्ष 2010–11 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ– (परिशिष्ट–ए)	02
वर्ष 2010–11 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ– (परिशिष्ट–ए)	08
वर्ष 2010–11 के दौरान समाप्त परियोजनाएँ	01
1.4.2011 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	

5.1.2 **वित्तीय स्थिति** :

बजट प्रावधान और एक्चुरियल को नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रूपये में)

2009–10	2010–11

आरई	वास्तविक	बीई	वास्तविक
1100	1163	1000	1000

5.2 **कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ** :

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड गठित है। कोल इंडिया बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान कार्य के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए 500 लाख रूपये तथा 2500 लाख रूपये प्रतिवर्ष लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है। अब वह वर्ष में 50000 लाख रूपये तक विशिष्ट परियोजना को मंजूरी दे सकता है। अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 58 परियोजनाएँ शुरू की गई है, जिसमें 30 परियोजनाएँ मार्च, 2011 तक पूर की जा चुकी है।

वर्ष 2010–11 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं स्थिति इस प्रकार रही :

(i) 1.4.2010 के अनुसार चालू परियोजनाएँ – 20
(ii) 2010–11 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ (परिशिष्ट–बी) – 08
(iii) 2010–11 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ (परिशिष्ट–बी) – 02
(iv) 2010–11 के दौरान समाप्त परियोजनाएँ – 02
(v) 1.4.2011 के अनुसार चालू परियोजनाएँ – 24

वर्ष 2010–11 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के व्यय के लिए राशि 3020 लाख रूपये था जो वर्ष 2009–10 में कुल वितरित राशि 2580 लाख रूपये से अधिक है।

वर्ष 2010–11 के दौरान कोयला मंत्रालय की स्वीकृत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

परिशिष्ट–ए
(लाख रूपये में)

क्र0सं0	कोड संख्या सहित परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	ट्रेप्ड अंडरग्राउण्ड माइनर का पता लगाने और सन्देश देने के लिए समेकित संचार प्रणाली–एमटी(ईओआई)/158 कार्यान्वयन एजेंसी : एडसेप्ट टेक्नोलॉजी प्रा0लि0, कोलकाता और सीएमपीडीआई, राँची	459.59
2.	भूमिगत खानों में डीपिलरिंग परिचालन हेतु सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट का विकास–एमटी(ईओआई)/159 कार्यान्वयन एजेंसी : आईएसएम, धनबाद एवं मेसर्स जय भारत इक्वीपमेंट प्रा0 लि0, हैदराबाद	197.75

वर्ष 2010–11 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	कोड सहित परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	डिपलरिंग के दौरान लेवल कंटीगुअस सीम लेवल में कोल पिलर वर्किंग्स के बीच पार्टिंग की स्थायित्वता – एमटी/137 कार्यान्वयन एजेंसी : सीआईएमएफआर	50.54
2.	लौंगवाल फेस के लिए सपोर्ट कैपेसिटी के गाइडलाइन के विकास और ओवरलाईंग स्ट्राटा के केवेबिलिटी की जांच	461.3674
3.	खुली खदान खानों में स्लोप की असफलता का पहले ही पता लगाने के लिए हाई रिजोल्यूशन सिस्मिक मॉनीटरिंग – एमटी/155 कार्यान्वयन एजेंसी : अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	124.30
4.	कोयले से फुलरनस, हेट्रांफुलरनस और कार्बन नैनोट्यूब्स (60) (70), – सीयू/52 कार्यान्वयन एजेंसी : सीआईएमएफआर एवं बीएचयू	175.80
5.	बायोमास गैसीफिकेशन प्लांट कोल फ्यूअल यूटिलाइजेशन की रिडिजाइनिंग और फेब्रिकेशन – सीयू/56 कार्यान्वयन एजेंसी : आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलोर	40.06
6.	कोयला परियोजनाओं से एसिड माइन ड्रेनेज के ट्रीटमेंट के लिए निर्मित वेटलैण्ड्स के जरिए उपयुक्त बायलोजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का विकास – ईई/31 कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई	78.62
7.	खुली खदान कोयला खान में ब्लास्टिंग डस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर अध्ययन – ईई/35 कार्यान्वयन एजेंसी : एनआईआरएम, एमसीएल एंव एनसीएल	48.30
8.	पेस्टीसाइड्स (कीट नाशक) आधारित फ्लाई ऐश का उपयोग और विकास – ईई/36 कार्यान्वयन एजेंसी : एनएलसी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय एवं वीसीआरसी, पांडीचेरी	304.92

वर्ष 2010–11 के दौरान स्वीकृत कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं :

परिशिष्ट – 'बी'
(लाख रूपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	रेडियोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग करते हुए कोल ड्राई बेनीफिशिएशन सिस्टम का प्रदर्शन कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई एवं आर्दी हाई–टेक प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम	2565.70
2.	एल्लार–जिग द्वारा कोयले के शुष्क परिष्करण हेतु कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई एवं एमसीएल	3837.41
3.	एक्सप्लोसिव एनर्जी यूटिलाइजेशन पर आधारित विस्फोटक एवं विस्फोटन के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई एवं एनआईटीके, सुरतरखल	231.18
4.	गहराई में स्थित कोयला और लिग्नाइट संसाधनों से सीबीएम की प्राप्ति का पता लगाने के लिए और भारतीय कोयले के एडजार्पसन गुणों का मूल्यांकन (निर्धारण) कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई एवं आईआईटी, खड़गपुर	98.07
5.	कम्प्यूटर मॉडलिंग और सिमूलेशन द्वारा खुली खदान कोयला खानों में हाई एंगल कन्वेईंग सिस्टम का संभाव्यता अध्ययन कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई, रांची	211.50
6.	ब्लास्ट इंड्यूस्ड डानेमिक लोडिंग के तहत डिपिलरिंग पैनलों और विकास में बोल्ड बिहेवियर का अन्वेषण कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई, आईआईटी, खड़गपुर एवं आरडीसीआईएस, रांची	491.08
7.	फाल्ट डाइवर्सन के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से विद्युतीय खामियों के कारण भूमिगत कोयला खानों में विस्फोट की घटनाओं और गैस के ज्वलन की संभावनाओं को दूर करना कार्यान्वयन एजेंसी : आईएसओ, कोल इंडिया लि0, कोलकाता एवं माइनिंग रिसर्च सस्टेनेवल डेवलपमेंट एण्ड इनवायरमेंट, कोलकाता	11.022
8.	आप्टीमम रोड मेंटेनेंश मैनेजमेंट सिस्टम चरण–II के विकास और टायर रीट्रीडिंग कम्पाउण्ड में सुधार से डम्प ट्रक टायर की जीवन अवधि में बढ़ोतरी का अन्वेषण कार्यान्वयन एजेंसी : आईआईटी, खड़गपुर एवं बीसीसीएल	53.28
	सभी आठ परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत	7499.242

वर्ष 2010–11 के दौरान पूरी की गई कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड का अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम कोड संख्या के साथ	कुल अनुमोदित लागत
1.	झरिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्र में गहराई में स्थित कोयला भंडार से सीबीएम के गवेषण की संभावना का पता लगाने के लिए कोल इंडिया लि0 / सीएमपीडीआई की क्षमता का विकास कार्यान्वयन एजेंसी : सीएमपीडीआई, रांची	1991.91
2.	सेटेलाइट थर्मल रीमोट सेंसिंग डाटा के जरिए झरिया कोयला क्षेत्र में आग के संचलन की दर और मॉडलिंग फायर डायनेमिक्स के लिए भूमिगत और सतह पर के कोयला खानों की आग की मॉनीटरिंग और इन्वेंट्री.	138.40

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

वर्ष 2010–11 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा गवेषित 25 ब्लॉकों (खनिखण्डों) के कोर नमूनों से गुण–निर्धारण किया गया और सीबीएम अध्ययन के लिए 22 बोर होल किए गए। गुणवत्ता मूल्यांकन एवं इसके डाउन स्ट्रीम यूटिलाईजेशन (अनुप्रवाह उपयोग) के लिए 20,692 नमूनों का विश्लेषण और कुल 10,021 मी. कोयला कोर को संसाधित किया गया। सीएमपीडीआई मुख्यालय में ''कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता के संवर्द्धन'' परियोजना के तहत प्रयोगशाला के लिए चार आयातित उपकरण और सभी स्वदेशी उपकरण हासिल किए गए हैं।

6.2 कोयला शैलिकी (पेट्रोग्राफी) प्रयोगशाला :

वर्ष 2010–11 के दौरान प्रयोगशाला द्वारा नौ (9) कोयला क्षेत्रों सहित विभिन्न खनिखण्डों से 545 कोयला नमूनों पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएव) के जरिए शेप / साइज अध्ययन एवं क्लिट विश्लेषण, तथा एक्स रे डिफ्राटोमीटर (XRD) के माध्यम से कोयले में खनिज और पेट्रोग्राफिक अध्ययन शुरू किया गया है। इसके अलावे बाह्य परामर्शी कार्य के भाग के रूप में तीन (3) कोयला नमूनों का अध्ययन किया गया। विवेच्य वर्ष के दौरान बीसीसीएल, सीसीएल और डब्ल्यूसीएल से प्राप्त कच्चे एवं क्लीन कोयला नमूने (वाशरी उत्पाद) का क्रमबद्ध गुण–निर्धारण किया गया। सीबीएम के मूल्यांकन(निर्धारण) के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय और XI योजना के लिए उन्नायक (प्रोमोशनल) ब्लॉकों से प्राप्त कोयला नमूनों पर पेट्रोग्राफी, क्लिट एवं मिनरलाइजेशन आंकड़ों पर विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई। प्रयोगशाला के लिए ''कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता संवर्द्धन'' परियोजना के तहत दो आयातित उपकरण प्राप्त किए गए।

6.3 खनन प्रयोगशाला :

खनन प्रयोगशाला के द्वारा रॉक मेकनिक्स, संस्तर नियंत्रण तथा धॅसान से संबंधित कार्य किया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित कार्य किये गये :

6.3.1 रॉक मेकेनिक्स :

(i) भौतिक–यांत्रिक गुण निर्धारण हेतु 1532.00 मी0 लंबाई के ड्रिल कोर का परीक्षण किया गया।

(ii) लिंगराज खुली खदान परियोजना, एमसीएल के लिए वीआईए, आईवीबी (टॉप), आईवीबी (बॉटम) और V सीमों के कोयला नमूनों का कम्प्रेहेंसिव स्ट्रेंथ का निर्धारण किया गया।

(iii) क्षमता गुण, स्लेक डयूराबिलिटी इंडेक्स और डेनसिटी के निर्धारण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न खानों के 41 रूफ रॉक नमूनों का परीक्षण किया गया।

6.3.2 संस्तर नियंत्रण एवं धँसान :

(i) कोल इंडिया लिमिटेड के 26 खानों/जिलों के लिए आरएमआर अध्ययन पूर्ण कर रिपोर्ट सुपुर्द किया गया।

(ii) 5 कोयला सीमों के स्पेशिफिक ग्रेविटि का निर्धारण पूरा कर रिपोर्ट को सुपुर्द किया गया।

(iii) कोल इंडिया लिं0 के तीन खानों के लिए धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट तैयार कर सुपुर्द कर दी गयी है।

(iv) राजेन्द्र अंडर ग्राउण्ड परियोजना (यूजीपी), एसईसीएल के गोव्ड आउट लौंगवाल पैनल के ऊपर आवासीय कॉलनी के निर्माण की संभावना पर व्यापक रिपोर्ट सौंप दी गयी है।

(v) खान सं0–4, एमसीएल, गोन्ड आउट क्षेत्र के ऊपर प्रस्तावित मेरी गो राउण्ड का भूमि स्थायित्व और विस्तृत डिजाइन पारामीटर की स्थापना के लिए एक तकनीकी योजना प्रस्तुत की गई है।

(vi) बस्ता कोला कोलियरी, बीसीसीएल में ड्राविंग इन्कलाइन के ऊपर तथा गोव्ड आउट सीम के नीचे स्थायित्वता लाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन हेतु प्रस्ताव सुपुर्द कर दिया गया है।

6.3.3 सीमेंट और रेजिन कैप्सूल का परीक्षण :

(i) सीमेंट और रेजिन कैप्सूल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

(ii) आठ (8) कंपनियों के रेजिन कैप्सूल परीक्षण (फास्ट एण्ड स्लो सेट) पूर्ण कर रिपोर्ट सौंप दी गई है।

6.4 कोयला प्रीपेरेटरी लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) :

1) छेंदीपाड़ा कोल ब्लॉक के बोर–होल नमूनों का धोवन क्षमता परीक्षण
2) सीबीएम ई–101, 104, 105 एवं 107 का धोवन क्षमता परीक्षण
3) एमसीएल के नौगांव–तेलेसाही ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र के कोल कोर नमूनों का का धोवन क्षमता परीक्षण
4) सीएनसीआर – 40 एवं सीएनसीआर – 43 का धोवन क्षमता परीक्षण पूरा किया जा चुका है।

6.5 कोयला बेड मिथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला :

सीबीएम प्रयोगशाला ने 24 बोर होल के लिए बोर होल स्थलों पर फील्ड डिजोपर्सन अध्ययन किया है तथा कुल गैस की मात्रा और गैस मिश्रण आंकड़ा तैयार किया है। इसके अतिरिक्त सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल की विभिन्न कोलियरियों से प्राप्त 1068 खान वायु नमूनों का परीक्षण किया गया तथा रिपोर्ट सौंप दी गई। सीबीएम प्रयोगशाला द्वारा वेंटीलेशन एयर मीथेन (वीएएम) सीएमएम इत्यादि के लिए नमूना एकत्र करने का कार्य और विश्लेषण भी किया गया।

सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची स्थित सी.बी.एम.प्रयोगशाला

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ :

7.1 ईआईए/ईएमपीए

विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए 126 फार्म–I (106 खानों के 15 कलस्टर सहित) तथा 25 ईआईए/ईएमपी (3 खानों के एक कलस्टर सहित) तैयार किया है।

7.2 वायु, जल और ध्वनि की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग :

यदि एक बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय खनन परियोजना के लिए पर्यावरणिक स्वीकृति (क्लीयरेंस) प्रदान कर देता है, तो परिचालन (कार्य) के दौरान परियोजना स्थल पर किए जा रहे प्रदूषण नियंत्रक उपायों की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मानिटरिंग करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान आसनसोल, नागपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, तालचर तथा राँची स्थित 7 पर्यावरणिक प्रयोगशाला के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 283 परियोजनाओं/संस्थापनों की मॉनीटरिंग की गई।

7.3 पर्यावरणिक प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन :

स्टेट–ऑफ–दि–आर्ट पर्यावरणिक मानिटरिंग अपनाने की प्रक्रिया के अनुसरण में क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर एवं क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर के लिए सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरणिक प्रयोगशाला की योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है तथा कार्य जारी है। एमसीएल की सभी खानों की वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग के लिए एमसीएल की तालचर कोलफील्डस की प्रयोगशाला ने क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर के तहत कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

7.4 ब्लॉक–बी परियोजना के लिए ईटीपी :

खानों, सीएचपी तथा कर्मशालाओं के 1128 घन मी प्रतिघंटा बहिस्त्राव को उपचारित करने के लिए एनसीएल की ब्लॉक ''बी'' खुली खदान परियोजनाओं में समेकित बहिस्त्राव (इफ्ल्यूएन्ट) उपचार संयंत्र की फाइनल योजना पूरी कर ली गई है।

7.5 बेगुनिया यूजीपी के लिए खान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) :

विवेच्य वर्ष के दौरान कुल 95 खान बंदी योजनाएँ तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त सेल–आईएसपी की बेगुनिया भू.ग.प. (0.33 एमटीवाई) के लिए एक खान बंदी योजना भी तैयार की गई है।

7.6 सिलिका सैण्ड माइन के लिए पुनर्वास योजना :

भारत के उच्चतम न्यायालय की अपेक्षानुसार हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 6 सिलिका सैण्ड माइन के लिए आईबीएम के अनुरूप पुनर्वास योजना तैयार कर सौंप दी गई है।

7.7 फ्लाई ऐश निपटान के लिए स्थायित्व तथा सुरक्षा का मूल्यांकन :

महानदी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एमसीएल) की साउथ बलांडा खु.खा.प. के परित्यक्त क्वारी का उपयोग कर एनटीपीसी, तालचर के लिए ''वर्तमान राख भराई (ऐश फिलिंग) के अध्ययन तथा प्रस्तावित ओवर बर्डेन अर्थ फिल बैरियर हेतु स्थायित्व एवं सुरक्षा के मूल्यांकन'' की रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी गई है।

7.8 ढाल स्थायित्व/मृदाक्षरण नियंत्रण उपाए :

खुली खानों के लिए ढाल स्थायित्व आवश्यकता तथा मृदाक्षरण नियंत्रण उपाय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण एवं वन स्वीकृति (क्लीयरेंस) का एक शर्त है। तद्नुसार सीसीएल की तापीन खु.खा.प. के लिए 1 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाईवाल के अल्टिमेट स्लोप ऐंगल के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, सीसीएल परियोजनाओं के 7 मृदाक्षरण नियंत्रण अध्ययन किए गए।

7.9 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह :

5 जून, 2010 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं जैसे ड्राईंग प्रतियोगिता तथा सीएमपीडीआई के कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अतिथि का व्याख्यान आदि आयोजित किए गए।

सीएमपीडीआई (मु.) परिसर के आवासीय क्वार्टरों के लिए वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हारवेस्टिंग) की योजना तैयार की गई है। इस योजना की नींव का पत्थर 5 जून, 2010 को (विश्व पर्यावरण दिवस के दिन) रखा गया।

7.10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना :

''कोयला परियोजनाओं की खानों से निकलने वाले अम्लीय जल के उपचार के लिए निर्मित वेटलैण्ड के जरिए उपयुक्त जैव अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी का विकास'' पर 78.62 लाख रूपये की प्राक्कलित लागत वाली कोयला मंत्रालय से स्वीकृत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना पूरी कर रिपोर्ट का मसौदा पेश कर दिया गया है।

''खान रिक्ति पुररूद्धार के लिए फ्लाई ऐश का गुण निर्धारण'' नामक 287.684 लाख रूपये की प्राक्कलित लागत वाली कोयला मंत्रालय से अनुमोदित एक दूसरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा कार्य जारी है।

7.11 विशेष पुरस्कार :

1 नवम्बर, 2010 को कोल इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय कोयला मंत्री ने कोलकाता में सीएमपीडीआई को इसके योगदान एवं इसकी उपलब्धि की प्रशंसा में पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र प्रदान किया है।

8.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

पूरे किए गए कार्य/क्रिया कलाप :

1. विडियो, ध्वनि तथा ऑकड़ा संप्रेषण (कम्यूनिकेशन) के लिए क्षेत्रीय संस्थानों के साथ–साथ सीएमपीडीआई (मुख्यालय) का एमपीएलएस–वीपीएन वाइड एरिया नेटवर्क/6 एचपी ब्लेड सर्वर के साथ 5 टी बी का एसएएन (सैन) स्टोरेज तथा टेप लाइब्रेरी की बैकअप सुविधा मिलाकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता में वृद्धि की गई है। इंटरनेट बैण्डविड्थ को 2 एमबीपीएस से बढ़ाकर 4 एमबीपीएस कर दिया गया है।
2. आंतरित तथा बाहरी थ्रेट से नेटवर्क सुरक्षा के लिए सीएमपीडीआई (मुख्या.) तथा क्षेत्रीय संस्थानों में यूनिफायड थ्रेट मैनेजमेंट स्थापित किया जा चुका है।
3. क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय में इन अप्लीकेशन के प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्त्ताओं के लिए माइनेक्स, आटोकैड, गैलेन्डा तथा एन्टीवायरस के लिए नेटवर्क लाइसेंस को एमपीएलएस के एक्रोस सर्व कर दिया गया है।
4. बीसीसीएल के वेबसाइट का रख–रखाव
5. मुख्यालय, रांची तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों में एमपीएलएस वीपीएन पर चलने वाला (रनिंग) कोलनेट साफ्टवेयर का उपयोग कर पेरोल

जारी कार्य :

मूलभूत अपेक्षाओं को पता कर बोर्ड से नीचे के स्तर के अधिकारियों के लिए दिसम्बर, 2010 में ऑन लाइन एक्जीक्यूटिव इन्फारमेशन सिस्टम (ईआईएस) चालू किया गया। इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग कर पब्लिक नेटवर्क पर निरापद ढ़ंग से चलाने के लिए कोल इंडिया में अपनी तरह का पहला अप्लीकेशन डिजाइन किया गया है, अतएव यह विश्व में कहीं भी सुलभ है।

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली :

सीएमपीडीआई परिसर में कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना के रूप में वित्त पोषित ई–लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जो कोयला खनन उद्योग के बारे में कई तरह की तकनीकी जानकारी पर सिंगल प्वाईंट सर्च ईंजन प्रदान करता है। सूचना हस्तांतरण तथा पहूँच (एसेस) में क्षमता बढ़ाने के लिए वेब सक्षम सूचना केन्द्र स्थापित करने के उद्‌देश्य से प्रारंभ की गई ई–पुस्तकालय संग्रहित सूचना (जानकारी) तक तत्काल पहूँच (एसेस) को सरल बनाने की दिशा में पहला कदम है।

सीएमपीडीआई एक अग्रणी तकनीकी खनन पत्रिका ''माइनटेक'' का प्रकाशन करता है, जिसके प्रकाशन तथा कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खानों में इस पत्रिका के वितरण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस पत्रिका की 2000 (दो हजार) प्रतियाँ प्रति तिमाही प्रकाशित की जाती हैं तथा इसने पूरे कोयला खनन उद्योग के साथ–साथ सभी अग्रणी संस्थानों, सीएमआरआई और डीजीएमएस तथा विदेश के भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है।

सीएमपीडीआई एक त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका ''देशकाल सम्पदा'' का भी प्रकाशन करता है जिसे पहले द्विमासिक प्रकाशित किया जाता था। इस पत्रिका को हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान सीएमपीडीआई तकनीकी पुस्तक तथा कोयला खानों में विस्फोटकों का सुरक्षित उपयोग'' पर पुस्तिका का भी प्रकाशन कर रहा है।

9.0 विशेषज्ञ सेवाएं :

9.1 जियोमेटिक्स :

सीएमपीडीआई भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, भू–संरचनात्मक मानचित्रण, विद्युत स्टेशनों का स्थल निर्धारण, वाशरी के सुदूर संवेदन तथा सर्वेक्षण, भूमि तथा वनाच्छादन के लिए पर्यावरणिक बेस लाइन डाटा सृजन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण तथा ओ.बी.माप, भूमिगत खान सह–संबंध सर्वेक्षण आदि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हैं।

9.1.1 सुदूर संवेदन :

(i) वर्ष 2010 के उपग्रह आँकड़े पर आधारित भूमि पुनरूद्धार के लिए 5 मिलियन घनमीटर से अधिक (कोयला + ओ.बी.) उत्पादन करने वाली डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एनसीएल, एमसीएल, सीसीएल, बीसीसीएल तथा ईसीएल की 50 खुली खनन परियोजनाओं को उपग्रह से निगरानी की जा चुकी है।

(ii) भूमि, वृक्षारोपण, आधारभूत सुविधा, भूतल जल निकाय आदि के लिए पर्यावरणिक आंकड़े तैयार करने के लिए निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों का भू–उपयोग/वन–आच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

- वर्द्धा घाटी
- काम्पटी
- विश्रामपुर
- मांद रायगढ़
- ईब घाटी

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों को पूरा करने के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान 11 भूमिगत परियोजनाओं जैसे : नवीन कुंदा, सिंघोरी, दुर्गापुर, गणपति, बल्लारपुर, धोरवासा, अम्बारा, महादेवपुरी, राजूर, दमुआ एवं सास्ती के पट्टेवाले क्षेत्र में भू–उपयोग/ आच्छादन मानचित्रण हेतु उपग्रह आँकड़े का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

(iv) उपग्रह आंकड़े पर आधारित 29 कोयला खनन परियोजनाओं (ईसीएल 6, एसईसीएल 8, सीसीएल 6, बीसीसीएल 9) के लिए कोर जोन तथा बफर जोन के भू–उपयोग/ मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(v) कोयला खानों की रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित मात्रा निर्धारित करने हेतु उपग्रह आंकड़े पर आधारित सेन्ट्रल कोलफील्ड्स एरिया के कुजू क्षेत्र में खान रिक्ति की पहचान की जा चुकी है।

(vi) सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित 2 मीटर कन्टूर इंटरवल के साथ 1:5000 पैमाने पर कोल इंडिया लिमिटेड के 28 कोयला क्षेत्र के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के लिए सीएमपीडीआई तथा सर्वे आफ इंडिया के साथ एक समझौते के ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। उपर्युक्त परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने 117.00 करोड़ रूपये का कोष प्रदान किया है। इसका निष्कर्ष (आउटपुट) डीएक्सएफ फार्मेट में उपलब्ध होगा जिसका कोयले की गवेषणा, खान आयोजन (माइन प्लानिंग), कोयला ढुलाई की योजना, ईआईए/ईएमपी, कोयला क्षेत्रों के लिए आधारभूत सुविधाओं के

विकास के लिए वांछित पैमाने पर सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह परियोजना प्रक्रियाधीन है। 10 कोयला क्षेत्र यथा लखनपुर, चिरिमिरी, विश्रामपुर, सोहागपुर, सोनहाट, कोरबा, हसदेव अरंड, मांद रायगढ़, तालचर तथा ईब घाटी का वायवीय (एरियल) फोटोग्राफी पूरा कर लिया गया है। बेन्च मार्क लेवलिंग का कार्य जारी है।

(vii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान सुदूर संवेदन आंकड़ा तथा जीआईएस पर आधारित हरियाणा राज्य में ताप विद्युत गृहों का स्थल निर्धारण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

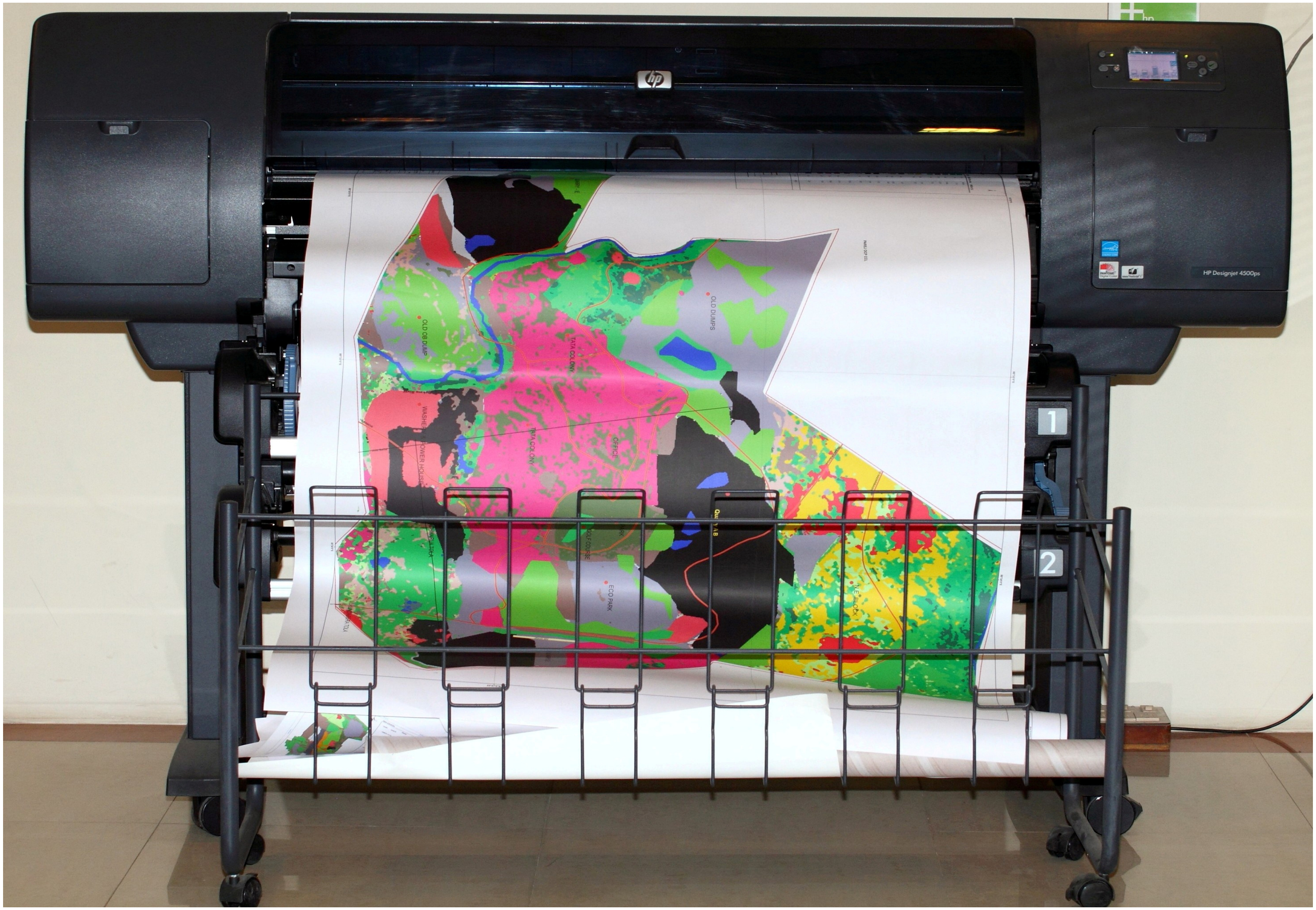

सुदूर संवेदन – उपग्रह मानचित्रण

9.1.2 सर्वेक्षण कार्य :

वर्ष 2010–11 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा पूरे किए गये सर्वेक्षण कार्य इस प्रकार है :

(i) नियमित ओबीआर चेक मेजरमेंट : 38 खुली खदानों (बीसीसीएल में 5, डब्ल्यूसीएल में 5, एसईसीएल में 8, एनसीएल में 8, एनईसी में 2 तथा एमसीएल में 10) के लिए यह कार्य किया गया।

(ii) आउटसोर्सिंग/संविदात्मक ओसी पैच सर्वेक्षण : 42 आउटसोर्सिंग पैचों (ईसीएल में 23, सीसीएल में 15, एमसीएल में 4) में 69 मेजरमेंट किए गए।

(iii) सीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में परित्यक्त खानों की रिक्तियों को भरना : सीसीएल के कुजू क्षेत्र में 40 रिक्तिओं तथा 8 डम्पों का सर्वेक्षण कार्य किया गया तथा इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई।

(iv) मेसर्स जेएसपीएल के लिए बाहरी परामर्शी कार्य के रूप में रायगढ़ के गारे IV /6 कोल ब्लॉक बाउन्डरी के भू–भौतिक नियामक (को–आर्डीनेट्स) निर्धारित करने हेतु ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सर्वेक्षण ।

(v) एसईसीएल में चिरिमिरी ब्लॉक के भू–भौतिक नियामक निर्धारित करने के लिए जीपीएस सर्वेक्षण ।

(vi) क्षेत्रीय संस्थान–5 के लिए कोरबा एवं ट्रान्स–मांद कोयला क्षेत्र के भू–भौतिकी नियामक निर्धारित करने के लिए पीपीएस सर्वेक्षण।

(vii) क्षेत्रीय संस्थान–3 के लिए बादाम ब्लॉक, सीसीएल के भू–भौतिक नियामक निर्धारित करने के लिए जीपीएस सर्वेक्षण।

(viii) टेरेस्ट्रीयल लेजर स्कैनर का प्रयोग कर डब्ल्यूसीएल की उमरेर खुली खान तथा इसके डम्प तथा रिक्ति का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया।

(ix) अपशिष्ट की माप : बीना खुली खान परियोजना (डिस्चार्जच्यूट के निकट), एनसीएल

(x) आईसीआरआईएस परियोजना के तहत राष्ट्रीय ग्रीड के साथ कोल ब्लॉकों का संयोजन (कनक्टिंग) : 24 ब्लॉक

(xi) सड़क/नाला/एचटी लाइन का भू–तल विशेषता सर्वेक्षण : डब्ल्यूसीएल में 43 लाइन किलोमीटर।

(xii) भू–भौतिक कार्य के लिए सर्वेक्षण : डब्ल्यूसीएल में 12 लाइन किलोमीटर

(xiii) सर्फेस कंटूरिंग : डब्ल्यूसीएल में 23.3 वर्ग किलोमीटर

(xiv) सीसीएल के लिए 11 थिओडोलाइट की जाँच।

(xv) विभिन्न कोयला कंपनियों में वार्षिक कोल स्टॉक मेजरमेंट : कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशानुसार

(xvi) सीबीआई के लिए कोल स्टॉक की गणना (कम्प्यूटेशन) से संबंधित कार्य।

9.1.3 वर्ष 2010–11 के दौरान मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान के सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए कार्य का सारांश :

	नियमित ओबीआर सर्वेक्षण		ओसी पैच सर्वेक्षण		गवेषण	विविध
	खानों की संख्या	सर्वेक्षणों की संख्या	पैचों की संख्या	सर्वेक्षणों की संख्या		
मुख्यालय एसएंडडी विभाग	17 * 14 नियमित	19*	3	3	–	1. सीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र की परित्यक्त खानों की भराई :

	आधार पर + एनसीएल का 3 अस्थायी आधार पर)					सीसीएल के कुजू क्षेत्र में 40 रिक्तियों तथा 8 डम्पों के सर्वेक्षण कार्य किया गया। 2. मेसर्स जेएसपीएल के लिए बाह्य परामर्श कार्य के रूप में रायगढ़ में गारे IV /6 कोल ब्लॉक बाउन्डरी के भू–भौतिकी नियामक निर्धारित करने के लिए जीपीएस सर्वेक्षण। 3. एसईसीएल के चिमटापानी ब्लॉक में भू–भौतिकी नियामक निर्धारित करने के लिए जीपीएस सर्वेक्षण । 4. क्षेत्रीय संस्थान–5 के लिए कोरबा तथा ट्रान्समान्द कोयला क्षेत्र के भू–भौतिकी नियामक निर्धारित करने के लिए जीपीएस सर्वेक्षण। 5. क्षेत्रीय संस्थान–3 के लिए बादाम ब्लॉक सीसीएल के भू–भौतिक नियामक निर्धारित करने के लिए जीपीएस सर्वेक्षण। 6. टेरेस्ट्रीयल लेजर स्कैनर का प्रयोग कर डब्ल्यूसीएल की उमरेर ओसी खान के साथ–साथ उसके डम्प एवं रिक्तिओं का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। 7. सीसीएल के लिए 11 थिओडोलाइट की जाँच। 8. वार्षिक कोल स्टॉक मेजरमेंट– सीआईएल के निर्देशानुसार। 9. सीबीआई के लिए कोल स्टॉक कम्प्यूटेशन से संबंधित कार्य
	नोट : मुख्यालय के सर्वेक्षण टीम द्वारा एनसीएल की 3 खानों में 5 ओबीआर चेक मेजरमेंट सर्वेक्षण किया गया। उपर्युक्त में ये शामिल हैं :					

क्षे.सं.–I	2	2	23	48	अंतिम नियामक सर्वेक्षण–122 बीएच प्रस्तावित बीएच : 107	आईसीआरईएस परियोजना के तहत नेशनल ग्रिड के साथ कोल ब्लॉक का संयोजन – 24 ब्लॉक
क्षे.सं.–III	–	–	12	12	3 कैम्पों में गवेषण से संबंधित सर्वेक्षण	–
क्षे.सं.–IV	5	12	–	–	फाइनल नियामक सर्वेक्षण–147 बीएच प्रस्तावित बीएच लोकेशन–155	1. 43 लाइन किलोमिटर में सड़क/नाला/एचटी लाइन का भूतल विशेषता सर्वेक्षण 2. भू–भौतिकी कार्य हेतु सर्वेक्षण लाइन – डब्ल्यूसीएल में 12 लाइन किलोमीटर 3. सर्फेस कन्टूरिंग– 23.3 वर्ग कि.मी.
	नियमित ओबीआर सर्वेक्षण		ओसी पैच सर्वेक्षण		गवेषण	विविध
	खानों की संख्या	सर्वेक्षणों की संख्या	पैंचों की संख्या	सर्वेक्षण की संख्या		
क्षे.सं.–VI	8	63	–	–	1 कैम्प में गवेषण से संबंधित सर्वेक्षण कार्य	बिना ओसीपी (डिसचार्जच्यूट के निकट), एनसीएल के अपशिष्ट की मासिक माप
क्षे.सं.–VII	6	9	4	6	अंतिम नियामक सर्वेक्षण– 78 बीएच प्रस्तावित बीएच लोकेशन : 151	

9.2 विस्फोटन :

सीएमपीडीआई ने नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन, विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का परीक्षण, एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के लिए विखण्डन मूल्यांकन एवं उन्नयन अध्ययन के क्षेत्र में मूल्य संबंधित सेवा देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता एवं क्षमता का विकास किया है। इसके पास जटिल विस्फोटन समस्याओं जैसे नई प्रौद्योगिकी/अवधारणा का समावेश/प्रयोग, कास्ट ब्लास्टिंग, विस्फोटन द्वारा इन्ड्यूस्ड केबिंग, हॉट स्ट्राटा में विस्फोट, संरचना विध्वंस आदि के समाधान में तकनीकी भंडार है। इसके अतिरिक्त, कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा में सुधार के लिए विस्फोटन डोमेन तथा कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत्त से संबंधित अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही है। :

सीएमपीडीआई हाई स्पीड कैमरा, प्रस्फोटन (डेटोनेशन) माप का इन दि होल वेग हेतु डाटा ट्रैप–II, वीप फ्रैग साफ्टवेयर का विखंडन मूल्यांकन एवं माप, जेके सीम ब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन तथा विस्फोटकों तथा सहायक सामग्रियों का परीक्षण करने के लिए हाई सेम्पलिंग दर से युक्त फ्रिक्वेंसी ऑस्किलो स्कोप जैसे आधुनिकतम (स्टेट–आफ–आर्ट) उपकरण से सुसज्जित है।

वर्ष 2010–11 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों एवं बाहरी एजेंसियों को निम्नलिखित सेवाएँ दी गई :

- नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन – बीसीसीएल, सीसीएल तथा एमसीएल की सात खानें
- विस्फोटक पारामीटरों का अनुकूलन तथा पावर फैक्टर का अध्ययन – बीसीसीएल, सीसीएल, एनसीएल तथा एमसीएल की 29 खानें
- विस्फोटकों एवं सामग्रियों का रैण्डम सेम्पलिंग एवं परीक्षण – सीसीएल, बीसीसीएल, एनईसी तथा निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की खानों में
- साइट मिक्स इमल्सन (एसएमई) विस्फोटकों का समावेश : बीसीसीएल तथा एमसीएल की 2 खानें
- नए विस्फोटक उत्पादों का कार्य निष्पादक मूल्यांकन : मेसर्स आइडियल डेटोनेटर्स (पी) लि0 का 1 उत्पाद
- अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयनाधीन

1. दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुणे के सहयोग से कोयला खानों के ओवर बर्डेन में विस्फोटन के लिए लो डेन्सिटी पोरस प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट युक्त अमोनियम नाइट्रेट फ्यूएल आयल (एएनएफओ) की तकनीकी आर्थिक दक्षता का अध्ययन।
2. एनआईटीके सुरथकाल के सहयोग से विस्फोटक ऊर्जा के उपयोग पर आधारित विस्फोटक/विस्फोटन परिणाम की उपलब्धि का मूल्यांकन।
3. मेसर्स आईआईटीके, केजीपी तथा सेल (आरडीसीआईएस) के सहयोग से ब्लास्ट इन्ड्यूस्ड डायनेमिक लोडिंग के तहत डेवलॉपमेंट तथा डिपिलरिंग पैनलों में बोल्ट विहैवियर की जाँच।

9.3 खनन इलेक्ट्रानिक्स :

सीएमपीडीआई कोल इंडिया की विभिन्न सहायक कंपनियों में संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों को सहायता देता है। सीएमपीडीआई भूमिगत खानों में प्रयोग में लाए जाने वाले मिथेन गैस डिटेक्टर की मरम्मत एवं इसके अंशशोधन के साथ ही साथ आयातित/स्वदेशी एचईएमएम कार्डों की मरम्मत में सहायक कम्पनियों को मूल्यवान सेवाएं दे रहा है। इस विभाग ने अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का कार्य भी किया है।

9.3.1 रिपोर्ट/योजना/एनआईटी की तैयारी :

i) एनसीएल के रिंगमैन दूर–संचार नेटवर्क के लिए एनआईटी सुपुर्द।
ii) स्वांग वाशरी, सीसीएल की पर्यावरणिक दूर संचार प्रणाली तथा एमसीएल की हीराखण्ड–बुन्दिया भू.ग. के लिए पर्यावरणिक दूर संचार प्रणाली।

iii) ''भूमिगत खान (चुरी खान, सीसीएल) के कन्वेयर एवं अन्य उपकरण के लिए इंडिजिनियस डेवलपमेंट आफ प्रोग्रामेबुल लॉजिक कार्ड (पीएलसी) आधारित समेकित नियंत्रण एवं मानिटरिंग प्रणाली'' पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना का क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है तथा पूरा होने की स्थिति में है।

iv) ''दि अर्थ (टीटीई) प्रणाली को शामिल कर ट्रेप्क अंडर ग्राउण्ड माइनर्स को संसूचन तथा निर्धारण के लिए समेकित संचार प्रणाली'' पर कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित की जा रही है तथा इसका लगातार क्षेत्र परीक्षण (सेन्ट्रल सौंदा, सीसीएल) किया जा रहा है।

v) ''अन्डर ग्राउण्ड ट्रैप्ड माइनर लोकेशन सिस्टम'' पर कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना – झांझरा खान, ईसीएल के लिए प्रोटोटाइप एमसीडी तथा अप्लीकेशन साफ्टवेयर को समेकित करने का कार्य जारी है।

vi) ईसीएल के लिए हाई स्पीड रिगजाबाइट एलएएन हेतु एनआईटी तैयार किया गया तथा तकनीकी मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया।

9.3.2 इलेक्ट्रॉनिक कार्डों / गैस मॉनीटर की मरम्मत / अंशशोधन (कैलिब्रेशन) / परीक्षण :

(i) एचईएमएम कार्ड की मरम्मत – 145

(ii) मिथेनोमीटर की रिपेयरिंग एण्ड कैलिब्रेशन – 88

9.4 कोयला प्रौद्योगिकी :

अ. विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जा चुके हैं :

(i) एसएसआरसी / सीआईएल आरएंडडी बोर्ड के तहत परियोजनाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को तकनीकी सहायता।

(ii) कोयला प्रौद्योगिकी / उपयोग से संबंधित मुद्दों पर कोयला मंत्रालय / कोल इंडिया लिमिटेड को तकनीकी सेवाएँ।

आ. निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है।

मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सीआईएमएफआर के साथ कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य।

''कोयले से द्रव रूपान्तरण प्रौद्योगिकी(सीटीएस) के प्रायोगिक पैमाना अध्ययन के जरिए स्वदेशी उत्प्रेरक का विकास''।

9.5 प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (मैनेजमेंट सिस्टम कंसल्टेंसी) :

सीएमपीडीआई में 1988 में प्रबंधन सेवा परामर्श तक अपना क्षेत्र विस्तार किया है। तब से इसने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता में पर्याप्त विकास किया है। अब यह प्रबंधन प्रणाली परामर्श सेवा के संपूर्ण गैमुट देता है, जिसके तहत आईएसओ 9001 गुणता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस), ओएचएसएएस 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आश्वासन प्रणाली, एसए 8000 सामाजिक दायित्व प्रबंध प्रणाली, आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) तथा अन्य प्रबंधन तकनीक जैसे सिक्स सिगमा तथा आईएसओ 9001 का उद्योग विशिष्ट रूपान्तरण (ट्रान्सलेशन) जैसे आईएसओ 17025, आईएसओ 16949 आदि आते हैं।

सीएमपीडीआई यथावश्यक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंधन मानक के अनुरूप समेकित प्रबंधन मानकों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन के जरिए इस प्रकार का सारा परामर्श देता है।

इस तरह के परामर्श क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्रबंधन प्रणाली का सृजन

(ii) प्रशिक्षण सुविधा देना

(iii) प्रारंभिक कार्यान्वयन तथा प्रमाणन सहायता और

(iv) प्रमाणनोत्तर सहायता/मूल्यांकन आदि।

9.5.1 कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्श :

31 मार्च, 2011 तक सीएमपीडीआई ने अपने परामर्श के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को विभिन्न खानों अस्पतालों, वाशरियों, प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 195 आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001 एवं एसए 8000 प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता दी है।

9.5.2 वर्ष 2010–11 के दौरान पूरे किए गए कार्य :

विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 92.26 लाख रूपये मूल्य के प्रबंधन प्रणाली परामर्श दिए गए । इसके परिणामस्वरूप कुल 48 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन–आईएसओ 9001 के 22 (10 पुनर्प्रमाणन तथा उन्नयन), आईएसओ 14001 के 23 (4 पुनर्प्रमाणन सहित), ओएचएसएएस के 2 (1 कंपनी स्तरीय सहित) तथा 1 कंपनी स्तरीय एसए 8000 प्रमाणन प्राप्त किए गए।

इस वर्ष विश्व में खनन क्षेत्र में पहली बार इस परामर्श के तहत एक कोयला खनन कंपनी एनसीएल ने बिना किसी छूट के अपने सभी परिचालन तथा कार्यों में शामिल करने के लिए कंपनी स्तरीय एसए 8000 तथा ओएचएसएएस 18001 प्रमाणन प्राप्त किया है, इस प्रकार यह कंपनी इस तरह की पहली कंपनी बन गई है जिसने कंपनी स्तरीय आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001 तथा एसए 8000 प्रमाणन प्राप्त किया है वह भी समेकित प्रबंधन प्रणाली के तहत।

विवेच्य वर्ष के दौरान आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के लिए परामर्श सेवा देने की क्षमता में भी वृद्धि की गई है।

9.5.3 चालू कार्य :

वर्तमान में, सीएमपीडीआई 12 करोड़ रूपये मूल्य का प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ दे रहा है। यह कोल इंडिया लि. के विभिन्न संगठनों में आईएसओ 9001, आईएसओ–14001, ओएचएसएएस 18001 तथा एसए–8000 के तहत 143 नये प्रमाणन के लिए है जिसमें सभी बड़ी खुली कोयला खनन परियोजनाएँ कुछ बड़ी भूमिगत खानें, कई अस्पताल, तथा एचईएम कमशाला तथा संपूर्ण एसईसीएल को एसए 8000 प्रमाणन शामिल है।

10 सामग्री प्रबंधन :

10.1 स्कैप एवं परित्यक्त (ऑबसोलिट) मदों का निपटान :

विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा सुपुर्द अनुमोदित सर्वेआफ रिपोर्ट के आधार पर नियमित रूप से स्कैप एवं परित्यक्त मदों का निपटान किया जाता है। कंपनी ने मेसर्स एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी करार किया है जिससे ई–एक्शन के जरिए इस तरह के मदों को ऑन लाइन निपटान आसान हो गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान 126.70 लाख रूपए का स्कैप एवं परित्यक्त मदों का निपटान किया गया।

10.2 वस्तु–सूची नियंत्रण :

विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा विभिन्न स्थलों पर 55 ड्रिल लगाए गए हैं। इन ड्रिलों के परिचालन के दौरान उपभोग्य सामग्री जैसे ड्रिल रड, कोर बैरेल, ड्रिल बिट, टीसी बीट आदि

की नियमित आवश्यकता पड़ती हैं इसलिए सतत परिचालन के लिए इन मदों का पर्याप्त भंडार रखना पड़ता है। वस्तुसूची नियंत्रण के एक भाग के रूप में वस्तु–सूची के निर्माण को रोकने के लिए उपभोग्य सामग्रियों के चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश जारी किए जाते हैं। 31.03.2011 के अनुसार वस्तुसूची का मूल्य 296.79 लाख रूपये था जिसमें मुख्यतः ड्रिल रड, केसिंग, ड्रिल बिट, कोर बैरेल, टंगस्टन कारबाइड बीट इत्यादि शामिल हैं। इस वस्तु–सूची में वर्ष 2010–11 के दौरान शामिल किए गए 2 हाइड्रोस्टैटिक के लिए सहायक सामग्री तथा उपभोग्य भी शामिल है। सामग्रियों के फ्रेश लॉट की आपूर्ति के पहले इस इन्वेटरी का यथा समय उपयोग कर लिया जाएगा।

10.3 विभिन्न प्रयोगशाला मद से संबंधित प्राप्ति :

सीएमपीडीआई की योजना के अनुसार सिमेंट तथा रेजिन कैपसूलों के परीक्षण के लिए सीएमपीडीआई(मु) में प्रयोगशाला की स्थापना की जानी थी जो समयबद्ध कार्यक्रम था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर तथा क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर में पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना की जानी थी। चूंकि इन परियोजना को पूरा करने का समय सीमित था, इसलिए समय सीमा के भीतर प्रयोगशाला सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए इन प्रयोगशालाओं के मदों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन मदों की प्राप्ति को प्राथमिकता के आधार पर की गई तथा दृढ़ अनुवर्ती कार्रवाई के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि प्रयोगशाला प्रारंभ करने के लिए समय पर सामग्री पहुँच जाए।

10.4 ड्रिलिंग से संबंधित सामग्रियों की खरीद :

सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए ड्रिलों, इसकी सहायक सामग्रियों तथा उपभोग्य सामग्रियों की समय पर खरीद जरूरी है। इन आइटमों के लिए प्राप्त सभी इंडेंट को यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है कि क्षेत्रीय संस्थानों के पास न तो ड्रिल की कमी हो और न ही कंज्यूमेबुलों की, जिससे ड्रिलिंग कार्य बाधित न हो। क्षेत्रीय संस्थानों क्षरा अपेक्षित मदों को समय पर उपलब्ध कराया गया। इसलिए किसी भी ड्रिलिंग कैम्प से उनकी आवश्यकताओं को पूरा न करने संबंधी किसी तरह की शिकायत का उदाहरण भी नहीं है। सतत परिचालन को ध्यान रखकर इन मदों का पर्याप्त भंडार था।

10.5 ई–प्रोक्यूवमेंट को पूरी तरह स्वीच ओवर करने के लिए एक रोड मैप सीएमपीडीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष पेश किया गया। जैसा कि बोर्ड को सूचित किया गया, सीएमपीडीआई वर्ष 2011–12 के लिए लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा उम्मीद है कि ई–प्रोक्योरमेंट के जरिए कई बड़ी निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

11.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को एक्सपोजर दिया गया :

महत्वपूर्ण क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाहरी	विदेश	कुल
प्रबंधकीय	82	141	–	12	235
तकनीकी / कार्यकारी	333	86	129	25	573
क्रॉश फंक्शनल	285	125	43	–	453
कुल	**700**	**352**	**172**	**37**	**1261**

निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया :

विदेश में प्रशिक्षण :

वर्ष 2010–11 के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशकगण सहित सीएमपीडीआई के कुल 37 अधिकारियों ने विश्व के अनेक भागों में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक, सम्मेलन तथा प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए विदेश का दौरा किया। ''व्यवहार्य (वाएबुल) कोल माइन मिथेन/ परित्यक्त(एबैन्डंड) माइन मिथेन ब्लॉकों की रूपरेखा निर्धारित करने में सीएमपीडीआई की क्षमता का विकास'' पर प्रशिक्षण के लिए दो बैचों में अधिकारियों को यूएसए भेजा गया।

बाहरी प्रशिक्षण :

प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, सिंपोजियम आदि में भाग लेने के लिए काफी संख्या में अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों में/जगहों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष 17 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारत के कई जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसका नामांकन प्रायः मुख्यालय के विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय संस्थान के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा तथा अनुमोदन कम्पनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया तथा उन्हें बाहरी संगठनों में विभिन्न प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला आदि के लिए प्रायोजित किया गया। प्रबंधन प्रशिक्षुओं को इस प्रकार के बाहरी एक्सपोजर के क्षेत्र भू–विज्ञान पर मौलिक प्रशिक्षण, खान सुरक्षा तथा विधान (सांविधि), गहरे भूमिगत खनन के रॉक मेकानिक्स चुनौतियाँ, प्लाजमा नाइट्राइडिंग, भूमिगत जल संसाधन आकलन, पम्पिंग टेस्ट डाटा का विश्लेषण, कोल बेड मिथेन, जिओ साइन्स में आधुनिक विकास, भूमिगत जल प्रणाली का मैथेमेडिकल मॉडलिंग, वर्ल्ड पेट्रोकोल काँग्रेस, खनन एवं खुली खुदाई (क्वारी) के लिए विस्फोटक एवं विस्फोटन तकनीक, डिजीटल पुस्तकालय तथा ज्ञान संगठन आदि थे।

कुछ वैसे विषय, जिस पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन आदि में भाग लिया, की सूची नीचे दी गई है :

- एसए – 8000 समावेशन तथा मूल लेखकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों में पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं प्रबंधन प्रणाली में उभरते रूझान पर अन्तर्राष्ट्रीय सिंपोजियम
- भारत में जल संसाधन प्रबंधन एवं खनन क्षेत्र पर राष्ट्रीय सेमिनार
- रॉक मेकानिक्स पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम
- संविदा (ठेका) श्रमिकों को व्यवस्थित करने (नियंत्रण) पर पाठ्यक्रम
- भारतीय खनिज उद्योग कार्य निष्पादन पर अनुसंधान एवं विकास के प्रभाव नई पार्टी की पहचान तथा रणनीतिक पहल पर कार्यशाला
- प्लाजमा नाइट्राडिंग पर कार्यशाला
- भारत में कोयला विनिर्माण (परिष्करण) – चुनौती एवं अवसर
- तीसरा भारतीय खनिज काँग्रेस एवं प्रदर्शन
- भारत सरकार की आरक्षण नीति पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के मुख्य सम्पर्क अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी, सीएओ, एओ, ईओ तथा अन्य अधिकारियों के लिए तिरसठवाँ आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खनिज जिओस्टैटिक्स पर प्राइमर
- पम्पिंग टेस्ट डाटा का विश्लेषण
- भूमिगत जल प्राक्कलन तथा प्रबंधन साफ्टवेयर (जीईएमएस) पर अनुप्रयोग पाठ्यक्रम
- एशिया पेसिफिक एचआरएम काँग्रेस 2010
- भू–विज्ञान पर बुनियादी प्रशिक्षण

- शेमकॉन–2010 – प्रोसेस इंडस्ट्री में जैव प्रौद्योगिकी का आविर्भाव – सस्टेनेबुल ग्रोथ एण्ड क्लीन वर्ड
- सीएमआई का 6 ठा एडवांस एक्जीक्यूटिव सीडीएम ट्रेनिंग प्रोग्राम
- कोयला सम्मेलन 2010 – आर्थिक विकास के लिए कोयला
- परियोजनाओं की वन एवं पर्यावरण स्वीकृति पर पाठ्यक्रम
- पूर्वी भारत ऊर्जा सम्मेलन 2010 (थीम – क्लीन टेक्नोलॉजी के जरिए क्षमता निर्माण में उभरते रूझान)
- उभरती संविदात्मक धोखाधड़ी एवं उनका प्रबंधन
- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन : अच्छा कार्य
- वायु प्रदूषण मानिटरिंग एवं विश्लेषण में त्रुटि एवं अनुमान (एक्सप्रोक्सीमेशन)
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन
- गेमकॉम एशिया पैसिफिक यूजर कॉन्फ्रेंस
- जिओस्पासियल वर्ड फोरम सेक्रेटेरियट
- पर्यावरण प्रबंधन पर ग्रीन बीज क्वीज–2009
- ग्रीनटेक एचआर कंफ्रेंस – 2010
- भू–जल प्रबंधन (विनियमन एवं नियंत्रण)
- आईसीएआई नेशनल कन्कलेव, 'आईसीएआई कारपोरेट फोरम – 2011
- अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2011
- ताप विद्युत गृहों के लिए कोयले के प्रक्षालन पर समेकित कार्यशाला
- जिओफिजिकल साइन्सेज–इनर्जी, क्लाइमेट चेन्ज एण्ड इवोलूशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- डिवाइसेज (उपकरण) एवं संचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- डिजीटल पुस्तकालय तथा ज्ञान संगठन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीके 2011)
- भारतीय कोयला विनिर्माण/परिष्करण उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- जिओसाइन्स में आधुनिक विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार
- भूमिगत जल प्रणाली पर मैथेमेडिकल मॉडेलिंग
- भूमिगत कोयला खनन – चुनौती एवं अवसर पर राष्ट्रीय सेमिनार
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनुरक्षण रणनीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- कंपनी सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन
- ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क का राष्ट्रीय सम्मेलन
- ''राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए खनन (एनआईएन) विभाग की चुनौतियाँ'' पर राष्ट्रीय सेमिनार
- ''टिकाउ विकास के लिए कोयला एवं विद्युत'' पर राष्ट्रीय सेमिनार
- खनन क्वारी तथा आधारभूत संरचनात्मक उद्योग के लिए विस्फोटकों एवं विस्फोटन पर राष्ट्रीय सेमिनार
- ''फ्लाई ऐश : खनन क्षेत्र के लिए अवसर'' विषय पर सेमिनार
- ''इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की सुरक्षा–आगामी चुनौतियाँ'' पर सेमिनार
- पर्यावरण पर नेशनल सिम्पोजियम (एनएसई–17)
- ''बोर्ड साक्षत्कार'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- ई प्रोक्योरमेंट पर कार्यक्रम
- ''उभरता आर्थिक विकास'' पर क्षेत्रीय कॉस्ट कांफ्रेस
- सीएसआई ईएआईटी 2011 के लिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- ऊर्जा एवं खनिज क्षेत्र में उत्कृष्टता पर सेमिनार
- गहरे भूमिगत खनन का रॉक मेकेनिक्स चुनौतियों से निपटने पर सेमिनार

- खान सुरक्षा एवं विधान (लेजीसलेशन) पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम
- खान बंदी योजना एवं पर्यावरण प्रबंधन में अल्पकालीन पाठ्यक्रम : सुदूर संवेदन तथा जीएसआई अनुप्रयोग
- सीमेंट एवं रेजीन कैपसूलों का मानक, पारामीटर तथा परीक्षण
- तनाव, लक्ष्य एवं स्वास्थ्य प्रबंधन का कार्यक्रम
- कोल बेड मिथेन
- ज्ञान प्रबंधन एवं व्यवसाय संबंधी समझ
- सीपीआरआई में जाँच सुविधा
- राजमार्ग (हाई वे) में सुरंग, सिंचाई एवं रेलवे परियोजनाएँ
- वीप्स–21वीं राष्ट्रीय बैठक
- इस्पात संरचना के डिजाइन पर कार्यशाला
- ईजन घटकों को लगाना (वाईडिंग) तथा अन्य सहायक संस्थापनों का गैर विध्वंसक परीक्षण पर कार्यशाला
- श्रम संबंधी मामले पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों के रूझान पर कार्यशाला
- सुरंग तकनीक–क्यूयूओ बीएडीआईएस पर कार्यशाला
- वर्ल्ड पेट्रोग्राफी कांग्रेस

आईआईसीएम में :

आईआईसीएम के केलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष काफी संख्या में वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारी नामित किए जाते हैं। इसके लिए नामांकन विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कंपनी की तथा उपभोक्ता के आवश्यकतानुसार नामांकन किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान आईआईसीएम में 352 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इनके कुछ ृविषय नीचे दिए गये हैं :

- उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एडवान्स मैनेजमेंट प्रोग्राम)
- नणनीति प्रबंधन कार्यक्रम
- नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम
- प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए प्रबंधकीय जागरूकता कार्यक्रम
- परियोजना मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन
- प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी कार्ग्रक्रम
- गैर–वित्त अधिकारियों के लिए वित्त
- खनन अभियंताओं के लिए कार्य कुशलता (फंक्शनल स्कीम)कार्यक्रम
- प्रणाली (लिनक्स एवं नेटवर्क) के लिए कार्यकुशलता कार्यक्रम
- खनन एवं सुरक्षा के लिए कार्यकारी कार्यक्रम
- अर्थमुविंग उपकरण के लिए कार्य कुशलता कार्यक्रम
- प्रणाली (जावा/जेएसपी) के लिए कार्यकुशलता कार्यक्रम
- विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं के लिए कार्य कुशलता कार्यक्रम

- प्रणाली (ऑटोकैड) के लिए कार्य कुशलता कार्यक्रम
- माल एवं सेवाकर तथा प्रत्यक्ष कर कोड
- निगमित शासन (कारपोरेट गवर्नेंस)
- निविदा प्रक्रिया एवं संविदा प्रबंधन
- खनन में सूचना प्रौद्योगिकी
- सेवा–निवृत होने वाले अधिकारियों के लिए तैयारी पर कार्यक्रम
- कुल उत्पादक रख–रखाव
- संप्रेषण एवं प्रस्तुति कौशल
- सीडीएम एवं मौसम परिवर्तन
- एचआर''रणनीतिक प्रबंधन साझेदार
- कोयला कंपनियों के लिए परियोजना प्रबंधन
- अत्यधिक तनाव का आत्म प्रबंधन (सेल्फ मैनेजमेंट)
- कोयला खनन में जीपीएस/जीआईएस प्रयोग
- अनुशासन एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया
- अनुरक्षण प्रबंधन (मेनटेनेंस मैनेजमेंट)
- ''कोयला परिष्करण एवं नई कोयला प्रक्षालन तकनीक''
- सूचना का अधिका : 2005
- भूमि एवं राजस्व
- सतत उन्नत चिकित्सा शिक्षा
- निगमित सामाजिक दायित्व

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में :

सभी गैर अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा सीएमपीडीआई से संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में दिया जा रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में कुल 700 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि में भाग लिया।

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, सीएमपीडीआई में पर्यावरण, कोयला परिष्करण, के सभी प्रबंधन प्रशिक्षु, सीआईएल के भू–विज्ञान/भू–भौतिक विभाग के प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी (अवरनेस) कार्यक्रम चलाए गए। नियमित प्रशिक्षण के अलावा, सीएमपीडीआई की आवश्यकता के अनुसार सीएमपीडीआई के प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए ऑटो कैड 2010, जीआर तैयारी (मैनुअल मेथड तथा माइनेक्स साफ्टवेयर के जरिए) पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। प्रशिक्षण/ कार्यशाला के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैः

- ऑटो कैड– 2010
- आर्क जीआईएस
- परियोजना मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन
- पीआर/जीआर(भूविज्ञान एवं ओ/सी मॉडल) के लिए मानेक्स साफ्टवेयर
- सीपी, प्रणाली, पर्यावरा, भूविज्ञान/भू–भौतिकी संवर्ग के कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी (अवेयरनेस) कार्यक्रम
- नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए ओरिएन्टेशन प्रोग्राम
- नव नियुक्त रिगमैन/सर्वेयर के लिए ओरिएन्टेशन प्रोग्राम

- सीसीटी कोल प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी पर तकनीकी विनियम सेमिनार
- हिन्दी सॉफ्टवेयर
- क्यूएमएस कंसेप्ट
- एचआईवी/एड्स जागरूकता– मास्टर ट्रेन/पीआर एजुकेशन
- हिन्दी कार्यशाला
- आईएसओ 9001/14001 आंतरिक अंकेक्षक पाठ्यक्रम
- कार्यालयीन कार्य में कम्प्यूटर प्रयोग
- वेधन (ड्रिलिंग) का योजनाबद्ध प्रयोग तथा ड्रिलिंग उपकरण/सहायक सामग्रियों का उपयोग
- ऑटोमिक एबर्जाप्सन स्पेक्ट्रा फोटोमीटर
- विस्फोटन प्रौद्योगिकी पर एडवांस प्रशिक्षण

विभिन्न संस्थानों के छात्रों को सीएमपीडीआई में प्रशिक्षण :

सामाजिक दायित्व के रूप में विभिन्न संस्थानों के छात्रों को सीएमपीडीआई के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2010–11 में सीएमपीडीआई में कुल 100 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इन छात्रों ने 7 दिन से लेकर 2 माह तक का यह प्रशिक्षण पाया/परियोजना कार्य किया। परियोजना/प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मानव संसाधन विकास विभाग सफलतापूर्व पूरा करने संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत करता है।

मुख्यतः निम्नलिखित प्रशिक्षण के लिए संस्थानों ने सम्पर्क किया :

- इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, खड़गपुर
- इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, कानपुर
- भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद
- बीएचयू, धनबाद
- एनआईटी, तिकचिरापल्ली
- बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी
- रांची विश्वविद्यालय, रांची
- संत जेवियर्स कॉलेज, रांची
- चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पटना
- वीमेंस कॉलेज, रांची
- एक्सआईएसएस, रांची
- एसआरएम, चेन्नई
- एसएमआईटी, सिक्किम
- एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भुवनेश्वर
- एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
- सत्यबामा, यूनिवर्सिटी, चेन्नई
- राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जयपुर
- यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड इनर्जी स्टडी, देहरादून
- आनन्द इंजीनियरिंग कॉलेज, आगरा

- यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता

12.0 कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर परामर्शी कार्य :

अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 की अवधि के दौरान, 38 कार्यों के लिए 29 संगठनों को परामर्शी सेवाएं मुहैया कराया गया। जिन प्रमुख ग्राहकों/संगठनों को सेवाएं दी गई, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : सेल–आईएसपी, एनटीपीसी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एससीसीएल, एमसीएल, टाटा स्टील, मेसर्स इस्सार मिनिरल रिसोर्सेज लिमिटेड (महान कोल कम्पनी), कमिश्नर ऑफ कस्टम का कार्यालय, गुजरात, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, जेएसपीएल, अदानी माइनिंग प्रा0 लि0, सीईए, मेसर्स फील्ड माइनिंग एण्ड इस्पात लिमिटेड आदि।

वर्तमान में, सेल–आईएसपी, एनटीपीसी, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, एमओआईएल, बैतरणी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, गोवा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, नैनी कोल कम्पनी लिमिटेड, पीएसईबी, अल्ट्राटेक सीमेन्ट, नाल्को तथा एमईसीएल आदि जैसे 33 संगठनों के 37 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान, सीएमपीडीआई द्वारा 44 संगठनों से 13.16 करोड़ रूपये मूल्य के 63 कार्य प्राप्त किये गये।

13.0 श्रमशक्ति और कल्याण संबंधी क्रियाकलाप :

श्रमशक्ति की स्थिति :

विवरण	31 मार्च, 2010 के अनुसार	31 मार्च, 2011 के अनुसार
अधिकारी	824	811
कर्मचारी		
मासिक वेतनभोगी	1333	1361
दैनिक वेतनभोगी	999	930
सकल योग	3156	3102

कल्याण संबंधी क्रियाकलाप :

(i) सीएमपीडीआई के पास इसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में शत प्रतिशत संतुष्टि सहित 2518 क्वार्टर हैं।
(ii) सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया गया है।
(iii) सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को अपने डिस्पेंसरी तथा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के अस्पताल द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। आवश्यकतानुसार ख्याति प्राप्त संस्थानों में रेफर किया जाता है।
(iv) सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारियों को बैंक द्वारा वेतन भुगतान करवाया जाता है।
(v) सेवा निवृत्ति के दिन ही कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का चेक दे दिया जाता है।
(vi) सीएमपीडीआई, डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधी नगर, रांची को 1 लाख रूपया वित्तीय सहायता/अनुदान देता है।
(vii) कर्मचारियों के जिन आश्रितों ने खेल के क्षेत्र में जिला/राज्य/राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है उन्हें रू. 33,000/– (तैंतीस हजार रूपये) मात्र का पुरस्कार दिया जाता है।
(viii) सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के वैसे बच्चों को जिन्होंने वर्ष 2010 में आयोजित 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% और इससे ऊपर अंक प्राप्त किया है, को रू.

97,600/– (सनतानबे हजार छह सौ रूपये) की राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी गई।

(ix) कर्मचारियों के वैसे बच्चों को 17,000/– रू0. (सत्तरह हजार रूपये) मात्र का नकद पुरस्कार दिया गया जिन्होंने जिला एवं राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है।

(x) गोन्दवाना क्लब को 30–30 हजार के हिसाब से दो अवसरों पर 60,000/– रू0. (साठ हजार रूपये) मात्र दिया गया।

(xi) 150 प्लास्टिक की कुर्सी खरीदने के लिए गोन्वाना क्लब को 55,000/– रू0. (पचपन हजार रूपये) मात्र अनुदान दिया गया।

(xii) कैरम बोर्ड, टीटी बोर्ड, वाद्य यंत्र खरीदने तथा वार्षिक समारोह का आयोजन करने के लिए रिक्रियेशन क्लब को 58,148/– रू0. (अनठावन हजार एक सौ अड़तालिस रूपये) दिया गया।

(xiii) महिला दिवस मनाने के लिए विप्स को 5,000/– रू0. (पांच हजार रूपये) दिया गया।

(xiv) अम्बेदकर जयन्ती मनाने के लिए 6,000/– रू0. (छह हजार रूपये) मात्र अनुदान दिया गया।

(xv) सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 दिनों के लिए लॉन टेनिस कोचिंग कैम्प का आयोजन किया गया।

सीएसआर क्रिया–कलाप :

(i) बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची में सामान्य चकित्सा शिविर लगाया गया जिसमें 53 विद्यार्थियों की चिकित्सकीय जांच की गई तथा उन्हें मुफ्त दवा दी गई। इन लोगों की चिकित्सकीय जांच की गई जिसमें सीएमपीडीआई के पारा मेडिकल कर्मियों ने सहायता की।

(ii) 10.05.2010 से 16.05.2010 तक की अवधि के दौरान छात्रों को ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्प के जरिए खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोन्वादना प्राइमरी स्कूल, गोन्दवाना प्लेस, कांके रोड, रांची को 15,000/– रू0. (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र का आर्थिक अनुदान दिया गया।

(iii) वर्ष 2009–2010 वित्तीय वर्ष के लिए बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा के 30 गरीब एवं मेघावी बच्चों को विद्यालय शुल्क मुहैया करवाया गया।

(iv) बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची में सामान्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 101 बच्चों की चिकित्सकीय जांच की गई तथा निःशुल्क दवा दी गई। चिकित्सकीय जांच सीएमपीडीआई के डाक्टर ए.के.पी.सिन्हा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की तथा इसमें पारा मेडिकल कर्मी ने सहायता की।

(v) पतरागोन्दा गांव, कांके रोड, रांची में एक सामान्य चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें 103 ग्रामीणों की चिकित्सकीय जांच कर निःशुल्क दवा दी गई। इनकी चिकित्सकीय जांच सीएमपीडीआई के डाक्टर ए.के.पी.सिन्हा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की तथा इसमें पारा मेडिकल कर्मियों ने सहायता की।

(vi) बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा के एक छात्र को एन्टीरेबीज इंजेक्शन उपलब्ध करवाया गया।

(vii) बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा को स्वतंत्रता दिवस 2010 मनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई।

(viii) हथियागोंदा तथा पतरागोंदा के ग्रामीणों के बीच 580 फलदार एवं अन्य वृक्षों के नमूने वितरित किए गए।

(ix) श्री पापुसोना गांधी ग्राम–दर्मा, काली पहाड़ी, आसनसोल के एक नेत्रहीन छात्र, जिसने माध्यमिक परीक्षा 2010–11 में अच्छी सफलता पाई है, को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आईपीओडी, कैसेट रिकार्डर, खाली कैसेट तथा ब्रेक बुक आदि दिया गया है।

ये सामग्रियां क्षे.नि., क्षे.सं.–1, आसनसोल के कार्यालय कक्ष में सीएसआर समिति के अन्य सदस्य तथा श्री बी.एन.बासु द्वारा दी गई।

(x) बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा को स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर पुरस्कार वितरण के लिए आर्थिक सहायता दी गई।

(xi) गोन्दवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, रांची को स्वतंत्रता दिवस 2010 मनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई।

(xii) स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर 3 किलामीटर तथा उससे अधिक दूरी से विद्यालय आने–जाने वाले 8 जनजातीय छात्राओं को साइकिल उपलब्ध करवाया गया।

(xiii) जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल (बंगाल सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त), कुमारपुर, आसनसोल को 12 लकड़ीवाली नीची बेंच तथा 12 लकड़ीवाली ऊंची बेंच दिया गया। ये सामग्रियां श्री गोपाल प्रसाद, महाप्रबंधक(खनन) एवं क्षे.सं.–1 सीएसआर समिति के सदस्य द्वारा प्रदान किया गया।

(xiv) सोसो गाँव के ग्रामीणों के बीच 620 फलदार एवं अन्य उपयोगी वृक्ष के नमूने वितरित किए गए।

(xv) चंदवे गाँव के ग्रामीणों के बीच 700 फलदार एवं अन्य उपयोगी वृक्ष के नमूने वितरित किए गए।

(xvi) लोअर मिसिर गोंदा के ग्रामीणों के बीच 600 फलदार एवं अन्य उपयोगी वृक्ष के नमूने वितरित किए गए।

(xvii) लोअर मिसिर गोंदा, कांके रोड, रांची में लायन्स क्लब के साथ मिलकर एक सामान्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 146 ग्रामीणों को चिकित्सकीय जांच की गई तथा निःशुल्क दवा दी गई। चिकित्सा जांच सीएमपीडीआई के उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री ए.के.पी.सिन्हा ने किया जिसमें पारा मेडिकल कर्मियों ने सहयोग किया।

(xviii) सीएमपीडीआई के कर्मियों से एकत्र किए गए 300 पुराने कपड़ों को 28.09.2010 को लोअर मिसिरगोंदा के ग्रामीणों के बीच वितरित किया गया।

(xix) बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा के के.जी. एवं कक्षा 1 के छात्रों के बीच लेखन सामग्री का वितरण किया गया।

(xx) वर्तमान संरचना की निरंतरता में शेड पोर्शन में फ्लोरिंग सहित एक शेड का निर्माण किया गया तथा शेड में सीलिंग फैन तथा लाइट का प्वाइंट दिया गया।

(xxi) खमतराई गाँव, बिलासपुर में एक वाटर टैंक तथा समर्सिबुल पम्प सहित एक ट्यूब बेल उपलब्ध करवाया गया।

(xxii) लायन्स क्लब के सहयोग से बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची में एक आई कैम्प लगाया गया जिसमें 56 छात्रों की आँख की जांच की गई तथा मुफ्त दवा दी गई। आँखों की जांच लायन क्लब, रांची के चिकित्सकों ने की। इस कैम्प में सीएमपीडीआई के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 ए.के.पी.सिन्हा ने अपने पारा मेडिकल कर्मियों के साथ भाग लिया।

(xxiii) सीएमपीडीआई के खेल मैदान में बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची के छात्रों के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित की गयी इसमें श्री ए.एन.सहाय, निदेशक (तक./आरडी एण्ड टी) ने विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण किया।

(xxiv) जेसीसी/सीएसआर समिति के सदस्यों के द्वारा बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची के प्राचार्य को खेल सामग्री जैसे क्रिकेट का दो सेट, नेट सहित 2 वॉलीवाल सेट तथा 2 फुटबॉल दिए गए।

(xxv) चंदवे गाँव, कांके रोड, रांची में एक आम चिकित्सा शिविर लगाया गया जिसमें 60 ग्रामीणों की चिकित्सकीय जांच की गई तथा निःशुल्क दवा दी गई। चिकित्सा जांच सीएमपीडीआई के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया तथा इसमें पारा मेडिकल कर्मियों ने सहयोग किया।

(xxvi) चंदवे गांव, कांके रोड, रांची के ग्रामीणों को साठ (60) कम्बल वितरित किए गए।

(xxvii) लोअर मिसिरगोंदा, कांके रोड, रांची के ग्रामीणों को इकानबे (91) कम्बल वितरित किए गए।

(xxviii) ओल्ड वृद्धाश्रम में रहने वाले गरीब आवासियों को (सभी सीनियर सिटीजन) को एक इनर्वटर तथा पांच लकड़ी की चौकी (बिस्तर तथा कम्बल सहित) दिया गया।

(xxix) व्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय की पच्चीस (25) नेत्रहीन आदिवासी लड़कियों को निम्नलिखित सामान दिए गए :

1.	लाल टेरीकॉट कपड़ा	–	65 मीटर
2.	सफेद टेरीकॉट कपड़ा	–	65 मीटर
3.	सफेद शिफॉन	–	50 मीटर
4.	प्रिन्टेड सलवार सुट	–	25 पीस
5.	शाल	–	25 पीस
6.	कार्डीगन	–	25 पीस
7.	तकिया कवर के साथ बेडसीट	–	25 पीस
8.	कैनवॉस जूता मोजा के साथ	–	21 पीस

(xxx) क्षेत्रीय संस्थान–1 के सीएसआर कमिटी के सदस्यों द्वारा आसनसोल के एक एनजीओ ''स्पर्श'' के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संथालपारा, कालिकापुर तथा हेला(स्वीपर) पारा, कुमारपुर, आसनसोल के बीपीएल कार्डधारी गरीब परिवारों को कम्बल वितरित किए गए।

(xxxi) मोसद्दी मोहल्ला ऊर्दु फ्री प्राइमरी स्कूल, रेलपार, आसनसोल को दस (10) सेट लकड़ी के डेस्क एवं बेंच उपलब्ध कराए गए। ये सामग्रियां श्री गोपाल प्रसाद, महाप्रबंधक (खनन)/अध्यक्ष, क्षे.सं.–1, सीएसआर कमिटी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर वितरित किए गए।

(xxxii) आसनसोल ब्रेल अकादमी, एक नेत्रहीन आवासीय विद्यालय (नेत्रहीन सोसाइटी निवारण, आसनसोल की एक यूनिट) के नेत्रहीन विद्यार्थियों को लकड़ी के पांच (5) सेट डेस्क (बाक्स टाइप) तथा बेंच एवं ब्रेल लिपि की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। ये सभी सामान श्री तापस बनर्जी, मेयर, आसनसोल नगर निगम, श्री गोपाल प्रसाद, महाप्रबंधक (खनन)/अध्यक्ष, क्षे.सं.–1, सीएसआर कमिटी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सौंपे गए।

(xxxiii) एचआईवी/एड्स जागरूकता मुहिम के अन्तर्गत सीएमपीडीआई(मु.), रांची द्वारा झारखण्ड एड्स नियंत्रक सोसाइटी के साथ मिलकर एचआईवी/एड्स से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएमपीडीआई (मु.) के डा0 ओम प्रकाश, एम.एस., श्री ए.के.मिश्रा, उप प्रबंधक (पी/डब्ल्यू/सीएसआर) एवं नोडल अधिकारी (एचआईवी/एड्स) तथा श्री डी. चक्रवर्ती, परामर्शदाता, झारखण्ड एड्स नियंत्रक सोसाइटी द्वारा एड्स से बचाव, उसकी पहचान तथा सावधानी रखने से संबंधित जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुखिया श्री निर्मल करमाली सहित एक सौ तीस (130) ग्रामीण एवं कर्मचारीगण तथा उनके पारिवारिक सदस्य उपस्थित थे।

(xxxiv) क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली, सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री आर.के.चोपड़ा तथा सीएसआर कमिटी के सदस्यों द्वारा प्राचार्य श्रीमती प्रमिला शर्मा को सत्तर (70) लकड़ी के डेस्क और बेंच दिए गए।

(xxxv) एचआईवी/एड्स जागरूकता मुहिम के अन्तर्गत सीएमपीडीआई(मु.), रांची द्वारा झारखण्ड एड्स नियंत्रक सोसाइटी के साथ मिलकर एचआईवी/एड्स से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएमपीडीआई(मु.) के डा0 ए.के.पी.सिन्हा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री ए.के.मिश्रा, उप प्रबंधक (पी/डब्ल्यू/सीएसआर), नोडल अधिकारी (एचआईवी/एड्स) तथा श्री डी. चक्रवर्ती, परामर्शदाता, झारखण्ड एड्स नियंत्रक सोसाइटी द्वारा एड्स से बचाव, उसकी पहचान और सावधानी रखने से संबंधित जानकारियाँ दी गई। कार्यक्रम के दौरान गांव की

मुखिया श्रीमती कलावती कुमारी के साथ पच्चास (50) ग्रामीण एवं कर्मचारीगण तथा उनके पारिवारिक सदस्य मौजूद थे।

(xxxvi) स्थानीय गरीब व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच हेतु देवाशीष घटक फाउन्डेशन विधिवत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के साथ मिलकर एक चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस चिकित्सा शिविर में क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल के द्वारा दवाइयों की आपूर्ति की गई।

(xxxvii) एचआईवी/एड्स जागरूकता मुहिम के अन्तर्गत सीएमपीडीआई(मु.), रांची द्वारा झारखण्ड एड्स नियंत्रक सोसाइटी के साथ मिलकर एचआईवी/एड्स से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएमपीडीआई(मु.) के डा0 ए.के.पी.सिन्हा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री ए.के.मिश्रा, उप प्रबंधक (पी/डब्ल्यू/सीएसआर), नोडल अधिकारी (एचआईवी/एड्स) तथा श्री डी. चक्रवर्ती, परामर्शदाता, झारखण्ड एड्स नियंत्रक सोसाइटी द्वारा एड्स से बचाव, उसकी पहचान और सावधानी रखने से संबंधित जानकारियाँ दी गई। कार्यक्रम के दौरान वार्ड नं0–22 के वार्ड सदस्य श्री दीपक गोप के साथ पच्चास (50) ग्रामीण एवं कर्मचारीगण तथा उनके पारिवारिक सदस्य उपस्थित थे।

(xxxviii) बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची में ग्रामीणों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें सीएमपीडीआई (मु.) के डाक्टर ए.के.पी.सिन्हा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी पारा मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर एक सौ पच्चीस (125) ग्रामीणों तथा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच किए तथा उनको मुफ्त में दवाईयाँ भी दी गई।

(xxxix) बारतोरियाँ फ्री प्राइमरी स्कूल, पोस्ट–मेथानी, जिला–बर्द्धवान (प.बं) को लकड़ी की बनी ऊंची तथा नीची 12 सेट बेंच दिए गए। ये सामग्री क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल के श्री जे.बनर्जी, श्री टी.के.मिश्रा, श्री पार्थ मंडल, श्री परेश मुखर्जी, श्री स्वपन मुखर्जी एवं श्री जगदम्बा सिंह, सभी सीएसआर कमिटी के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई।

(xl) ओरला गाँव के ग्रामीणों के उपयोग के लिए एक यात्री शेड का निर्माण कराया गया। इस यात्री शेड का उद्घाटन दिनांक 11.03.2011 को श्री वी.के.राय, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय संस्थान–3, सीएमपीडीआई, रांची के द्वारा किया गया।

(xli) श्री वी.के.राय, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय संस्थान–3, सीएमपीडीआई, राँ द्वारा बसंतपुर एवं परेज गाँव, जिला–हजारीबाग के प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के बीच खेलकूद से संबंधित सामग्री, यथा चार सेट क्रिकेट, चार सेट फुटबाल, अस्सी (80) वाटर बॉटल और दस (10) दरियाँ वितरित की गई।

(xlii) भूवनेश्वर के चेतना संस्थान के मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए एक यूरेका फोर्ब हैवी डयूटी वाटर कूलर–कम प्यूरी फायर, एक वर्लफूल हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन तथा इक्कीस (21) रेक्सीन से बंधी मेट्रेस दी गई।

(xliii) क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद, सीएमपीडीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 को तेलीपारा (लड़के एवं लड़कियों दोनों), आदिवासी प्राथिमिक विद्यालय तेलीपारा तथा आँगनबाड़ी तेलीपारा (लड़के एवं लड़कियों) में 75 (पचहत्तर) सेट स्कूल ड्रेस लड़कों के लिए, 103 (एक सौ तीन) सेट स्कूले ड्रेस लड़कियों के लिए, 20 (बीस) सेट डेस्क–बेंच, 2 (दो) दरी, 1 (एक) टेबुल एवं एक (1) कुर्सी वितरित किया गया।

(xliv) वर्ष 2010–11 वित्तीय वर्ष में रवामतराई गाँव के बच्चों के लिए तीन सौ (300) खाद प्लेटें प्राप्त की गई तथा इन्हें रवामतराई गाँव के स्कूल में वितरित किया गया।

(xlv) 6 सिलाई मशीन, 2 फुटबाल नेट के साथ 2 वालीबाल नेट के साथ, 2 सेट क्रिकेट किट, 1 जीरो–बी रिवर्स ऑजमोसिस (प्रतिवर्ती रसाकर्षण) तथा 68 स्कूल ड्रेसेस उपलब्ध कर इन्हें क्रमशः जनकल्याण समिति मिसिर गोंदा, अनु महिला समिति, चँदवे, राजकीय मध्य विद्यालय, अशोक नगर और माहेश्वरी गर्ल्स हाई स्कूल, अशोक नगर में उपयोग हेतु दिया गया।

(xlvi) बिरसा हाई स्कूल, हथिया गोंदा, काँके रोड, राँची के 39 सराहनीय गरीब विद्यार्थियों की स्कूल फीस से बंधित 43,020.00 रूपये (तैंतालीस हजार बीस रूपये) का चेक तथा गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, काँके रोड, राँची के 11 सराहनीय गरीब विद्यार्थियों की स्कूल फीस से संबंधित 11,880.00 रूपये (ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) का चेक वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान तैयार किया गया तथा इन चेकों को क्रमशः दोनों विद्यालयों के प्राचार्यों को सौंप दिया गया।

सीएसआर कार्य–कलाप – गरीब लोगों के लिए सामान्य चिकित्सा कैम्प

सीएसआर क्रिया–कलाप – ग्रामीणों के बीच कम्बल का वितरण

खेल–कूद संबंधी गतिविधियाँ :

(i) सीएमपीडीआई द्वारा स्पोर्टस टूर्नामेंट यथा–अंतर क्षेत्रीय संस्थान कैरम, चेस, ब्रिज, टेबुल टेनिस, वॉलीबाल, बैडमिंटन टूर्नामेंट और अंतर क्षेत्रीय संस्थान एथेलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया।

(ii) सीएमपीडीआई (मुख्यालय), राँची में सीएमपीडीआई द्वारा 24वाँ कोल इंडिया अंतर कंपनी बैडमिंटन टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(iii) श्रीमती पुष्पा हस्सा, खेल पर्यवेक्षक ने एनसीएल, सिंगरौली में आयोजित कोल इंडिया अंतर कंपनी एथेलेटिक्स मीट में जेवलीन थ्रो में प्रथम स्थान एवं स्वर्ण पदक हासिल की।

(iv) श्रीमती पुष्पा हस्सा, खेल पर्यवेक्षक, जेवलीन थ्रो में प्रथम स्थान प्राप्त की तथा अहमदाबाद में ओएनजीसी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर एथेलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक हासिल की।

(v) श्रीमती पुष्पा हस्सा, खेल पर्यवेक्षक जेवलीन थ्रो में प्रथम स्थान प्राप्त की तथा चंडीगढ़ में आयोजित 32वाँ नेशनल मास्टरस् एथेलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक हासिल की।

(vi) श्री डी.एन.महतो, दफ्तरी, पटना गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित 38वीं गोल्फ चैम्पियनशिप में विजेता घोषित हुए। उनकी उपलब्धि नं. 14 के एक होल से होल की प्राप्ति की थी जो कि एक दुलर्भ उपलब्धि समझी जाती है।

14.0 राजभाषा :

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) तथा कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसकें द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया ।

आपकी कंपनी समीक्षाधीन वर्ष यानि 2010–11 के दौरान गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया है तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका ''देशकाल संपदा'' का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इलाहाबाद में इस पत्रिका को **''सारस्वत सम्मान''** से नवाजा गया।

हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए 2010 में 2 नवम्बर को एक भव्य ''अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन'' का आयोजन किया गया, जिसे श्रोताओं द्वारा काफी सराहा गया। कोयला मंत्रालय के निदेशों के अनुसार सितम्बर माह 2010 को ''राजभाषा पखवाड़ा'' के रूप में मनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों के बीच हिन्दी को प्रचारित और लोकप्रिय करने के लिए हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान इस अवसर पर आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग लिये। विजेताओं को 1500.00 रूपया, 1300.00

रूपया, 1200.00 रूपया, 1100.00 रूपया एवं 1000.00 रूपया तथा इतनी ही रकम की पुस्तकें भी साथ में इनाम के रूप में दी गईं। इसके अतिरिक्त हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कंपनी के दो विभागों तथा दो क्षेत्रीय संस्थानों को क्रमशः अध्यक्षीय शील्ड, विजेता एवं अध्यक्षीय शील्ड, उपविजेता से नवाजा गया ।

दिन–प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (मानव संसाधन विकास विभाग) के तत्वावधान में चार हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गई। सभी हिन्दी कार्यशालाएँ दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में कर्मचारियों के झिझक को दूर करने में बहुत प्रभावी रही।

आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निदेशों और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा की तिमाही प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें भी आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय संस्थानों के दैनिक कार्य–कलाप में हिन्दी की प्रगति को क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वय समिति की बैठक में एक स्थाई कार्य–सूची (एजेंडा) के रूप में शामिल किया गया है तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अलावे मुख्यालय के विभिन्न विभागों में और सभी क्षेत्रीय संस्थानों में राजभाषा की हिन्दी की प्रगति की समीक्षा के लिए चार समितियाँ भी गठित की गईं है। दिन–प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये समितियाँ सुझाव देती हैं और मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

15.0 निदेशक का उत्तरदायित्वपूर्ण उक्ति :

15.1 वार्षिक लेखा को तैयार करने के लिए सामग्रियों के विचलनों से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित उपयोज्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

15.2 निदेशकों ने ऐसी लेखा–नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किए जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अन्त में और इस अवधि के लिए कम्पनी की लाभ–हानि के विषय में कम्पनी मामलों की स्थिति का सत्य एवं स्पष्ट विचार दे सके।

15.3 निदेशकों ने लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया।

15.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कन्सर्न) पर वार्षिक लेखा को तैयार किया।

अंकेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, पटना को वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए कम्पनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44(ए.बी.) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, जिनके निकट सम्पर्क में आपकी कम्पनी ने काम किया है तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में जिन्होंने सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उनके प्रति हम आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0, सेल–आईएसपी, इफको, छत्तीसगढ़ पावर लि0, सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी, टाटा स्टील, हिण्डालको, महागुज कोलियरी लि0, हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय, डीएससीएल, रिलायंस कोल रिसोर्सेज लि0 (मेसर्स ससान पावर लि0) ओएमसी आदि के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हममें विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण प्रदान किया।

परिशिष्ट :

कम्पनी अधिनियम 1956 (शून्य रिपोर्ट) की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ संलग्न हैं।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

(ए.के.सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

राँची
दिनांक : 26.05.2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट :	प्रबंधन का जवाब
सेवा में, सदस्यगण, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, रॉची,, झारखण्ड।	
1. हमने सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, के 31 मार्च 2010 के संलग्न तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी की लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण, जिसपर हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किया है, की परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार (मत) अभिव्यक्त करना है।	
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण मानक के अनुसार अंकेक्षण किया है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह पता लगाने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं एवं इसे पूरा करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। इस अंकेक्षण में परीक्षण के तौर पर रकम के पक्ष में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण में इसका उल्लेख शामिल है। इस परीक्षण में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों के मूल्यांकन तथा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ–साथ सम्पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे विचार के लिए हमारा अंकेक्षण पर्याप्त आधार उपलब्ध करायेगा।	
3. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के रूप में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003, जो दि कम्पनीज अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (संशोधित आदेश) 2004 द्वारा यथा संशोधित जैसा कि अपेक्षित है, हम कथित आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लेखित मामले पर इसमें एक विवरण संलग्न करते हैं :	
4. उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में उद्धृत परिशिष्ट में हमारी टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :	
अ – लेखे पर टिप्पणियॉ	
I. फुटकर देनदार में विभिन्न पार्टियों से काटे गये टीडीएस भी शामिल हैं। फुटकर देनदार के असमायोजन तथा फुटकर देनदार से शेष की संपुष्टि नहीं होने के कारण भी फुटकर देनदार में शामिल टीडीएस की रकम की मात्रा बताने योग्य (क्वान्टीफाइबुल) नहीं है तथा टीडीएस की वसूली योग्य (रिलाजेब्लिटी) रकम भी निर्धारित करने योग्य नहीं है।	फुटकर देनदारों के समायोजन का कार्य जारी है। ग्राहकों से टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाने पर टीडीएस की रकम की गणना की जाती है।
II. कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कम्पनियों की जमीन पर बने भवनों	कोई टिप्पणी नहीं

की लागत या डब्ल्यू.डी.वी में सम्मिलित 1063.45 लाख रूपये को कम्पनी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया है। (अनुसूची 15 में उल्लिखित टिप्पणी सं. 1.1.3)।

III. जैसा कि अनुसूची–15 की नोट संख्या 4.1.3 में निर्दिष्ट है, देनदार में कुछ को अभी तक संपुष्ट नहीं किया गया है। ऋण एवं अग्रिम का शेष (बैलेंस) तथा फुटकर लेनदार भी संपुष्ट नहीं हैं।	फुटकर देनदारों के पास शेष की संपुष्टि के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं। (सीआईएल की अनुषंगी कम्पनियों के अलावे)
IV. जैसा कि अनुसूची –15 की नोट संख्या 9.4.1 में निर्दिष्ट है, औद्योगिक एवं अन्य विवाद से संबंधित कुछ मामले (सूट) न्यायालय में लम्बित है। इस संबंध में प्रबन्धन द्वारा आकस्मिक देयता की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
V. लाभ/हानि या परिसम्पत्तियों/देयताओं पर उपर्युक्त I से III तक की टिप्पणियों का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है। इनमें से किसी पर टिप्पणी IV का प्रभाव नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

(आ) उपर्युक्त अनुच्छेद ''अ'' में हमारी टिप्पणी के संदर्भ में :

(1) हमने वैसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी में हमारी लेखा–परीक्षा के उद्‌देश्य के लिए आवश्यक थे।

(2) हमारे विचार में कम्पनी के पास कानून के अनुसार लेखा की समुचित पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं। जैसा कि हमारी जाँच से पता चला है।

(3) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा–पुस्तिका के अनुसार है।

(4) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित लाभ एवं हानि लेखा, तुलन–पत्र तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण कम्पनी कानून 1956 की धारा 211 के उप अनुच्छेद (3सी) में उल्लिखित लागू लेखा मानकों की अपेक्षा के अनुरूप है, फिर भी खण्डवार (सिगमेंटवाइज) परिसम्पत्तियॉ एवं देयताएं ए.एस–17 (सिगमेंट रिपोर्टिंग) के अनुसार स्पष्ट नहीं की गई हैं तथा एएस–17 के अनुसार प्राइमरी एवं सेकेण्डरी सिंगमेंट की पहचान भी नहीं की गई है।

(5) हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेख तथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं कम्पनी सचिव के अभ्यावेदन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निदेशकों की अयोग्यताओं से संबंधित कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 274 के उप अनुच्छेद (1) के खण्ड (जी) के प्रावधान, कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(6) हमारी राय तथा सर्वोतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कथित लेखे के साथ–साथ उसकी अनुसूची तथा महत्वपूर्ण लेखा–नीति (अनुसूची–14) तथा लेखे पर टिप्पणी (अनुसूची–15) के साथ पठित लेखे से कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी उसी रूप में मिलती है तथा निम्नांकित के विषय में सही एवं स्पष्ट विचार देता है :

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कम्पनी

के मामले।

(ख) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के लाभ एवं हानि लेखा के मामले में।

(ग) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 मई, 2011

ह/0
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य
(सदस्यता संख्या 075899)
(एफआरएन – 002180 C)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची	प्रबंधन का जवाब
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची (31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर आज की तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद (3) में उल्लिखित)	
1. अचल परिसम्पत्ति के मामले में	
(क) कम्पनी ने सामान्य तौर पर अचल परिसम्पतियों की स्थिति तथा परिमाणात्मक विवरण समेत पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सही रिकार्ड अपने पास रखा है तथापि एसएंडटी कोष के मामले में अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर परिसंपत्तिवार के बदले वर्षवार मेंटेन किया जाता है।	एस एण्ड टी कोष से संबंधित परिसम्मपत्तिवार अचल परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने का कार्य जारी है
(ख) कम्पनी द्वारा अपनाई गई जाँच के चरणवद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा अधिक मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग की प्रत्यक्ष जाँच की गई है। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, ऐसी जाँच की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भौतिक असंगति नहीं पाई गई। विवेच्य वर्ष के दौरान एसएंडटी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।	एस एण्ड टी परिसंपत्तियों की भौतिक जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।
(ग) हमारी राय में विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने अचल परिसम्पतियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया है और कम्पनी की चालू संस्था (गोइंग कन्सर्न) की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. इसकी वस्तु सूची (इन्वेंटरी) के मामले में :	
(क) विवेच्य वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा ऊँचें मूल्य के भण्डारों एवं अतिरिक्त पार्ट–पुर्जों के स्टॉक की प्रत्यक्ष रूप से जॉच की गई है। परीक्षण के आधार पर कुछ कम मूल्य के आइटमों की भी जाँच की गई है। हमारे विचार में जाँच की आवृत्ति यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच के लिए अपनाया गया तरीका तर्क संगत है तथा कम्पनी के आकार एवं इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ग) कम्पनी ने अपनी वस्तु–सूची का उचित रिकार्ड रखा है। जैसा कि हमें बताया गया है, पुस्तक अभिलेखों की तुलना में स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच पर पाई गई असंगति महत्वपूर्ण नहीं थी तथा इस पर लेखे की पुस्तक में उचित रूप से विचार किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. दि कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में उल्लिखित किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों को/से कम्पनी द्वारा दिए गए/ लिए गए प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के संबंध में :	
(क) कम्पनी ने इस कानून की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं स्वीकृत	कोई टिप्पणी नहीं।

किया है।	
(ख) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी के विचार से इस कंपनी पर उपर्युक्त आदेश का खंड 3 (ख) लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ग) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी के विचार से पूर्व कथित आदेश का खंड 3 (ग) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(घ) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी के विचार से पूर्व कथित आदेश का खंड 3 (घ) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ड.) इस कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 (दि एक्ट) की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से अप्रतिभूत या प्रतिभूत किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। कम्पनी ने अपनी नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड से अप्रतिभूत ऋण लिया है जो विवेच्य वर्ष में रैपीड था।	कोई टिप्पणी नहीं।
(च) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेट से लिए गए ऋण पर ब्याज की दर तथा अन्य अनुबंध एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(छ) कोल इंडिया लिमिटेड से लिए गए ऋण के मामले में ब्याज का भुगतान नियमित किया जा रहा है तथा मूलधन माँग के अनुसार लौटाने योग्य है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. हमारी राय में वस्तुओं तथा अचल परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सामग्रियों एवं सेवाओं की बिक्री के मामले में इसके आंतरिक नियंत्रण की पद्धति कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। अपनी लेखा–परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हमने कोई बड़ी कमी नहीं पाई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत आने वाले लेन–देन (ट्रान्जक्शन)के संबंध में :	
(क) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविदा या करार के अनुसरण में ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया था जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसार 5 लाख रूपये मूल्य से अधिक का लेन–देन नहीं किया गया है जो संगत समय में प्रचलित बाजार मूल्य होने से युक्तिसंगत नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
6. कंपनी 58 ए या 58 ए.ए तथा इस कानून के या किसी अन्य बाहय प्रावधान के अर्थ में कंपनी ने जनता से किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
7. कंपनी ने क्रमशः धनबाद तथा सिंगरौली स्थित क्षे0सं0–II एवं VI को छोड़ कर शेष क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के लिए आंतरिक अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के बाहरी फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में अपने आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी के पास आंतरिक अंकेक्षण की पद्वति मौजूद है। तथापि लोकेशनल एवं फंक्शनल कवरेज बढ़ाया जाना चाहिए।	वत्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान सीएमपीडीआई मुख्यालय के आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद तथा क्षेत्रीय संस्थान –6,

सिंगरौली का अंकेक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए बाहरी फर्मों से मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों में आंतरिक अंकेक्षण कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

8 हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने इस कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–209(1)(डी) के तहत लागत रिकार्ड के रख–रखाव का निर्धारण नहीं किया है।

कोई टिप्पणी नहीं।

9. सांविधिक बकाया के मामले में :

(1) कम्पनी के अभिलेख के अनुसार कम्पनी अविवादित सांविधिक बकाया जैसे भविष्य निधि, निवेशक, शिक्षा तथा संरक्षण कोष, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य बकाया सक्षम प्राधिकारी के पास प्रायः नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस कम्पनी में कर्मचारी राज्य जीवन बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित बकाए के मामले में कोई अविवादित बकाया 31 मार्च 2011 को उसके भुगतान योग्य होने की तिथि से निम्नलिखित को छोड़कर 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है :

क्र.सं.	सांविधि का नाम	बकाए की प्रकृति	रकम (रूपये में)
1.	वैट अधिनियम	बिक्री कर	0.64 लाख रूपये

कोई टिप्पणी नहीं।

(2) उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित रहने के कारण 276.47 लाख रूपये के विवादित सांविधिक बकाया जमा नहीं कराया गया है, वह इस प्रकार है :–

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाए की प्रकृति	रकम (लाख रूपये में)	न्यायालय (जहाँ मामला लम्बित है)
1.	सेवा कर अधिनियम	सेवाकर	40.24	सेवा कर न्यायाधिकरण, कोलकाता
2.	बिक्री कर अधिनियम	प्रवेश कर	16.78	बिक्री कर ऑथरिटी

कोई टिप्पणी नहीं।

10. कम्पनी ने 31 मार्च, 2011 के अनुसार कोई संचित हानि नहीं उठायी है तथा उसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा गत वर्ष (ठीक पहले वाला वर्ष) के दौरान परिचालन क्रिया–कलाप से नकद हानि नहीं उठायी है।

कोई टिप्पणी नहीं।

11. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि वित्तीय संस्थानों/बैंकों एवं डिवेन्चर होल्डर के पास कम्पनी का बकाया नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, डिवेन्चर तथा

कोई टिप्पणी नहीं।

अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के रूप में प्रतिभूतियों के आधार पर किसी प्रकार का कर्ज या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

13. कम्पनी कोई चिट फंड, निधि या म्यूचुअल बेनिफिट फंड/ सोसाइटी नहीं है। इसलिए सीएआरओ का खण्ड–XIII इस कम्पनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
14. हमारी राय में कम्पनी शेयर, प्रतिभूति, डिवेन्चर तथा अन्य निवेश का कारोबार या व्यापार नहीं करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
15. हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से दूसरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
16. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई सावधिक ऋण नहीं उगाही (रेज) किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
17. हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने कोई अल्प अवधि का ऋण उगाही (रेज) नहीं किया है और न ही दीर्घकालीन उद्देश्य या विपरीत के लिए इसका उपयोग किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
18. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 (दि एक्ट) की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में आने वाली पार्टी या कम्पनी को शेयर का अधिमान्य आवंटन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
19. कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कोई डिवेन्चर जारी नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
20. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने आम इश्यू द्वारा कोई धन नहीं उगाहा है।	कोई टिप्पणी नहीं।
21. प्रबंधन से प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आनंदवन कैम्प (क्षेत्रीय संस्थान–4) में 2.85 लाख रूपये के नकद गबन का मामला पाया गया है, जिसकी वसूली की जा रही है।	कोई टिप्पणी नहीं।

वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18.05.2011

ह0/–
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य
(सदस्यता सं0 075899)
(एफआरएन – 002180 C)

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए आम सूचना (जेनरल नोट)

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा जांच के लिए रखी जाएगी तथा यह कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयरधारक द्वारा मांगे जाने पर जानकारी देने के लिए मुख्यालय में उपलब्ध रहेगा।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विहित वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा विहित आडिटिंग एण्ड एस्योरेन्स स्टैन्डर्ड के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। यह दिनांक 17 मई, 2011 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया/बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहूँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18.05.2011

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड
की ओर से एवं वास्ते

(एस.के.जयपुरियार)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–।। के पदेन सदस्य
कोलकाता – 20

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

	अनुसूची		31 मार्च, 2011 तक (लाख रूपये में)		31 मार्च, 2010 तक (लाख रूपये में)
निधि के स्रोत					
अंशधारकों की निधि					
(अ) शेयर पूँजी	क		**1904.00**		1904.00
(ब) आवंटन तक लंबित शेयर मनी	ख		**0.00**		0.00
(स) आरक्षित एवं अधिशेष	ग		**6850.70**		5474.82
ऋण निधि					
(अ) प्रतिभूत ऋण	घ		**0.00**		0.00
(ब) अप्रतिभूत ऋण	ड.		**0.00**		3.66
कुल नियोजित निधि			**8754.70**		7382.48
निधि के उपयोग					
अचल परिसम्पत्तियॉ (सरकार/सीआईएल की ओर से रखी गई परिसम्पतियाँ सहित)					
सकल ब्लॉक	च	**16593.04**		15530.68	
घटाकर : मूल्य ह्रास		**9398.39**		8774.91	
निबल ब्लॉक			**7194.65**		6755.77
सर्वेड ऑफ परिसम्पतियॉ			**50.55**		52.27
पूँजीगत चालू कार्य	छ		**513.38**		138.66
निवेश	ज		**0.00**		0.00
आस्थगित कर (निबल)			**5990.61**		5450.62
चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण तथा अग्रिम					
वस्तुसूची	झ	**677.33**		629.16	
विविध देनदार	ञ	**19046.61**		27586.66	
नकद एवं बैंक शेष	ट	**6104.07**		6924.33	
ऋण एवं अग्रिम	ठ	**11355.75**		6913.07	
अन्य चालू परिसम्पत्तियॉ	ड	**3856.77**		5409.72	
कुल चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण एवं अग्रिम		**41040.53**		47462.94	
घटाकर : चालू देयताएं एवं प्रावधान	ढ़	**46035.02**		52477.78	
निबल चालू परिसम्पत्तियॉ			**-4994.49**		-5014.84
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	ण		**0.00**		0.00
			8754.70		7382.48
सार्थक लेखा नीति	14				
लेखों पर टिप्पणी	15				

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित अनुसूची लेखे का अभिन्न भाग है

निदेशक मण्डल सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड की ओर से एवं वास्ते

ह/0	ह/0	ह/0	ह/0
(पी.लाजर)	**(के.चन्द्रमौली)**	**(एन.खुराना)**	**(ए.के.सिंह)**
कम्पनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट) फर्म रजिस्ट्रेशन नं0 002180 सी

(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)

पार्टनर

कैम्प : राँची

तिथि :

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

	अनुसूची	**चालू वर्ष** 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रूपये में)	गत वर्ष 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रूपये में)
आय			
सेवाओं की बिकी	1	**42909.19**	45352.61
अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया गया कोयला	2	**0.00**	0.00
अन्य आय	3	**672.67**	376.55
कुल आय		**43581.86**	45729.16
व्यय			
सामानों एवं पार्ट पुर्जों की खपत	4	**1611.99**	1236.61
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं सुविधाएं	5	**26477.77**	28698.04
सामाजिक ऊपरी खर्च	6	**1985.67**	1871.89
विद्युत एवं ईंधन	7	**207.44**	230.19
मरम्मत	8	**599.83**	727.23
संविदात्मक व्यय	9	**7542.68**	7699.88
विविध व्यय	10	**2578.98**	2459.43
कुल व्यय		**41004.36**	42923.27
सकल चालू लाभ		**2577.50**	2805.89
ब्याज	11	**2.95**	26.42
मूल्य ह्रास		**474.41**	383.46
प्रावधान	12	**0.00**	175.79
वर्ष के लिए लाभ		**2100.14**	2220.22
पूर्व अवधि समायोजन/(–) आय	13	**-268.76**	259.27
कर के पूर्व निबल लाभ		**2368.90**	1960.95
आयकर के लिए प्रावधान			
चालू वर्ष के लिए – आयकर		**1322.33**	2103.94
पूर्व वर्ष के लिए – आयकर		**54.63**	-196.18
आस्थगित कर के लिए		**-539.99**	-1093.19
कर के बाद लाभ			
जेनरल रिजर्व में अन्तरित : घटाकर		**1531.93**	1146.38
		0.00	0.00
जेनरल रिर्जव में अन्तरण के बाद लाभ		**1531.93**	1146.38
जोड़कर : गत वर्ष तक लाभ		**4213.92**	3110.21
घटाकर : सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान		**0.00**	42.67
तुलन–पत्र में लाया गया शेष		**5745.85**	4213.92
सार्थक लेखा नीति	14		
लेखे पर टिप्पणी	15		

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित अनुसूची लेखे का अभिन्न भाग है

सीएमपीडीआई के निदेशक मण्डल की ओर से एवं वास्ते

पी.लॉजार	के.चन्द्रमौली	एन.खुराना	ए.के.सिंह
कम्पनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
(चार्टर्ड एकाउन्टेंटस) फर्म रजिस्ट्रेशन नं0 002180 c

कैम्प : राँची

दिनांक :

(सुशील कुमार तुलस्यान) पार्टनर
सदस्यता सी – 075899

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची शेयर पूँजीं	**अनुसूची 'क'**

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	**गत वर्ष (लाख रूपये में)**
<u>अधिकृत पूँजी</u>		
1000 रूपये प्रति शेयर वाले 5,00,000 इक्विटी शेयर		
	5000.00	5000.00
	5000.00	5000.00
<u>निर्गमित अभिगत एवं चूकता पूँजी</u>		
(कोल इण्डिया, नियंत्रक कम्पनी तथा इसके मनोनीती के हैं)		
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000 रूपये के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रूपये के 8 इक्विटी शेयर)	**0.08**	0.08
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चूकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000 रूपये के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रूपये के 85392 इक्विटी शेयर)	**853.92**	853.92
ऋण को इक्विटी शेयर में बदल कर होल्डिंग कम्पनी को पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000 रूपये के 105000 इक्विटी शेयर	**1050.00**	1050.00
	1904.00	1904.00

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची **आवंटन तक लंबित शेयर मनी**	**अनुसूची 'ख'**

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	**गत वर्ष (लाख रूपये में)**
	शून्य	**शून्य**

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
आरक्षित एवं अधिशेष

अनुसूची 'ग'

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)		गत वर्ष (लाख रूपये में)	
(क) पूँजीगत भण्डार				
पूँजीगत उपकरण की खरीद के लिए अनुदान				
ऊर्जा कोयला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	704.49		994.71	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6.93		61.53	
	711.42		1056.24	
घटाकर : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया मूल्य ह्रास	102.25		100.42	
घटाकर : समायोजन	0.00	609.17	251.33	704.49
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	5.77		5.93	
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
	5.77		5.93	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	0.80	4.97	0.16	5.77
सी.सी.डी.ए. अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	14.07		15.61	
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.51	
	14.07		16.12	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	1.84	12.23	2.05	14.07
ई.एम.एस.सी. अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	0.47		0.47	
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
	0.47		0.47	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	0.00	0.47	0.00	0.47
कोल इण्डिया अनुसंधान एवं विकास अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	219.47		386.83	
वर्ष के दौरान वृद्धि	14.52		2.40	
	233.99		389.23	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	50.62		58.09	
घटाकर : समायोजन/हस्तांतरण	0.00	183.37	111.67	219.47
पी.आर.ई.अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	88.26		101.05	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1.63		10.33	
	89.89		111.38	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	23.89	66.00	23.12	88.26
सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस				
गत लेखे के अनुसार	10.83		12.59	
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	10.83		12.59	
	-0.27	11.10	1.76	10.83
(ख) सामान्य रिजर्व		887.31		1043.36
(ग) लाभ एवं हानि लेखे से स्थानांतरित लाभ–शेष		217.54		217.54
		5745.85		4213.92
कुल		6850.70		5474.82

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची प्रतिभूत ऋण		अनुसूची 'घ'
	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
	शून्य	शून्य

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची अप्रतिभूत ऋण		अनुसूची 'ड.'
	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
कोल इण्डिया लिमिटेड, नियंत्रक कम्पनी को देय	**0.00**	0.00
प्राप्त एवं बकाया ब्याज	**0.00**	3.66
कुल	**0.00**	3.66

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची

अचल परिसम्पतियॉं

अनुसूची 'च'

(लाख रूपये में)

विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निबल ब्लॉक	
	1.4.2010 तक लागत	वर्ष के दौरान बृद्धि 2010–11	निपटान अनुपयोगी के लिए समायोजन	31.3.2011 तक कुल लागत	1.4.2010 तक मूल्य ह्रास	वर्ष 2010–11 के दौरान बृद्धि	निपटान/ डिस्कार्डेड आदि के लिए समायोजन	31.3.2011 तक कुल मूल्य ह्रास	31.3.2011 तक निबल ब्लाक	31.3.2010 तक निबल ब्लाक
(क) अचल परिसम्पत्तियॉं (वि0 एवं प्रौ0, सी.सी.डी.ए., ई.एम.एस.सी., यू.एन.डी.पी., पी.आर.ई तथा सी.आईएल अनु0 एवं विकास परिसम्पत्तियॉं को छोड़कर)										
जमीन :										
पूर्णस्वामित्व	114.71	0.00	0.00	114.71	0.00	0.00			114.71	114.71
पट्टेदार	117.98	100.71	-0.02	218.67	67.63	3.23	0.01	70.87	147.80	50.35
भवन :	3995.10	22.58	64.97	4082.65	1284.06	72.01	11.19	1367.26	2715.39	2711.04
संयंत्र एवं मशीनरी	5546.12	642.11	-84.04	6104.19	3356.36	349.10	-20.07	3687.39	2416.80	2187.76
फर्नीचर, फीटिंग्स तथा कार्यालय उपकरण	1247.05	90.18	-2.06	1335.17	1011.02	41.77	-7.02	1045.77	289.40	236.03
वाहन	969.78	277.92	-73.09	1174.61	556.90	62.59	-68.48	551.01	623.60	412.88
कुल (क)	**11990.74**	**1133.50**	**-94.24**	**13030.00**	**6277.97**	**528.70**	**-84.37**	**6722.30**	**6307.70**	**5712.77**

(ख) वि.एवं प्रौ., सीसीडीए, ईएमएससी, संराविका, पीआरईकोल इण्डिया लिमिटेड अनु. एवं वि., सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस परिसम्पत्तियॉ										
भवन	**31.07**	**0.00**	**0.00**	**31.07**	**4.20**	**0.54**	**-0.58**	**4.16**	**26.91**	**26.87**
संयंत्र एवं मशीनरी	**3459.34**	**22.38**	**-0.42**	**3481.30**	**2473.86**	**176.05**	**-3.49**	**2646.42**	**834.88**	**985.48**
फर्नीचर, फीटिंग्स तथा कार्यालय उपकरण	**45.60**	**0.71**	**0.43**	**46.74**	**15.16**	**2.54**	**4.08**	**21.78**	**24.96**	**30.44**
वाहन	**3.93**	**0**	**0.00**	**3.93**	**3.72**	**0.00**	**0.01**	**3.73**	**0.20**	**0.21**
कुल (ख)	**3539.94**	**23.09**	**0.01**	**3563.04**	**2496.94**	**179.13**	**0.02**	**2676.09**	**886.95**	**1043.00**
सम्पूर्ण (क+ख)	**15530.68**	**1156.59**	**-94.23**	**16593.04**	**8774.91**	**707.83**	**-84.35**	**9398.39**	**7194.65**	**6755.77**
(ग) सर्वे आफ परिसम्पत्तियॉ									**50.55**	52.27
गत वर्ष										
(I) अचल परिसम्पत्तियॉ (वि. एवं प्रौ. सीसीडीए, ईएमएससी तथा संराविका पी.आर.ई एवं सीआईएल अनु.एवं विकास परिसंपत्तियों को छोड़कर)	**10727.52**	**1423.07**	**-159.85**	**11990.74**	**6000.07**	**429.85**	**-151.95**	**6277.97**	**5712.77**	**4727.45**
(II) वि. एवं प्रौ. सीसीडीए, ईएमएससी तथा संराविका, पीआरई तथा सीआईएल आर एण्ड डी,सीएमएम/सीबीएम,सीआईजी हाउस परिसम्पत्तियॉ	**3453.12**	**86.82**	**0.00**	**3539.94**	**2311.34**	**185.60**	**0.00**	**2496.94**	**1043.00**	**1141.78**
कुल (ख)	**14180.64**	**1509.89**	**-159.85**	**15530.68**	**8311.41**	**615.45**	**-151.95**	**8774.91**	**6755.77**	**5869.23**
(III) सर्वे आफ परिसम्पत्तियॉ									**52.27**	**47.56**

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
अचल परिसम्पत्तियॉं

अनुसूची 'च'
परिशिष्ट 'च–1'

(लाख रूपये में)

टिप्पणी–1
मूल्य ह्रास का आवंटन :

	चालू वर्ष 31 मार्च 2011	गत वर्ष 31 मार्च 2010
1.लाभ एवं हानि लेखा		
(क) 5000/– रूपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास	**9.20**	6.45
(ख) अन्य	**465.21**	377.01
2. सामाजिक उपरी खर्च	**68.41**	58.72
3. पूर्व अवधि समायोजन	**-14.12**	44.04
4. पूॅजीगत परिसम्पत्तियों के बदले अनुदान*	**179.13**	185.60
कुल	**707.83**	671.82
•अनुदान के मुकाबले खरीदी गयी परिसम्मपत्तियों पर मूल्य ह्रास		
ऊर्जा कोयला वि. एवं प्रौ.	**102.25**	100.42
संराविका	**0.80**	0.16
सी.सी.डी.ए.	**1.84**	2.05
ईएमएससी	**0.00**	0.00
कोल इण्डिया अनु. एवं वि.	**50.62**	58.09
पी.आर.ई. (अचल संपत्ति)	**23.89**	23.12
सीएमएम/सीबीएम क्लियरेंश हाउस एसेट	**-0.27**	1.76
उप–योग	**179.13**	185.60

टिप्पणी : 2

फर्नीचर, फीटिंग एवं कार्यालय उपकरण को छोड़कर अनुसूची में सामाजिक उपरिभार परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं–

	लागत 31 मार्च 2011 को	लागत 31 मार्च 2010 को
1. भवन	**2729.92**	2619.71
2. वाहन	**79.97**	89.72

कुल	**2809.89**	2709.43

टिप्पणी – 3 :

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अचल परिसम्पत्तियों के निपटान का सामंजस्य		
1. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**191.13**	60.46
2. बैंक	**42.22**	14.50
3. अचल परिसम्पत्तियों का लाभ (+)/हानि (–)	**-32.10**	-11.29
अचल परिसम्पत्तियों (सकल लागत) का निपटान	**201.25**	63.67

टिप्पणी – 4 :

अनुपयोगी अचल परिसम्पत्तियों का सामंजस्य	**31 मार्च 2011 को**	31 मार्च 2010 को
सकल लागत	**1011.89**	1045.86
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**961.34**	993.59
	50.55	52.27

टिप्पणी – 5 :

	चालू वर्ष	गत वर्ष
मूल्यह्रास निधि का सामंजस्य		
अथशेष	**8774.91**	8311.41
जोड़कर : वर्ष के दौरान उपलब्ध मूल्यह्रास	**707.83**	615.45
	9482.74	8926.86
घटाकर : मियाद पुरी हुई/बट्टे खाते डाली गई तथा निपटायी गई परिसम्पत्तियों के लिए निबल निकास निधि	**84.35**	151.95
घटाकर : निकास निधि –	**0.00**	0.00
अन्तर कम्पनी	**0.00**	0.00
अन्य	**0.00**	0.00
इतिशेष	**9398.39**	8774.91

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची

अनुसूची – छ

चालू पूँजीगत कार्य

(लाख रूपये में)

विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निबल ब्लॉक	
	1.4.2010 के अनुसार लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	पूँजीकरण / निपटान / अनुपयोगी के लिए समायोजन	31.3.2011 के अनुसार लागत	1.4.2010 के अनुसार ह्रास	2010–11 वर्ष के दौरान बृद्धि	अनुपयोगी के लिए निपटान / समायोजन	31.3.2011 तक कुल ह्रास	31.3.2011 के अनुसार निबल ब्लॉक	31.3.2010 के अनुसार निबल ब्लॉक
(अ) पूँजीगत चालू कार्य (वि. एवं प्रौ.,सीडीए, ईएमएमसीयू, एनडीपी, पीआरई / अनु. एवं विकास परिसम्पत्तियों को छोड़कर)										
भवन	65.87	145.39	-65.31	145.95	11.42	0.00	-11.42	0.00	145.95	54.45
स्टोरों में पूँजीगत मद तथा प्लान्ट एवं मशीनरी	139.81	361.23	-133.73	367.30	55.73	0.00	-55.73	0.00	367.31	84.08
योग (अ)	**205.68**	**506.62**	**-199.04**	**513.25**	**67.15**	**0.00**	**-67.15**	**0.00**	**513.26**	**138.53**
(ब) चालू पूँजीगत कार्य (वि. एवं प्रौ के लिए)										
स्टोरों में पूँजीगत मद तथा प्लान्ट एवं मशीनरी	2.72	0.00	0.00	2.72	2.59	0.00	0.00	2.59	0.13	0.13
(आर एण्ड डी के लिए)										
कोल टेलिंग ट्रीटमेंट प्लान्ट (पीआरई के लिए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्टोरों में पूँजीगत मद तथा संयंत्र एवं मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ब)	**2.72**	**0.00**	**0.00**	**2.72**	**2.59**	**0.00**	**0.00**	**2.59**	**0.13**	**0.13**
कुल योग (अ+ब)	**208.40**	**506.62**	**-199.04**	**515.97**	**69.74**	**0.00**	**-67.15**	**2.59**	**513.38**	**138.66**

र्ष 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची निवेश (लागत पर)		अनुसूची 'ज'
	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
लागत (अनुधृत) पर ब्यापार निवेश	**शून्य**	**शून्य**

र्ष 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची वस्तु–सूची					अनुसूची 'झ'
	चालू वर्ष (लाख रूपये में)		गत वर्ष (लाख रूपये में)		
वस्तु–सूची					
(प्रबंधन द्वा					
भारित औस	**650.74**		593.10		
घटाकर : म					
	55.74		70.79		
	595.00		522.31		
क्रय–मूल्य प	**52.00**	**647.00**	52.05	574.36	
जोड़कर : म		**30.33**		54.80	
कुल		**677.33**		629.16	

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
विविध देनदार

अनुसूची 'ञ'

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
छः माह से अधिक समय से बकाया ऋण	**6853.52**	4249.50
अन्य	**12491.68**	23886.19
कुल	**19345.20**	28135.69
घटाकर : संदेहपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	**298.59**	549.03
शेष	**19046.61**	27586.66
वर्गीकरण		
अप्रतिभूत एवं वसूली योग्य	**19046.61**	27586.66
अप्रतिभूत एवं संदिग्ध	**298.59**	549.03
	19345.20	28135.69
एक ही प्रबंधन के अन्तर्गत कम्पनियों का बकाया (अप्रतिभूत एवं वसूली योग्य)		
ईर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड	**770.99**	2344.77
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	**1652.54**	2688.65
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	**2777.63**	2864.52
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	**1443.10**	2562.28
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	**2575.00**	4621.41
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	**1848.16**	2594.40
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	**1168.45**	3333.96
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	**373.79**	734.45
	14.08	14.08
ककरी सी.एच.पी. (एन.सी.एल.)	**14.08**	14.08
दानकुनी कोल कम्पलेक्स (सीआईएल)	**1.87**	1.87
भरतपुर सी.एच.पी. (एम.सी.एल.)	**0.73**	0.73
सीआईएल, कोलकाता	**1841.72**	1139.52
इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट	**0.00**	0.00
एमजेएसजे कोल कम्पनी लि0	**5.31**	0.00
कुल	**14473.47**	22900.64

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची *अनुसूची 'ट'*

नकद एवं बैंक–शेष

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
नकद, चेक, ड्राफ्ट एवं हाथे टिकट	**40.97**	41.65
मार्गस्थ भेजी गई रकम	**0.04**	52.30
अनुसूचित बैंक के पास शेष		
चालू खाते में **	**5941.23**	6660.63
जमा खाते में *	**121.83**	169.75
कुल	**6104.07**	6924.33

* प्रतिपूर्ति के लिए लंबित सरकारी अनुदान रू0. 1960.26 लाख शामिल

** बैंक गारंटी के निर्गमन के लिए 10.57 लाख रूपये के भारित (विगत वर्ष 388.64 लाख रूपये)

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची 'ठ'

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
नकद वसूली		
आपूर्तिकर्त्ता को पेशगियॉ		
पूँजीगत कार्य के लिए	**115.67**	229.53
अन्य सामानों के लिए	**61.56**	52.58
कर्मचारियों को पेशगियॉ		
भवन निर्माण के लिए	**38.59**	55.01
मोटर–कार एवं अन्य वाहन के लिए	**0.13**	0.25
अन्य के लिए	**89.94**	132.03
हाल्डिंग कम्पनी एवं इसकी अनंषंगी कम्पनियॉ (कोल इंडिया होल्डिंग कम्पनी) सहित चाले शेष खाता	**2208.13**	0.00
सबसिडीयरी सस्पेंश एकाउन्ट	**10.96**	0.00
पी एण्ड टी., बिजली, गैस आदि के लिए जमा	**56.37**	49.14
संवैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान		
आयकर	**8756.34**	6381.63
विक्री कर	**9.42**	9.42
सम्मपति कर	**0.18**	0.00
पूर्व प्रदत्त ब्यय	**17.04**	13.99
अन्य सरकारी एजेन्सियों को अग्रिम	**4.87**	4.87
कुल	**11369.20**	**6928.45**
घटाकर : प्रावधान	**13.45**	15.38
शेष	**11355.75**	6913.07
नोट		
1) प्रतिभूत एवं वसूली योग्य	**38.72**	55.26
अप्रतिभूत एवं वसूली योग्य	**11317.03**	6857.81
अप्रतिभूत एवं संदिग्ध	**13.45**	15.38
कुल	**11369.20**	6928.45

2) कम्पनी के किसी अधिकारी के पास बकाया राशि 0.00 (शून्य)
(गत वर्ष शून्य लाख रूपये) विवेच्य वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम बकाया 0.28 लाख रूपये (गत वर्ष 0.77 लाख रूपये)

3) कम्पनी के निदेशकों के पास बकाया 10.23 लाख रूपये (गत वर्ष 4.65 लाख रूपये)
विवेच्य वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम बकाया 11.22 लाख रूपये (गत वर्ष 9.35 लाख रूपये)

कम्पनी सचिव को उपर्युक्त घोषणा के लिए कम्पनी का अधिकारी माना गया है

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
अन्य चालू परिसम्पत्तियॉं

अनुसूची 'ड'

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
प्राप्ति योग्य दावें :		
1) रेलवे	**-**	-
2) बीमा	**-**	-
3) अन्य	**16.78**	50.15
अन्य प्राप्ति योग्य दावें :		
1) कर्मचारी	**284.47**	316.06
2) अन्य	**3555.52**	5043.51
कुल	**3856.77**	5409.72

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
चालू देयताएं एवं प्रावधान

अनुसूची 'ढ़'

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
सामानों के लिए देनदार		
पूॅंजी	**323.64**	131.05
राजस्व	**63.85**	103.54
संविदात्मक व्यय हेतु विविध देनदार		
पूॅंजी	**272.04**	369.17
राजस्व	**2231.14**	2417.75
कोयला ब्लॉक के लिए देयता	**0.00**	1465.80
अन्य व्यय के लिए विविध देनदार		
बिजली एवं ईंधन	**65.91**	77.77
अन्य	**823.32**	1059.22
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते (सकल)	**2147.92**	7782.49
ग्रेच्यूटी	**10400.71**	10154.27
उपस्थिति बोनस	**47.82**	66.01
कृपानुदान	**8836.35**	5747.59
बिना भुगतान किया गया वेतन/मजदूरी	**145.15**	141.25
छुट्टी नकदीकरण	**6048.47**	5328.83

वैधानिक बकाया		
स्रोत पर काटा गया आयकर		
कर्मचारियों से	**29.57**	49.86
ठेकेदारों से	**2.81**	2.12
सेवाकर	**2058.55**	2535.40
घटाकर : बिलों पर देय सेवाकर		
अग्रिम एवं जमा		
ग्राहकों से	**1135.92**	722.87
कोयला मंत्रालय से (परिशिष्ट–ढ़–4)	**269.72**	0.00
ठेकेदारों एवं अन्य से*	**402.52**	729.98
लंबित भुगतान हेतु सरकारी अनुदान		
ऊर्जा कोयला (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) अनुदान (परिशि	**24.79**	20.55
अन्य अनुदान (परिशिष्ट ढ'–2)	**1016.71**	68.23
कोल इण्डिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास कोष (	**658.63**	299.86
स्टील मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित अनंसंधान एवं विकास क	**7.00**	0.00
–नियंत्रक कम्पनी एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों का चालू खाता शेष		
कोल इण्डिया लिमिटेड, नियंत्रक कम्पनी	**0.00**	5025.33
अनुषंगी कम्पनियों का उचित खाता	**0.00**	758.48
एनईसी का चालू खाता	**0.00**	52.96
अन्य देयताएं		
सेवानिवृत्ति पेंशन निधि बकाया	**35.13**	39.59
भविष्य निधि बकाया	**50.40**	62.56
सहकारी / परोपकारी निधि / रिक्रियेशन क्लब	**24.42**	26.01
प्रावधान :		
कराधान के लिए प्रावधान : आयकर	**5909.06**	5179.96
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के लिए प्रावधान	**108.28**	193.77
कराधान के लिए प्रावधान : सम्पति कर	**0.36**	0.18
चिकित्सा स्कीम के लिए नहीं लौटाने योग्य शुल्क		
सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए	**210.81**	113.72
सीएमपीएफ पेंशन निधि	**800.37**	527.60
सुपरएनुयेशन निधि	**1824.79**	1202.86
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) कोष	**37.71**	0.00
परिसम्पति की हानि हेतु प्रावधान	**21.15**	21.15
कुल	**46035.02**	52477.78

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
ऊर्जा कोयला, (वि. एवं प्रौ.) अनुदान

अनुसूची 'ढ़'
परिशिष्ट 'ढ'–1

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
प्रारंभिक अथशेष	**20.55**	59.77
ऊर्जा कोयला मत्रालय (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) अनुदा	**1000.00**	1100.00
कार्यनिष्पादक एजेंसियों से वापसी	**2.41**	22.87
जमा पर ब्याज	**8.30**	1.13
कुल प्राप्ति	**1031.26**	1183.77
विभिन्न कार्यन्वयन एजेंसियों को वितरण		
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	**4.00**	5.00
अन्नामलाई विश्वविद्यालय, मद्रास	**0.00**	25.00
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी	**3.00**	16.00
केन्द्रीय खनन एवं तेल अनुसंधान (सीआईएमएफआर,	**205.00**	430.00
कोल बेड मिथेन	**0.00**	150.00
हम्बोल्ट बेदाग	**0.00**	18.53
आईआईएससी, बंगलोर	**0.00**	5.00
आईआईटी, खड़गपुर	**40.00**	70.00
भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएमयू, धनबाद)	**74.00**	25.00
यादवपुर यूर्निवसिटी	**0.00**	15.00
मेपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	**0.00**	4.00
नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स	**0.00**	18.78
नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन	**0.00**	4.50
एनईआईएसटी, जोरहाट	**25.00**	20.00
स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि0 अनुसंधान एवं वि	**0.00**	70.00
टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	**0.96**	5.00
तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय	**1.00**	15.00
वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेन्टर, पांडिचेरी	**10.00**	0.00
डबल्यू सी एल	**25.31**	0.00
सीएमपीडीआई लिमिटेड	**618.20**	266.41
	----------	----------
कुल वितरण	**1006.47**	1163.22
इति शेष	**24.79**	20.55

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
अन्य अनुदान

अनुसूची– 'ढ़'
परिशिष्ट– ढ–2
(लाख रूपये में)

सरकारी अनुदान का नाम		अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	जमा पर ब्याज	एमओसी से प्राप्य निधि	कुल योग	वर्ष के दौरान वितरित	31.3.2011 के अनुसार शेष
खनन इलेक्ट्रोनिक अनुदान	चालू वर्ष	**0.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.52**	**0.00**	**0.52**
	गत वर्ष	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52
प्रमोशनल क्षेत्रीय गवेषण अनुदान	चालू वर्ष	**0.00**	**6800.00**	**20.25**	**0.00**	**6820.25**	**5910.33**	**909.92**
(परिशिष्ट ढ़.2.1)	गत वर्ष	178.76	3039.00	5.20	1488.68	4711.64	4711.64	0.00
पर्यावरणिक उपाय धँसान नियंत्रण एवं पुनर्वास और अग्नि एवं धसान (आरसीएफएस) नियंत्रण (परिशिष्ट ढ़ 2.2)	चालू वर्ष	**0.24**	**0.00**	**0.03**	**0.00**	**0.27**	**0.00**	**0.27**
	गत वर्ष	6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	6.37	0.24
परीक्षण प्रयोगशाला अनुदान	चालू वर्ष	**28.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.00**	**0.00**	**28.00**
	गत वर्ष	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
यूनाइटेड नेशन विकास	चालू वर्ष	**26.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26.82**	**0.00**	**26.82**
कार्यक्रम अनुदान	गत वर्ष	26.82	0.00	0.00	0.00	26.82	0.00	26.82
कोयला संरक्षण विकास	चालू वर्ष	**12.65**	**36.74**	**1.79**	**0.00**	**51.18**	**0.00**	**51.18**
सलाहकार अनुदान	गत वर्ष	13.08	1080.00	0.08	0.00	1093.16	1080.51	12.65
कुल योग	चालू वर्ष	**68.23**	**6836.74**	**0.00**	**0.00**	**6927.04**	**5910.33**	**1016.71**
	गत वर्ष	253.79	4119.00	0.00	0.00	5866.75	5798.52	68.23

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
प्रोमोशनल रिजिनल एक्सप्लारेशन ग्रान्ट

अनुसूची – ढ़
परिशिष्ट ढ़–2.1

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
अथशेष	**0.00**	178.76
कोयला मंत्रालय से प्राप्त राशि	**6800.00**	3039.00
बैंक से प्राप्य ब्याज	**20.25**	5.20
कोयला मंत्रालय से प्राप्य निधि	**0.00**	1488.68
कुल प्राप्ति	**6820.25**	4711.64
विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों को अदायगी (वितरण) :		
2009–2010 में कोल इंडिया से निधि प्राप्त करने हेतु प्रतिपूर्ति करन	**1488.68**	0.00
सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड	**521.24**	573.64
केन्द्रीय खनन एवं तेल संस्थान (सीएमएफआरआई)	**31.26**	24.38
जियोलाजिक्ल सर्वे ऑफ इण्डिया	**818.19**	915.24
नागालैण्ड सरकार	**12.24**	0.00
मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	**2736.75**	2447.38
नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	**233.44**	17.49
नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट (एनजीआरआई)	**0.00**	639.08
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि0 (एससीसीएल)	**68.53**	94.43
कुल अदायगी (वितरण)	**5910.33**	4711.64
इतिशेष	**909.92**	0.00

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची
पर्यावरणिक उपाय धंसान नियंत्रण एवं
पुर्नवास आग तथा धंसान नियंत्रण अनुदान

अनुसूची – ढ़
परिशिष्ट ढ़–2.2

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
अथशेष	**0.24**	6.61
मंत्रालय से प्राप्तियॉ	**0.03**	0.00
कुल प्राप्ति	**0.27**	6.61
विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अदायगी		
सीएमपीडीआई लिमिटेड	**0.00**	6.37
कुल अदायगी	**0.00**	6.37
इतिशेष	**0.27**	0.24

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन–पत्र की अनुसूची
कोल इण्डिया लि0. अनुसंधान एवं विकास निधि

अनुसूची 'ढ'
परिशिष्ट 'ढ'–3

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
अथ शेष	**299.86**	2896.12
वर्ष के दौरान कोल इण्डिया से प्राप्त रकम	**3129.15**	2552.00
जमा पर ब्याज	**0.00**	2.28
वापसी	**232.06**	0.00
कुल प्राप्तियॉ	**3661.07**	5450.40
वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान :		
बीआईटी मेसरा	**6.00**	40.00
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड		
सीआईएमएफआर, धनबाद	**150.00**	2100.00
ई सी एल		
आईआईटी, खड़गपुर	**299.55**	
भारतीय खनि विद्यापीठ	**10.00**	
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी		235.00
एन.आई.टी. सूरथकोल	**90.00**	0.00
प्रेसिडेन्सी कॉलेज कोलकाता		5.00
एसएमआरएसडीई, कोलकाता	**2.60**	0.00
सिस्टम डिपार्टमेंट कोल इंडिया		0.41
एस ई सी एल	**1750.69**	0.00
सीएमपीडीआई	**693.60**	2770.13
कुल भुगतान	**3002.44**	5150.54
इतिशेष	**658.63**	299.86

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची गैर सीआईएल खण्डों में विस्तृत वेधन कार्य हेतु अनुदान	अनुसूची – ढ़ परिशिष्ट ढ़–4

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
अथ शेष	**0.00**	887.53
कोयला मंत्रालय से प्राप्त रकम	**11000.00**	6000.00
बैंक से प्राप्त ब्याज	**25.29**	2.49
कोयला मंत्रालय से प्राप्य निधि	**-**	3550.57
कुल प्राप्तियाँ	**11025.29**	10440.59
विभिन्न कार्यान्वयन एजेंन्सियों को अदायगी :		
सीएमपीडीआई लिमिटेड	**10755.57**	10440.59
कुल अदायगी	**10755.57**	10440.59
इति शेष	**269.72**	0.00

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन–पत्र की अनुसूची

इंटेजिबल एसेट्स (साफ्टवेयर)

अनुसूची–ण

लाख रूपये में

एमोरटाइजेशन पिरीयड – 1 वर्ष

	कुल ब्लॉक				परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	1.4.2010 के अनुसार लागत	वर्ष 2010–11 के दौरान वृद्धि	अनुपयोगी/ अदायगी/ समायोजन	31.3.2011 के अनुसार कुल लागत	1.4.2010 के अनुसार परिशोधन	वर्ष 2010–11 के दौरान वृद्धि	डिस्पोजल/ डिस्कार्डेड आदि के लिए समायोजन	31.3.2011 तक कुल परिशोधन	2010–11 के अनुसार नेट ब्लॉक	2009–10 के अनुसार नेट ब्लॉक
(अ) साफ्टवेयर : सीएमपीडीआई	222.79	5.19	0.01	227.99	222.79	5.19	0.01	227.99	0.00	0.00
(ब) साफ्टवेयर : प्री	134.15	0.00	0.00	134.15	134.15	0.00	0.00	134.15	0.00	0.00
(सी)साफ्टवेयर : वि.एवं प्रौ./सी सीडीए/अनु.एवं वि.	43.27	0.00	0.00	43.27	43.27	0.00	0.00	43.27	0.00	0.00
कुल	**400.21**	**5.19**	**0.01**	**405.41**	**400.21**	**5.19**	**0.01**	**405.41**	**0.00**	**0.00**

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची सेवाओं की बिक्री

अनुसूची–1

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
गवेषण	**24006.42**	24865.14
आयोजन एवं अभिकल्पन	**16686.34**	18638.34
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	**2216.43**	1849.13
कुल बिक्री	**42909.19**	45352.61

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया गया कोयला

अनुसूची–2

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची अन्य आय

अनुसूची–3

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
प्राप्त ब्याज :		
कर्मचारियों को दिये गये ऋण पर	**4.21**	7.61
बैंक जमा पर	**8.53**	8.64
अन्य	**115.20**	0.00
अन्य	**0.00**	6.49
बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त किराया	**23.48**	14.64
निविदा शुल्क	**19.31**	13.08
तरलता क्षति	**55.87**	119.42
वाहन किराया	**0.14**	0.14
बट्टे खाते डाला गया अधिक प्रावधान	**290.01**	143.03
अन्य	**54.32**	33.39
स्क्रैप की बिक्री	**69.50**	18.81
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**32.10**	11.30
कुल	**672.67**	376.55

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची सामानों की खपत

अनुसूची–4

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
पी. ओ. एल.	**504.97**	411.63
सामान एवं अतिरिक्त पुर्जे	**1030.58**	769.31
अन्य सामान एवं उपभोग्य	**76.44**	55.67
कुल	**1611.99**	1236.61

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं सुविधाएं		अनुसूची '5'
	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	**31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)**
वेतन एवं मजदूरी :	**13746.53**	12916.35
समयोपरि	**134.49**	126.54
प्रोत्साहन	**307.19**	372.46
छुट्टी नकदीकरण	**1560.59**	1522.54
अन्य भत्ते	**2713.64**	2368.66
भविष्य निधि में अंशदान (परिशिष्ट –1)	**1948.66**	1575.69
उपस्थिति बोनस	**392.02**	388.95
कृपानुदान/पीआरपी		
अ) गैर अधिकारी	**444.56**	231.61
ब) अधिकारी	**2977.00**	5515.00
एलटीसी/एलएलटीसी	**435.80**	243.01
पेंशन	**281.24**	538.00
सेवानिवृत्ति लाभ	**621.93**	1202.86
ग्रेच्यूटी	**1385.87**	2050.78
कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	**0.21**	0.41
डी. एल. आई.	**2.85**	13.38
जीवन रक्षक योजना	**5.69**	12.18
स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति	**0.00**	1.53
	----------	----------
कुल	**26958.27**	29079.95
घटाकर : सामाजिक उपरि खर्च (अनुसूची –6) में स्थ	**480.50**	381.91
शेष	**26477.77**	28698.04

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसू **अनुसूची '5'**
भविष्य निधि में अंशदान परिशिष्ट–1

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
कोयला खान भविष्य निधि	**1791.63**	1449.44
कोयला खान पारिवारिक पेंशन निधि	**157.03**	126.21
अन्य भविष्य निधियॉ	**0.00**	0.04
कुल	**1948.66**	1575.69

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची सामाजिक उपरि खर्च		अनुसूची '6'
	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
वेतन मजदूरी भत्ते (अनुसूची–5 से)	**480.50**	381.91
कर्मचारियों को कोयला का मुफ्त वितरण	**68.07**	57.10
चिकित्सा सुविधाएं		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	**422.15**	325.10
दवा एवं अस्पताल खर्च	**52.28**	153.10
निम्नलिखित को अनुदान :		
क) विद्यालय	**0.33**	0.06
ख) खेल–कूद एवं मनोरंजन	**26.72**	22.57
कैंटीन देख–भाल	**12.60**	10.48
बिजली (अनुसूची–7 से)	**175.48**	167.27
मरम्मत एवं रख–रखाव (अनुसूची –8 से स्थानांतरित)		
क) टाउनशिप	**280.09**	389.50
ख) अन्य कल्याण भवनों का	**90.57**	115.31
ग) अन्य (स्कूल बस/एम्बुलेंस का रख–रखाव)	**26.83**	12.90
प्रशिक्षण खर्च		
क) कम्पनी के भीतर	**49.77**	39.43
ख) कम्पनी के बाहर	**14.83**	51.16
सामाजिक उपरि परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास (संदर्भ : ३	**68.41**	58.72
सी.एस.आर. पर खर्च के लिए प्रावधान	**57.32**	9.18
यूनीफार्म/सिलाई शुल्क	**15.25**	11.33
सेवा निवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**132.68**	58.17
अन्य सुविधाएं	**107.17**	63.11
उप–योग (अ)	**2081.05**	1926.40
घटाकर : वसूली		
मकान किराया	**31.36**	10.33
बिजली	**63.00**	43.08
स्कूल बस शुल्क	**1.02**	1.10
उप–योग (ब)	**95.38**	54.51
कुल (अ–ब)	**1985.67**	1871.89

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची बिजली एवं ईंधन		अनुसूची '7'
	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
खरीदे गए	**382.92**	397.46
घटाकर : सामाजिक उपरि खर्च अनुसूची–6 मे स्थानांतरित	**175.48**	167.27
कुल	**207.44**	230.19

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची मरम्मत		अनुसूची '8'
	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
कार्यालय भवन	**389.92**	554.34
टाउनशिप एवं आवासीय भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव	**370.66**	504.81
संयंत्र एवं मशीनरी	**142.57**	90.58
कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर	**50.83**	62.80
वाहन (स्कूल बस/एम्बुलेंस के अलावे)	**37.78**	51.47
स्कूल बस/एम्बुलेंस की मरम्मत एवं रख–रखाव	**26.83**	12.90
अन्य	**3.36**	2.27
उप – योग (क)	**1021.95**	1279.17
घटाकर : सामाजिक उपरि खर्च अनुसूची –6 में स्थानांतरि	**397.49**	517.71
घटाकर : विविध ब्यय अनुसूची –10 में स्थानांतरित	**24.63**	34.23

उप – योग (ख)	**422.12**	551.94
कुल (क–ख)	**599.83**	727.23

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची **अनुसूची '9'**

संविदात्मक व्यय

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
संविदात्मक कार्य		
वेधन – एम.ई.सी.एल.	**3083.49**	3444.65
वेधन – अन्य	**4019.48**	3949.74
कोयला परीक्षण	**339.16**	162.41
सुदूर संवेदन आदि	**100.55**	143.08
कुल	**7542.68**	7699.88

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची
विविध व्यय

अनुसूची '10'

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
यात्रा		
देश के अन्दर	**904.06**	808.18
देश के बाहर	**95.70**	64.32
छपाई एवं स्टेशनरी	**132.69**	115.45
डाक–खर्च	**5.21**	5.05
दूरभाष	**57.07**	66.37
विज्ञापन एवं प्रचार		
निम्नलिखित के लिए विज्ञापन :		
क) निविदा	**70.51**	57.84
ख) भर्त्ती/अन्य	**0.03**	0.15
ग) प्रचार	**1.29**	0.54
ढुलाई भाड़ा	**0.73**	0.01
चन्दा	**7.86**	7.44
सुरक्षा व्यय	**410.37**	345.49
किराया शुल्क		
क) कम्प्यूटर	**2.15**	0.68
ख) अन्य	**182.10**	164.36
कार एवं जीप का रख–रखाव :		
क) पेट्रोल एवं डीजल	**56.29**	44.24
ख) मरम्मत (अनुसूची–8 से)	**24.63**	34.23
ग) मार्ग कर	**20.52**	20.00
घ) बीमा	**11.83**	9.47
वैधानिक खर्च	**40.86**	23.56
बैंक शुल्क	**8.58**	11.14
परामर्श शुल्क (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनिर	**132.10**	226.20
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		
अंकेक्षक के रूप में	**3.16**	2.26
यात्रा एवं बाहरी जेब खर्च	**5.87**	4.90
अन्य क्षमता में – टैक्स ऑडिट	**0.60**	0.62
आंतरिक अंकेक्षण व्यय	**13.59**	11.39
दर एवं कर	**53.54**	30.71
किराया	**54.47**	39.76
बीमा	**1.41**	0.80

भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	**0.02**	0.07
अन्य		
साफ्टवेयर लाइसेंस शुल्क का परिशोधन	**20.78**	62.61
सम्मेलन एवं सेमिनार आदि	**24.13**	27.74
तम्बू एवं बैरक	**147.67**	195.89
स्थानांतरण एवं व्यवस्था व्यय	**38.27**	34.31
मनोरंजन	**0.03**	0.14
बागवानी	**9.73**	7.29
बट्टे खाते डाला गया डूबंत ऋण	**8.00**	0.09
विनिमय उतार–चढ़ाव	**0.86**	0.90
सम्पत्ति कर	**0.18**	0.18
अन्य व्यय	**32.09**	35.05
कुल	**2578.98**	2459.43

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची
ब्याज

अनुसूची '11'

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
कोल इण्डिया लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी)	**0.00**	**3.66**
सेवा–निवृत्ति पेंशन निधि पर ब्याज	**0.16**	**0.57**
अन्य पर ब्याज	**2.79**	**22.19**
कुल	**2.95**	**26.42**

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखा की अनुसूची
प्रावधान/ बट्टे खाते डालना

अनुसूची '12'

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
प्रावधान :		
संदिग्ध ऋण	**0.00**	**171.99**
संदिग्ध अग्रिम	**0.00**	**3.64**
लुप्तप्राय	**0.00**	**0.16**
कुल	**0.00**	**175.79**

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन–पत्र की अनुसूची

अवधिपूर्व समायोजन

अनुसूची '13'

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (लाख रूपये में)
विशिष्टियाँ		
डेबिट		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते		10.18
परामर्श शुल्क		39.70
सामानों की खपत		45.21
विद्युत		9.24
मूल्यह्रास		44.04
विविध व्यय		17.09
आयकर के लिए ब्याज		103.76
एचएसडी ओआईएल	**9.34**	
कुल डेबिट	**9.34**	269.22
क्रेडिट :		
मूल्यह्रास	**14.12**	
सेवाओं की बिक्री	**263.98**	9.95
कुल क्रेडिट	**278.10**	9.95
निबल क्रेडिट (–)/डेबिट (+)	**-268.76**	259.27

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कैश फ्लो स्टेटमेंट (विवरण)

लाख रूपये में

विवरण		2010-11	2009-10
परिचालन क्रिया कलापों से कैश फ्लो (कमी–बेशी)			
कर के पहले निबल लाभ तथा असाधरण मद		**2100.14**	2220.22
पूर्व अवधि समायोजन (डीआर)	-		259.27
पूर्व अवधि समायोजन (सीआर)	+	**268.76**	
रिजर्व से समायोजन (डीआर)	-		42.67
रिजर्व से समायोजन (सीआर)			
संपति कर प्रावधान	+	**0.18**	0.18
विविध व्यय में वृद्धि जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया	-		
विविध व्यय में कमी जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया	+		
समायोजित निबल लाभ		**2369.08**	1918.46
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–			
मूल्य ह्रास	+	**707.83**	671.82
परिसंपतियों की बिक्री से लाभ	-	**32.10**	11.29
परिसंपतियों की बिक्री से हानि	+		
अप्रत्यक्ष(इनटेनिजेबुल)परिसंपत्तियों का परिशोधन	+	**5.20**	41.53
विदेशी विनिमय फ्लक्शन लाभ	-		
विदेशी विनिमय फ्लक्शन हानि	+	**0.86**	0.90
ब्याज आय	-	**127.94**	22.74
ब्याज व्यय	+	**2.95**	26.42
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**2925.88**	2625.10
देनदार में वृद्धि	-		2618.44
देनदार में कमी	+	**8540.05**	
ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि (आयकर एवं सम्पति कर को छोड़कर)	-	**2067.79**	
ऋण एवं अग्रिम में कमी (आयकर एवं सम्पति कर को छोड़कर)	+		833.24
अन्य चालू परिसम्पतियों में वृद्धि	-		4529.83
अन्य चालू परिसम्पतियों में कमी	+	**1552.96**	
वस्तु–सूची में वृद्धि	-	**48.17**	230.34
वस्तु–सूची में कमी	+		
फुटकर लेनदार में वृद्धि (आयकर एवं सम्पति कर रहित वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)	+		10581.53
फुटकर लेनदार में कमी (आयकर एवं सम्पति कर रहित वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)	-	**7086.55**	
		3816.38	6661.26

जारी ....

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट (विवरण)

लाख रूपये में

		2010-11	2009-10
परिचालन क्रिया–कलापों से उत्पन्न कैश		**3816.38**	6661.26
चुकता आयकर	-	**3108.06**	2867.65
चुकता सम्पति कर	-	**0.18**	
असाधारण मद के पहले नकद प्रवाह कैश फ्लो		**708.14**	3793.61
भूकम्प आपदा निपटारा से प्राप्ति (प्रोसीड्स)			
परिचालन क्रिया–कलापों से निबल कैश		**708.14**	3793.61
निवेशी क्रिया–कलापों से कैश फ्लो (नकद प्रवाह)			
अचल परिसंपतियों की खरीद(डब्ल्यूआईपी सहित)	-	**1535.04**	942.11
उपकरणों की बिक्री से प्राप्ति	+	**42.22**	14.50
प्राप्त ब्याज	+	**127.94**	22.74
निवेशी क्रिया–कलापों से निबल कैश		**-1364.88**	-904.87
वित्त क्रिया–कलापों से कैश फ्लो (नकद प्रवाह)			
दीर्घकालीन उधारी से प्राप्त	+		
दीर्घकालीन उधारी में कमी	-	**3.66**	177.45
सरकारी अनुदान	+	**-156.05**	-473.83
विदेशी विनिमय घटता–बढ़ता (फ्लक्शन) लाभ	+		
विदेशी विनिमय घटता–बढ़ता (फ्लक्शन) हानि	-	**0.86**	0.90
चुकता ब्याज	-	**2.95**	26.42
चुकता लाभांश	-		
वित्त क्रिया–कलापों से निबल कैश		**-163.52**	-678.60
नकद एवं समतुल्य नकद में निबल वृद्धि/कमी		**-820.26**	2210.14
वृद्धि : अवधि की शुरूआत में कैश एवं समतुल्य कैश		**6924.33**	4714.19
अवधि के अंत पर कैश एवं समतुल्य कैश		**6104.07**	6924.33

अनुसूची 14

वर्ष 2010–2011 के लिए लेखा नीति

1.0 लेखागत परिपाटी

यदि कोई अन्यथा उल्लेख न हो, तो उसको छोड़कर, वित्तीय विवरण, चालू संस्थागत अवधारणा, लेखा मानकों तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों एवं व्यवहार के अनुसरण में ऐतिहासिक लागत पर आधारित वास्तविक (एक्यूरल) आधार पर तैयार किया जाता है।

2.0 लेखे का आधार

सभी आय एवं व्यय, यदि वे भौतिक हों, लेखे के स्वभाविक शीर्ष के अन्तर्गत रखे जाते हैं और बाद में जहाँ आवश्यक होता है, इसे कार्यकारी शीर्ष के अन्तर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है।

3.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान

3.1 पूंजीगत लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को उस सम्बद्ध परिसंपत्ति की लागत से काट लिया जाता है जिससे वे संबंधित हैं। वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रकम, यदि कोई हो, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

3.2 राजस्व लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट किया गया है तथा व्यय को संबंधित शीर्ष के तहत डेबिट किया गया है।

3.3 कार्यान्वयक ऐजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसंप्पतियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया गया है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता हैं, जिससे अनुदान प्राप्त किया गया है।

3.4 नोडल/कार्यान्वयक ऐजेंसी के रूप में सीधे अथवा कोल इंडिया के माध्यम से प्राप्त अनुदान/फंड, प्राप्ति एवं अदायगी के आधार पर लेखे में ले लिया जाता है/गणना की जाती है।

4.0 अचल परिसंपत्तियाँ :

4.1 **भूमि** :

भूमि में अधिग्रहण की लागत सहित उस पर किए गये आनुषांगिक खर्च शामिल है।

4.2 **भवन** :

भवन में इलेक्ट्रीकल्स फीटिंग्स, जलापूर्ति व्यवस्था तथा सेनेटरी फीटिंग्स आदि की लागत शामिल है जो निर्माण ठेके का एक अंग था तथा जिसे पृथक नहीं किया जा सका। पार्टिशन एवं रूपांतरण तथा टाउनशीप में क्षेत्र विकास जैसे कार्यो पर किए गये खर्च को मरम्मत एवं रख–रखाव (अनुरक्षण) खर्च के रूप में राजस्व खर्च में डाल दिया जाता है।

4.3 **संयंत्र एवं मशीनरी** :

4.3.1 संयंत्र एवं मशीनरी में इसके निर्माण/संस्थापन तथा उनके अभीष्ट इस्तेमाल के लिए ठीक ढंग से काम करने हेतु किए गये अन्य खर्च शामिल हैं । मशीन के साथ आपूर्त विमित पूर्जों को मशीन के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

4.3.2 साफ्टवेयर को प्राप्त होने वाले वर्ष में पूर्णतः परिशोधित (एमोरटाइज) किया जाता है।

5. **निवेश**

दीर्घकालीन निवेश, यदि कोई हो, तो उसे लागत पर ऑका जाता है।

6. **वस्तु–सूची**

6.1 सेन्ट्रल ड्रिलिंग स्टोर (सीडीएस), बड़काकाना स्थित सामानों का स्टॉक तथा पाट–पुर्जों को भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। ड्रिलिंग कैम्पों/कार्य स्थलों को निर्गत भण्डार को प्रभार रहित (चार्ज्ड ऑफ) किया जाता है। ड्रिलिंग कैम्पों/कार्य स्थलों /उप–भंडारों पर पड़े स्टोरों तथा पार्ट– पुर्जो की वस्तु–सूची, जिसे प्रारंभिक तौर पर प्रभार रहित कर दिया गया था, को निर्गत मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। उपभोग लायक सामानों को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

6.2 समानों एवं अतिरिक्त पुर्जों में खुले औजार भी शामिल हैं ।

6.3 जो स्टोर मरम्मत योग्य नहीं है, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हों, के लिए 100 प्रतिशत की दर से तथा जिन स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों को 5 और इससे अधिक वर्षों से संचालित नहीं किया गया है, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

6.4 लेखन सामग्री तथा दवा के भंडार को वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

7.0 **मूल्य ह्रास**

7.1 कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित) की अनुसूची XIV में उल्लेखित दर पर सरल रेखा प्रणाली (एसएलएम) पर किया जाता है।विवेच्य वर्ष के दौरान बढ़ाई /निपटान की गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास वृद्धि/निपटान के माह के संबंध में यथा आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

7.2 पट्टेधारी जमीन का मूल्य पट्टे की अवधि के अंतर्गत परिशोधित किया जाता है।

7.3 वैसी परिसम्पत्तियों, जिनका वास्तविक मूल्य 5000/– रू0. से अधिक नहीं है, का मूल्यह्रास इस तरह की प्रत्येक परिसम्पत्तियों के लिए 1 रूपया टोकन मूल्य छोड़कर 100 प्रतिशत पर किया जाता है।

8.0 **कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) के पास बकाया** :

समय–समय पर इक्वीटी के परिवर्त्तन के लिए समायोजन के बाद ऋण या इसके विपरीत के कारण कोल इंडिया लि0 के पास बकाया रकम को अप्रतिभूत ऋण के रूप में दर्शाया गया है। चालू खाते में राजस्व की प्रकृति की लेन–देन के लिए बकाया /प्राप्तियोग्य रकम को चालू देयताएं /चालू परिसंप्पति में दिखाया जाता है।

9.0 **नियंत्रक कम्पनी को ब्याज**

कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) के लिए ऋण पर ब्याज की गणना उनके द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार की जाती है।

10.0 **सेवा–निवृति पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ** :

10.1 सेवा–निवृति पर कर्मचारियों को देय टर्मिनल बेनीफिट के कारण देयता, नीचे उल्लेखित मद 10.2 को छोड़कर एक्च्यूरियल (वास्तविक) मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित एवं उपलब्ध कराया जाता है।

10.2 भविष्य निधि तथा सेवा–निवृति पेंशन योजना की देयताओं की गणना वास्तविक आधार पर की जाती है तथा उचित मामले में इसे प्राधिकारियों के पास स्थानांतरित किया जाता है।

11.0 **राजस्व की पहचान** :

11.1 नीचे 11.4 के मद में शामिल मामलों को छोड़ कर आयोजना एवं डिजाइन तथा गवेषण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को दी गयी सेवाओं का बिल लागत योग के आधार पर तैयार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए लागत की इकाई इस प्रकार है :

1. गवेषण सेवाओं के लिए ——————— ड्रिलिंग मिटरेज
2. आयोजन एवं डिजाइन सेवाओं के लिए —————— अभियंत्रण दिवस

11.2 अंकेक्षण समिति/निदेशक मंडल के समक्ष लेखे को पेश किए जाने के बाद यदि विवेच्य वर्ष के लिए व्यय/आय का 0.2 प्रतिशत तक भूलचूक का पता लगता है तो विवेच्य वर्ष के लिए इसके प्रभाव की गणना बिक्री दर को संशोधित किए बिना की जाएगी।

11.3 विवेच्य वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि0 की सहायक कंपनियों पर बिलिंग बजट दर पर किया जाता है। विभेदक (डिफ्रेंशियल) रकम का अंतिम बिल लेखे को अंतिम रूप दिये जाने पर उसी वर्ष के लिए रेज किया जाता है।

11.4 अन्य विविध कार्यों का बिल लागत/लागत योग आधार या आपसी सहमति, जैसी स्थिति हो, पर तैयार किया जाता है।

11.5 लेखे में दर्शायी गयी बिक्री में सेवाकर शामिल नहीं है।

11.6 कोल इंडिया लि0 से बाहर की पार्टियों के मामले में राजस्व की पहचान किए गये कार्य की प्रतिशतता या वसूली योग्य रकम, जो भी कम हो, के आधार पर अनुपातिक संविदा मूल्य पर की जाती है।

11.7 निरीक्षण शुल्क की गणना प्राप्ति (रिसिट) के आधार पर की जाती है।

12.0 **विदेशी मुद्रा में विनिमय** :

12.1 विवेच्य वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च को प्रचलित दर पर परिवर्तित/रूपान्तरित कर दिया जाता है तथा बिक्री बिल तैयार करने के समय प्रचलित दर पर दर्ज (बुक) कर दिया जाता है। विवेच्य वर्ष के अन्त में बकाये मद को दरों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

12.2 विदेशी मुद्रा में चालू परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत के विनिमय दर पर बदल/स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा इस बदलाव/ स्थानांतरण के कारण लाभ/हानि, यदि कोई हो, की पहचान विवेच्य वर्ष में की जाती है।

13.0 **पूर्व अवधि समायोजन** :

पूर्व वर्ष (वर्षों) के वित्तीय विवरण (विवरणों) को तैयार करने में भूल–चूक के फलस्वरूप वर्तमान वर्ष में उठाए गए (एराइजिंग) चार्ज या क्रेडिट, प्रत्येक मामले में 500000/– रू. से अधिक, की गणना इस शीर्ष के तहत की जाती है।

14.0 **लेखा नीति में परिवर्तन** :

लेखा नीति में किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन, जिससे चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, को लेखे पर टिप्पणी (अनूसूची – 15) में दिखाया जाता है।

अनुसूची – 15

वर्ष 2010–2011 के लेखे पर टिप्पणियॉ

1.0 अचल परिसम्पत्तियॉ एवं मूल्य ह्रास :

1.1 अचल परिसम्पत्तियॉ

1.1.1 1.11.75 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का पुनर्गठन होने पर नियंत्रक कम्पनी से प्राप्त परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का कानूनी हस्तांतरण होना अभी बाकी है।

1.1.2 1.1.3 कम्पनी ने बी.सी.सी.एल., टाउनशिप धनबाद (444.66 लाख रूपये); एन.सी.एल., टाउनशिप सिंगरौली (415.63 लाख रूपये) तथा सी.सी.एल. रजरप्पा (214.44 लाख रूपये) में वैसी जमीन पर मकान एवं कार्यालय बनवाए हैं, जो नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कम्पनियों के हैं।

1.1.4 लेखा मानक 28 के अनुपालन में परिसंत्तियों की क्षति की जांच प्रचलित मूल्य का आकलन कर प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह (बजटीय प्राक्कलन) तथा कोल इंडिया लिमिटेड के दिशा–निर्देश के अनुसार 7 प्रतिशत छूट दर के आधार पर की गई तथा कोई इमपेयरमेंट हानि नहीं पायी गई है।

1.2 मूल्य–ह्रास :

1.2.1 विशेष दर :

1.2.2 भूविज्ञान संग्राहलय – 5.15 प्रतिशत

1.2.3 वेधन–स्थल पर स्थित सभी संयंत्र एवं उपकरण, प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले स्कैनर उपकरण तथा औजार एवं सभी तरह के मॉडल के फोटोकौपियर –11.31 प्रतिशत

1.2.4 बड़े आकार के सैम्पलर तथा रेसिपिरैटॉरी डस्ट

सेमप्लर्स ————————— 33.33 प्रतिशत

दूरसंचार ———————— 15.83 प्रतिशत

1.2.5 पट्टे वाली भूमि तथा कोल इंडिया लि. की अन्य अनुषंगी कंपनियों की जमीन पर बने भवन : पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन पर बने भवन के लिए लागू दर पर।

2.0 चालू पूँजीगत कार्य :

संयंत्र और मशीनरी जिनका उपयोग 3 वर्षो से अधिक के लिए नहीं किया गया हो तथा 4 वर्षो से अधिक से पड़े हुए अपूर्ण सिविल कार्य के लिए प्रावधान, मूल्यह्रास जो ऐसे आइटमों के लिए उपयुक्त हो, की दर से किया गया है।

3.0 सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों का भंडार

3.1 मशीन विशिष्ट के पुर्जों को मशीन के साथ पूंजीकृत किया जाता है। न तो कोई पुर्जा मशीन विशेष का है और न ही अनियमित उपयोग वाले जिन्हें ए एस 10 के साथ पठित लेखा मानक (एएस) 2 के रूप में पूँजीकृत किया जाए।

3.2 बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अप्रयुक्त (अबसोलेट) भंडार के तहत कुछ सामग्रियों के समावेशन के कारण अचल मदों के लिए प्रावधान 37.32 लाख रूपये से 21.84 लाख रूपये कम होकर 15.43 लाख रूपये हो गया है।

4.0 <u>ऋण एवं अग्रिम / देनदार</u>

4.1 कोल इंडिया (सीआईएल) की सहायक कंपनियों के पास चालू लेखा एवं फुटकर देनदार :

4.1.1 कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगियों के साथ चालू खातों में अंतर–कंपनी लेन–देन का सामंजस्य 31.03.2011 तक किया जा चुका है। 31.03.2011 तक कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के पास सम्मत चालू लेखा जमा को कोल इंडिया चालू लेखा में स्थानांतरित कर दिया गया है। तदुपरांत अंकेक्षण के दौरान अथवा अन्य प्रकार से 31.3.2011 तक की अवधि से संबंधित अनुषंगी कंपनियों से / को प्राप्त / भेजी गई क्रेडिट / डेबिट को सहायक कंपनियों के उचन्त खाते में माना जाता है।

4.1.2 19345.20 लाख रूपये के फुटकर देनदार में एक ही प्रबंधन के तहत अनुषंगी कम्पनियों के बकाये हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ लेखे के समायोजन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा बिलों को स्वीकार करने की पद्धति लागू की गई। बिल की स्वीकृति का मॉनीटर नियमित ढंग से किया जा रहा है।

4.1.3 बकाए की सम्पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया की सहायक कम्पनियों सहित अन्य देनदारों को पत्र निर्गत किए गए हैं जिनके जवाब की प्रतीक्षा है। 31.3.2011 के अनुसार फुटकर देनदार, विभिन्न ऋण एवं अग्रिमों, जमा इत्यादि के जमा (बैंलेंस) की संपुष्टि प्राप्त नहीं की गयी है।

4.1 अन्य

4.2 8756.34 लाख रूपये के आयकर अग्रिम में मूल्यांकन वर्ष 2008–09 तक के लिए 664.25 लाख रूपये का अदायगी शामिल है। 5909.06 लाख रूपये के आयकर प्रावधान में मूल्यांकन वर्ष 2011–2012 से संबंधित मूल्यांकन के लिए प्रावधान शामिल है। 108.28 लाख रूपये के फ्रिंज बेनिफिट टैक्स प्रावधान में मूल्यांकन वर्ष 2009–2010 तक का प्रावधान शामिल है।

5.0 चालू देयताएं एवं प्रावधान :

5.1 कोल इंडिया तथा इसके कार्यालयों के पास चालू लेखा

कोल इंडिया लि0 तथा इसके कार्यालय के पास चालू लेखा का सामंजस्य नियमित रूप से किया जा रहा है लेकिन यह जानकारी नहीं है कि विवेच्य वर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सामंजस्य विवरण में दर्शाये गये सभी मदों को परिकलित किया गया है या नहीं। 31.03.2011 तक चालू लेखा शेष (जमा) का सामंजस्य किया जा चुका है।

5.2 कोयला खान पेंशन योजना के अन्तर्गत देयताएं :

5.2.1.1 वैसे कर्मचारी जो सीएमपीएफ के सदस्य नहीं हैं या सीएमपीएफ के सदस्य हैं परन्तु उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने पेन्शन का विकल्प नहीं चुना है, के कारण उनसे काटी गई 33.04 लाख रूपये (गत वर्ष 37.08 रूपये) जो चालू देयताएं में शामिल है, को भेजा नहीं जा सका (रेमिटेड)।

5.2.2 1.7.1995 से कंपनी द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए 2.10 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 2.51 लाख रूपये) की भी देयता है।

5.2.3 देयताओं की उर्पयुक्त रकम में सीएमपीएफ के लिए लागू दर पर व्याज भी शामिल है।

5.2.3.1 इन देयताओं के लिए बैंक के सावधि जमा खाते में 54.92 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 54.75 लाख रूपये) हैं।

5.3 अन्य

5.3.1 विवेच्य वर्ष के दौरान संविदात्मक ड्रिलिंग का प्रावधान ड्रिल किए गये मिटरेज के मूल्य के 100 प्रतिशत में से इस ड्रिलिंग के लिए किए गये भुगतान को घटाकर किया गया है।

5.3.2 दिनांक 01.01.2007 से पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए क्रमशः 800.37 लाख (गत वर्ष 527.60 लाख) तथा 1824.79 लाख (गत वर्ष 1202.86 लाख रूपये) का (केवल अधिकारियों के लिए) प्रावधान किया गया।

5.3.3 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम– 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ है, के तहत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण (डिसक्लोजर) अपेक्षित है। यह कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं से इस अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में सम्बद्ध सूचनाएँ संकलित कर रही है। चूँकि संबद्ध सूचनाएँ तत्काल उपलब्ध नहीं है, इसलिए लेखे में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

6.0 चोरी एवं छिनतई के मामले :

विवेच्य वर्ष के दौरान 1.44 लाख रूपये (गत वर्ष 0.93 लाख रूपये) मूल्य के सामानों की चोरी के मामले की रिपोर्ट कराई गई है। चोरी के लिए प्रतिवेदित अधिकांश मद प्रभार रहित है तथा ऐसे नुकसान के लिए लेखे में प्रावधान नहीं किया गया है।

7.0 निदेशकों का पारिश्रमिक :

(लाख रूपय)

	चालू वर्ष 2010–2011	गत वर्ष 2009–2010
1. एल.टी.सी / छुट्टी नकदीकरण –– सहित वेतन एवं भत्ते	79.07	78.08
2. भविष्य निधि	8.50	8.04
3. चिकित्सा व्यय	1.01	0.65
4. पूर्वापेक्षा (प्रीक्यूजिट) का मूल्य	19.69	15.83
5. प्रदत्त उपदान	0.00	19.50

8.0 विदेशी मुद्रा में उपार्जन, खर्च आदि :

8.1 विदेशी मुद्रा में खर्च

लाख रूपये में

	चालू वर्ष 2010–2011	गत वर्ष 2009–2010
1) विदेशी प्रशिक्षण / दौरा, पुस्तके एवं अन्य	45.92	35.62
2) परामर्श शुल्क	17.79	17.14
कुल	**63.71**	**57.76**

8.2 सी.आई.एफ. के आधार पर परिकलित आयात मूल्य

लाख रूपये में

	चालू वर्ष 2010–2011	गत वर्ष 2009–2010
1) पूँजीगत सामान	351.05	77.49

2) अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक	0.00	2.85
कुल	**351.05**	**80.79**

8.3 विदेशी मुद्रा में आय :

लाख रूपये में

	चालू वर्ष 2010–2011	गत वर्ष 2009–2010
	शून्य	शून्य

8.4 उपयोग में लाये गये आयातित एवं देशी सामानों तथा अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य और कुल खपत में उनका प्रतिशत

लाख रूपये में

	चालू वर्ष 2010–2011		गत वर्ष 2009–2010	
	मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
1) आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
2) देशी	1612.14	100.00	1236.61	100.00
कुल	**1612.14**	**100.00**	**1236.61**	**100.00**

9.0 आकस्मिक देयता

9.1 कम्पनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

9.1.2 **प्रवेश कर के मामले :** व्यावसायिक कर आयुक्त के समक्ष लंबित वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिए 20.97 लाख रूपये। (गत वर्ष 20.97 रूपये)

9.1.3 **सेवा कर के मामले**

अपील में लंबित संपूरित कर निर्धारण के संबंध में 40.24 लाख रूपये (गत वर्ष 40.24 लाख रूपये)

9.1.4 न्यायालय में लंबित अन्य विवादास्पद मामले, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, की राशि 1259.44 लाख रूपये (गत वर्ष 863.82 लाख रूपये)

9.2 विवेच्य वर्ष के दौरान परिपक्वता तक 45.21 लाख रूपये (गत वर्ष 87.32 लाख रूपये) के एलसी खोले गये।

9.3 पूँजीगत लेखे पर प्रतिपादित किए जाने वाले शेष बचे कंट्रेक्ट जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, की रकम 735.48 लाख रूपये (गत वर्ष 280.31 लाख रूपये)।

9.4 अन्य मामले

9.4.1 औद्योगिक तथा अन्य विवादों के कारण कुछ मुकदमें न्यायालय में लंबित हैं। इस संबंध में आकस्मिक देयता की मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

9.4.2 कम्पनी की ओर से बैंक गारन्टी जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में कम्पनी द्वारा 10.57 लाख रूपये (गत वर्ष 10.57 लाख रूपये) की प्रति–गारंटी निर्गत की गयी है।

10.0 आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आय पर कर के लिए लेखे पर एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस–22) के अनुसार, 31.03.2011 तक आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए प्रावधान क्रमशः 6719.76 लाख रूपये और 729.15 लाख रूपये परिकलित की गई है। 31.3.2011 के अनुसार निबल आस्थगित कर में निम्नलिखित शामिल है :

(लाख रूपये में)

		चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
अ.	**आस्थगित कर परिसम्पतियाँ**		
	वीआरएस	2.29	6.70
	साफ्टवेयर	5.20	12.73
	अप्रयुक्त / अचल के लिए प्रावधान	18.52	24.02
	संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	99.18	186.62
	छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्यूटि एवं अन्य टर्मिनल बेनिफिट	6,594.57	6,030.65
	कुल (अ)	**6,719.76**	**6,260.72**
ब.	**आस्थगित कर देयता**		
	परिसम्पतियों के डब्ल्यूडीवी में अन्तर	729.15	810.10
	साफ्टवेयर के डब्ल्यूडीवी में अंतर		
	कुल (ब)	729.15	810.10
स.	आस्थगित कर परिसम्पति (निबल)	5,990.61	5,450.62

11.0 निगमित सामाजिक दायित्व :

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए 57.32 लाख रूपये (गत वर्ष के रिटेन्ड लाभ का 5 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। इस लेखे से 19.61 लाख रूपये की रकम व्यय की गई।

12.0 वापसी (राइट बैक)

12.1 वित्तीय वर्ष के अंत में तीन वर्षों से अधिक की पुराने स्टेल चेक को, कुछ मामलों को छोड़कर, वापस लाया गया है।

12.2 न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर, वित्तीय वर्ष के अंत में अग्रधन और सुरक्षा जमा, जो पांच वर्ष से ज्यादा के पुराने हैं, को वापस लाया गया है।

12.3 न्यायालय/मध्यस्थ के पास लंबित वैसी दावा रहित देयताओं को छोड़कर जो कर्मचारी से संबंधित नहीं है तथा 5 वर्षों से अधिक की है, को वापस लाया गया है।

13.0 प्राइवेट कम्पनी

यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित की गई और अधिसूचना संख्या जीएसआर 1234 दिनांक 30 दिसम्बर, 1958 के द्वारा प्राइवेट शब्द को हटा दिया गया।

14.0 गत वर्ष के आंकड़े

जहॉ कहीं भी आवश्यक हुआ है, चालू वर्षों के साथ उसकी तुलना करने के लिए गत वर्ष के आँकड़े को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृम/पुनः समूहित किये गये हैं ।

तुलन–पत्र के लिए अनुसूची ''क'' से ''ण'' लाभ तथा हानि लेखा के लिए अनुसूची 1 से 13 तथा लेखा नीति एवं लेखे पर टिप्पणी के लिए अनुसूची 14 एवं 15 तक के लिए हस्ताक्षरित :

वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

पी. लेजार	के.चन्द्रमौली	एन.खुराना	ए.के.सिंह
कम्पनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

उस तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म निबंधन संख्या – 002180 सी

स्थान : राँची
दिनांक :

(सीए. सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्य सं0– 075899

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI भाग IV के द्वारा यथा वांछित सूचनाएं

तुलन–पत्र का सार और कम्पनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल
03 झारखण्ड (राज्य कोड)

I. पंजीयन विवरण

पंजीयन संख्या: 0 0 1 2 2 3 — राज्य कोड: 0 3

तुलन – पत्र तिथि: 3 1 (दिनांक) 0 3 (महीना) 2 0 1 1 (वर्ष)

II. विवेच्य वर्ष में उगाही गई पूँजी (राशि हजार रूपये में)

पब्लिक इश्यू	राइट इश्यू
शू न्य	शू न्य
बोनस इश्यू	**निजी स्थापन**
शू न्य	शू न्य

III. निधियों का संग्रहण एवं विस्तार की स्थिति (राशि हजार रूपये में)

	कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
	8 7 5 4 7 0	8 7 5 4 7 0
निधि के स्रोत	प्रदत्त पूँजी	आरक्षित एवं अधिशेष
	1 9 0 4 0 0	6 8 5 0 7 0
	प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण
	शू न्य	
निधि के उपयोग	निबल अचल परिसंपत्तियॉ	निवेश
	7 7 5 8 5 8	शू न्य
	निबल चालू परिसंपत्तियॉ	विविध व्यय
	(-) 4 9 9 4 4 9	शू न्य
	संचित हानि	आस्थगित कर
	शू न्य	5 9 9 0 6 1
	इंटेन्जिबुल एसेट्स	
	शू न्य	

IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन (हजार रूपये में)

टर्न ओवर	कुल व्यय
4290919	4054029

+/-	कर के पूर्व लाभ / हानि	+/-	कर के बाद लाभ/हानि
+	2368900	+	153193

(लाभ के लिए +, हानि के लिए –)

प्रति शेयर उपार्जन (रूपये में)	लाभांश
805	शून्य

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक टर्म के अनुसार)

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन
	उत्पाद विवरण मद कोड/आईटीसी कोड
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	भू–विज्ञान एवं वेधन
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा क्षेत्र सेवाएं

अनुसूची 'क से ण' तक और 1 से 15 तक के लिए हस्ताक्षरित
निदेशक–मंडल, सीएमपीडीआई की ओर से एवं वास्ते

पी. लेजार	**के.चन्द्रमौली**	**एन. खुराना**	**ए.के.सिंह**
कम्पनी सचिव	**मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक**	**अध्यक्ष– सह–प्रबंध निदेशक**

अनुबन्ध जो कि 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
<u>निदेशकों के रिपोर्ट का एक भाग है।</u>

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली,, 1975 के साथ पठित
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के अनुसार सूचना

क्रमांक	नाम	पदनाम/ कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रूपये)	नियुक्ति की प्रकृति स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2010 को उम्र (वर्ष)	अन्तिम नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(क) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त और वित्त वर्ष में प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 60,00,000/– रूपये से कम नहीं था।

.... शून्य ....

(ख) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए सम्पूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 5,00,000/– रूपये से कम नहीं था।

.... शून्य ....